सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली

(आईसीईएस 1.5)

संघ सरकार

राजस्व विभाग–अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क

2014 की संख्या 11

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

वर्ष 2012-13 के लिए

भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस 1.5)

संघ सरकार

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

2014 की संख्या 11

लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया 8 जुलाई 2014

विषयवस्तु

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii
सिफारिशें	vi
अध्याय I: प्रस्तावना	1
अध्याय II: प्रणालीगत मामले	8
अध्याय III: अनुप्रयोग की प्रकार्यात्मकता	34
अध्याय IV: प्रचालन दोष के अन्य मुद्दे	76
शब्दावली	80
अनुबंध	83

प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस 1.5) पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

राजस्व प्राप्तियों -संघ सरकार के अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत की जाती है।

इस रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियाँ वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से ली गई थीं।

कार्यकारी सार

भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंतरण प्रणाली (आईसीईएस) कोर आईसीटी प्रणाली के रूप में विकसित की गई थी जिसके माध्यम से आयात और निर्यात के दस्तावेज {एंट्री बिल्स, शिपिंग बिल्स, आयात मालसूची (आईजीएमज़्) और निर्यात माल सूची (ईजीएमज़्)} संसाधित किए जाने थे। आईसीईएस का मूल उद्देश्य निर्धारणों और मूल्यांकनों में एकरूपता सुनिश्चित करना, तेजी से प्रक्रिया सुनिश्चित करना, लेनदेन कीमत घटाना, सरकारी एजेंसियों से व्यापार करना और डीजीसी एण्ड आईएस द्वारा संकलन हेतु शीघ्र और सटीक आयात/निर्यात आंकड़े प्रदान करना था। आईसीईसी संस्करण 1.0 को शुरूआत में 1995 में दिल्ली सीमाशुल्क भवन में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। यह 1997 से धीरे-धीरे अन्य सीमाशुल्क भवनों में भी संचालित होने लगा था।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2000-01 में पहली बार सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली की समीक्षा की और सीएजी की 2002 की रिपोर्ट सं. 10 (सीमाशुल्क) में अपने निष्कर्ष बताए। समीक्षा, क्रय और सॉफ्टवेयर विकास पर केन्द्रित थी। मूल रूप से यह सत्यापन करने के लिए वर्ष 2008 में आईसीईएस 1.0 की दुबारा समीक्षा की गई कि क्या इसने सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधानों और प्रक्रियाओं तथा सहायक नियमों और विनियमों को प्रभावी रूप से तैयार किया है। लेखापरीक्षा समीक्षा से इन कमियों का पता चला (i) अपूर्ण डाटा संकलित करने वाली प्रणाली डिज़ाइन, जिसके कारण मैनुअल हस्तक्षेप, (ii) कारोबार नियमों की गलत रूपरेखा , (iii) उपयुक्त इनपुट नियंत्रण का अभाव, (iv) छूट अधिसूचना का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 'सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष' और अधिसूचना के क्रमांक के बीच वैधता का अभाव, (v) लाइसेंस और योजना संहिता की वैधता का अभाव, (vi) अपर्याप्त परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण और (vii) संसाधनों का दुरूपयोग क्योंकि प्रणाली में उपलब्ध डाटा का उपयोग नहीं किया गया और इसके बजाए मैनुअल प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया।

प्रणालीगत खामियों को बताने वाली सभी पाँच सिफारिशों को रिपोर्ट (सीमाशुल्क 2009-10 की रिपोर्ट सं. पीए 24) में शामिल किया गया था। मंत्रालय ने सभी सिफारिशों को स्वीकार किया।

जून 2009 से विभिन्न सीमाशुल्क स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से मूल आईसीईएस 1.0 को हटाकर एक उन्नत संस्करण आईसीईएस 1.5 कर दिया गया। उन्नत संस्करण की मुख्य विशेषतायें ओरेकल डाटाबेस 8आई से 10जी करना था, जो केन्द्रीकृत अनुप्रयोग के परिवेश जिसमें निम्न हों में चलता है:

I. बहु स्थानिक प्रकार्यात्मकता ;
II. प्रयोगकर्ताओं को अपने स्थान के लिए केवल डाटा जानने हेतु विभाजन के साथ एकल डाटाबेस;
III. सॉफ्टवेयर का केन्द्रीकृत अनुरक्षण और अद्यतन।

प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन निदेशालय का सम्पूर्ण लक्ष्य सीबीईसी के बुनियादी ढाँचे की गणना करके तथा मजबूत बनाकर क्रिया–कलापों को तकनीकी सुविधा प्रदान करना तथा संसाधनों की सुरक्षा करना है। आईसीईसी को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था क्योंकि यह सीमाशुल्क सार्वजनिक इंटरफेस का आधार बनाता है और एक संचालनात्मक समाधान के रूप में सीबीईसी के राजस्व प्रशासन की नीति का लाभ उठाने के लिए बनाया गया है, जो दक्ष, प्रभावी पारदर्शी है और व्यापार की सुविधा में बढ़ोत्तरी करते समय अंतरण लागत घटाता है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में, हमने एक नियंत्रण आधारित मूल्यांकन सहित भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई) प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा की :

क. परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना (डाटा, प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग, सुविधाएँ और लोग),

ख. डाटा की गोपनीयता, निष्ठा अनुरक्षित करना, तथा

ग. आईसीईसी 1.5 एप्लिकेशन तथा इसके इंटरफेस के माध्यम से सीमाशुल्क अधिनियम और सहायक नियमों की प्रक्रियाओं और प्रावधानों को प्रभावी बनाकर सीमाशुल्क अधिनियम और सहायक

नियमों में उल्लिखित विभाग के कारोबार आवश्यकताओं को पूरा करना।

लेखापरीक्षा ने एप्लिकेशन के अपर्याप्त प्रकार्यात्मकता और कार्यक्षेत्र वाले मुद्दों और प्रणालीगत मुद्दों को देखा। इस निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का कुल राजस्व प्रभाव ₹ 847.57 करोड़ है। इसमें 44 आपत्तियाँ और नौ सिफारिशें हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में की गई नौ सिफारिशों में से सीबीईसी ने पाँच सिफारिशों को स्वीकार किया।

सीबीईसी का आईएस प्रबंधन तरीका दोहराने योग्य है लेकिन कुछ निश्चित प्रक्रियाओं सहित स्वंय समझे जाने योग्य हैं और एक तेजी से बदलते कारोबार और तकनीकी परिवेश में असंसूचित गैर अनुपालन का जोखिम रहता है। आईसीईएस 1.0 से आईसीईएस 1.5 में बदलते समय आईएस प्रबंधन में कुछ गुणवत्तापरक परिवर्तन थे जैसाकि 2008 से निष्पादन लेखापरीक्षा में सीएजी द्वारा देखा गया था। यद्यपि डीओएस ने बताया कि उन्होंने जोखिम रजिस्टर तैयार किया है और जोखिम की पहचान की है, लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराए गए थे। इसी प्रकार सेवाओं की समयबद्धता गुणवत्ता को शामिल करने वाले महत्वपूर्ण निष्पादन सूचकों को मापने हेतु बेंचमार्क प्रबंधन अनुपयुक्त थे जैसाकि प्रणालीगत मुद्दों द्वारा दर्शाया गया था और जो एप्लिकेशन के कार्यक्षेत्र और क्रिया-कलाप पर आधारित थे।

सिफारिशे

1. विभाग अपनी आगामी आईएस आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कारोबार नीतिगत के अनुसार आईएस योजनायें बनाने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 2.1)

2. विभाग के दुर्गम लक्ष्य आईटी प्रणलियों के सुगम संचालनों के लिए आईटी कार्मिकों की भर्ती, विकास और प्रशिक्षण द्वारा सीबीईसी के आईएस प्रबंधन के प्रबंधन हेतु आंतरिक दक्षता के विकास के लिए कार्मिकों नीति विकसित करे।

(पैराग्राफ 2.3)

3. पासवर्ड नीति जैसे तार्किक सुरक्षा अवयवों के संचालनात्मक विशेषताओं में कोई परिवर्तन निरपवाद रूप से परिवर्तनों के उचित अनुज्ञप्ति और दस्तावेजीकरण के बाद ही कार्यान्वित किए जाएं।

(पैराग्राफ 2.5)

4. कमियों का पता लगाने तथा एप्लिकेशन में सुधार का सुझाव देने के लिए विभाग लेखापरीक्षित अपने कोर एप्लिकेशन (आईसीईएस 1.5) की आवधिक रूप से जाँच करें। सरकार के पास नीतिगत नियंत्रण आवश्यक रूप से होना चाहिए और तदनुसार, एसएलएज़् की तत्काल समीक्षा की जाए।

(पैराग्राफ 2.6)

5. डीओएस टैरिफ लाइन मदों के साथ आरएसपी अधिसूचना के क्रम संख्याओं की मैपिंग करे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एप्लिकेशन में आवश्यक वैधता निश्चित करें कि निर्यातक आरएसपी घोषित करते हैं, यदि आरएसपी अधिसूचना के तहत शामिल एक टैरिफ लाइन मद के अंतर्गत कोई आयात किया जाता है।

(पैराग्राफ 3.2)

6. विभाग संबंधित मामलों का पता लगाने के लिए आईसीईएस एप्लिकेशन और आरएमएस में उचित वैधता शुरू करे। आयात लागत से नीचे

घोषित आरएसपीज़् पर मंजूर बहुत से मालों को देखते हुए आरएमएस द्वारा एसीपी ग्राहकों को दी गई सुविधा की फिर से जाँच की जाए।

(पैराग्राफ 3.3)

7. सीमाशुल्क और संबंधित केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अनुसूचियों के अध्याय 1 से 98 के तहत वर्गीकरणयोग्य सभी मालों के लिए सटीक निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए समान सीईटीएच/सीटीएच की घोषणा के लिए आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन में वैधता जाँच प्रदान की जाए।

(पैराग्राफ 3.7 और 3.8)

8. डीजीएफटी और आईसीईगेट के बीच सूचना आदान–प्रदान हेतु प्रस्तावित निर्यात दायित्व डिस्चार्ज प्रमाणपत्र (ईओडीसी) को मूर्त रूप नहीं दिया गया । ईओडीसीज़् की मैनुअल ट्रांसमिशन और उनकी मानीटरिंग दक्ष नहीं पाई गई। तथापि, एप्लिकेशन डेटाबेस में उपलब्ध डाटा-डिस्चार्ज फेलियर रिपोर्ट सृजित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और ईओडीसी से संबंधित राजस्व वसूली प्रक्रिया के समय पर शुरूआती लाइसेंस धारक के साथ-साथ डीजीएफटी का अनुसरण किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 3.19.1)

9. अस्थायी निर्धारणों से संबंधित सूचना शुल्क की कम उगाही वाले मामलों में की गई कार्रवाई और मैनुअल चालानों के माध्यम से अदा शुल्क को एप्लिकेशन में दिया जाए ताकि प्रत्येक आयात/निर्यात निर्धारण रिकार्ड से संबंधित डाटा को अद्यतन अनुमत किया जा सके।

(पैराग्राफ 3.19.3 और 3.19.4)

भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस 1.5)

भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचैंज प्रणाली (आईसीईएस 1.5)

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंतरण प्रणाली को (आईसीईएस) कोर आईसीटी के रूप में विकसित किया गया था जिसके माध्यम से आयात और निर्यात के दस्तावेज {एंट्री बिल्स, शिपिंग बिल्स, आयात मालसूची (आईसीईएस) और निर्यात माल सूची (ईजीएमज़)} संशोधित किए जाने थे। आईसीईएस का मूल उद्देश्य निर्धारणों और मूल्यांकनों में एकरूपता सुनिश्चित करना, तेजी से प्रक्रिया सुनिश्चित करना, लेनदेन कीमत घटाना, सरकारी एजेंसियों से व्यापार करना और डीजीसी एण्ड आईएस द्वारा संकलन हेतु शीघ्र और सटीक आयात/निर्यात आंकड़े प्रदान करना था। आईसीईसी संस्करण 1.0 को शुरूआत में 1995 में दिल्ली सीमाशुल्क भवन में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। यह 1997 से धीरे-धीरे अन्य सीमा शुल्क भवनों में भी संचालित होने लगा था

सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क केन्द्रीय बोर्ड (सीबीईसी) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आईसीटी के काम में लाने वाली कई परियोजनाएं चलाता है। प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीओएस) इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन सौंपा गया है। भारतीय सीमाशुल्क आईसीटी प्रणालियों के तीन मुख्य घटक हैं :

क. आईसीईएस 116 सीमाशुल्क स्थानों पर चल रही है तथा भारत का लगभग 98 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भालती है। एक व्यापक, पेपरलेस, पूर्णत: स्वचालित सीमाशुल्क निपटान प्रणाली प्रदान करने के इरादे से यह सीमाशुल्क विभाग की कोर आंतरिक स्वचालित प्रणाली है।

ख. भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई गेटवे (आईसीईगेट) व्यापार आंकड़े/सीमा शुल्क निपटान डाटा साझा करने के लिए विदेशी व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस), इस्पात मंत्रालय, रेल मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि जैसी लाइसेंसिंग और विनियामक एजेंसियों के साथ सीमाशुल्क मंजूरी संबंधी संदेशों के व्यापार के साथ आईसीईएस का

इंटरफेस है। मूल्यांकन निदेशालय (डीओवी) हेतु राष्ट्रीय आयात डाटाबेस (एनआईडीबी) और निर्यात प्रतिभूति डाटाबेस (ईसीडीबी) को भी आईसीईगेट के माध्यम से सेवायें दी जाती हैं। यह पोर्टल (आईसीईगेट) होस्ट सेवायें प्रदान करता है जैसे- सीमाशुल्क दस्तावेजों की फाइलिंग, लाइसेंसों का ऑनलाइन सत्यापन, आयातक –निर्यातक संहिता (आईईसी) स्थिति, पैन आधारित सीमाशुल्क भवन डाटा एजेंट (सीएचए) डाटा इत्यादि।

ग. जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) एक अलग एप्लिकेशन है लेकिन आईसीईएस से जुडी है जो कम जोखिम आयात माल/निकायों के लिए कम से कम या बिना जॉच के शीघ्र मंजूरी प्रदान करवाती है और उच्च जोखिम माल/निकायों पर सीमाशुल्क अनुपालन प्रवर्तन प्रयासों पर केन्द्रित करती है। इसे नवम्बर 2005 में शुरू किया गया था और जून 2010 में एक नया संस्करण आरएमएस संस्करण 3.1 लाया गया था। अब तक इसने केवल आयातों के लिए कार्य किया था, लेकिन परीक्षण के दो आईसीईएस स्थानों पर निर्यातों के लिए 15 जुलाई 2013 को आरएमएस शुरू किया गया था।

डीओएस का संपूर्ण उद्देश्य सीबीईसी की संगणना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करके संचालनों में तकनीकी सहायता तथा संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करना है।

आईसीईएस ने निष्पादन लेखापरीक्षा का चयन किया क्योंकि यह पब्लिक इंटरफेस (आईसीईगेट) का आधार बनाता है और एक संचालनात्मक समाधान के रूप में सीबीईसी राजस्व प्रशासन नीतिगत का लाभ उठाने के लिए मंजूर करता है जो प्रभावी, दक्ष, पारदर्शी और व्यापार सुविधा में वृद्धि करते समय अंतरण लागत कम करता है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2000-01 में पहली बार सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली की समीक्षा की और सीएजी 2002 की रिपोर्ट सं. 10 (सीमाशुल्क) में अपने निष्कर्ष बताए । समीक्षा, क्रय और सॉफ्टवेयर विकास पर केन्द्रित थी। मूल रूप से यह सत्यापन करने के लिए वर्ष 2008 में आईसीईएस 1.0 की दुबारा समीक्षा की गई कि क्या इसने सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधानों और प्रक्रियाओं तथा सहायक नियमों और विनियमों को

प्रभावी रूप से तैयार किया है। लेखापरीक्षा समीक्षा से इन कमियों का पता चला (i) अपूर्ण डाटा संकलित करने वाली प्रणाली डिज़ाइन जिसके कारण मैनुअल हस्तक्षेप, (ii) कारोबार नियमों की रूपरेखा, (iii) उपयुक्त इनपुट नियंत्रक का अभाव, (iv) छूट अधिसूचना का उपयुक्त लाभ उठाना सुनिश्चित करने के लिए 'सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष' और अधिसूचना के क्रमांक के बीच वैधता का अभाव, (v) लाइसेंस और योजना संहिता को वैधता का अभाव, (vi) अपर्याप्त परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण और (vii) संसाधनों का दुरूपयोग क्योंकि प्रणली में उपलब्ध डाटा का उपयोग नही किया गया और इसके बजाए मैनुअल प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया। प्रणालीगत खामियों को बताने वाली सभी पाँच सिफारिशों को रिपोर्ट (सीमाशुल्क 2009-10 की रिपोर्ट सं.24) में शामिल किया गया था:

1. *प्रणालियों में बनाए गए कारोबार नियमों की समीक्षा की जाए।*
2. *प्रणाली में किए गए किसी परिवर्तन का दस्तावेज बनाया जाए तथा कारोबार नियमों के परिवर्तनों की पुष्टि सुनिश्चित की जाए। परिवर्तन एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए जांए। प्रणाली में किए गए परिवर्तनो के ऑडिट ट्रेल और डाटा का अनुरक्षण किया जाय। केन्द्रीयकृत अनुप्रयोगो के लिए एक केन्द्रीयकृत परिवर्तन प्रबन्धन प्रणाली अवश्य स्थापित की जाए।*
3. *जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, इनपुट नियंत्रण और वैधता जाँच की समीक्षा की जाए तथा प्रणाली का निर्माण किया जाए।*
4. *उपलब्ध डाटा का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रणाली में संशोधन किया जाए ताकि सभी कारोबारी प्रक्रियाएं मैनुअल प्रक्रियाओं का सहारा लेने के बजाय प्रणाली के माध्यम से की जाएं।*
5. *वांछित/गतिशील व्यापारिक उद्देश्यों के प्रति प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता लगातार सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली के निष्पादन की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।*

मंत्रालय ने सभी सिफारिशों को स्वीकार किया ।

सीमाशुल्क आईसीटी प्रणालियों और आईसीईसी एप्लिकेशन में विभाग की संचालनात्मक आवश्यकताओं और सीमाशुल्क अधिनियम और सहायक अधिनियमों, नियमों और विनियमों में परिवर्तनों के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाता है। यद्यपि कोर आईसीईएस एप्लिकेशन का उपयोग पंद्रह

वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है, वर्ष 2009-10 से विकेंद्रीकृत से केन्द्रीकृत परिवेश में बदलने से मूल आईसीटी ढाँचे, कार्यप्रवाह, डाटा अंतरण और भंडारण सुरक्षा आदि में कई परिवर्तन हुए थे।

1.2 प्रणाली की बनावट

जून 2009 से विभिन्न सीमाशुल्क स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से मूल आईसीईएस 1.0 संस्करण को हटाकर एक उन्नत संस्करण आईसीईएस 1.5 कर दिया गया। उन्नत संस्करण की मुख्य विशेषतायें ओरेकल डाटाबेस 8आई से 10जी करना था जो निम्नलिखित केन्द्रीकृत अनुप्रयोग के साथ परिवेश में चलाता है:

I. बहु स्थानिक प्रकार्यात्मकता;
II. उपयोगकर्ताओं को अपने स्थान के लिए केवल डाटा जानने हेतु विभाजन के साथ एकल डाटाबेस;
III. सॉफ्टवेयर का केन्द्रीकृत अनुरक्षण और अद्यतन;
IV. बाह्य शेयरधारकों, बैंको, ई-पीएओ आदि के साथ तीव्र एवं बेहतर संप्रेषण।
V. बेहतर प्रतिक्रिया समय वाले केंद्रीय परिवेश में आईसीईगेट का एकीकरण।

हालांकि, एप्लिकेशन को अद्यतन करने में ₹ 604 करोड़ खर्च करने के बाद भी लागत और समय के बचत के संबंध में आनुपातिक लाभ का आकलन नहीं किया गया।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई कि:

क. परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना (डाटा प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग, सुविधाएँ और लोग),

ख. डाटा की गोपनीयता, निष्ठा अनुरक्षित करना, तथा

ग. आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन तथा इसके इंटरफेस के माध्यम से सीमाशुल्क अधिनियम और सहायक नियमों की प्रक्रियाओं और प्रावधानों को प्रभावी बनाकर सीमाशुल्क अधिनियम और सहायक नियमों में उल्लिखित विभाग के कारोबार की आवश्यकताओं को पूरा करना।

1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, नमूना, मापदण्ड और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन की कार्यपद्धति से संबंधित 2011-12 और 2012-13 के वर्षों में छोटे स्तर के मुद्दों और पिछले पाँच वर्षों (2008-2013) में बड़े स्तर के प्रणालीगत मुद्दों की समीक्षा की गई। अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई के सीमाशुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीआरए) कार्यालयों के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकारों के तहत आने वाले ईडीआई पहुंच वाले स्थानों (पत्तन, हवाई अड्डे तथा आईसीडीज़्) पर क्षेत्रीय स्थानों के आईसीईएस 1.5 के निष्पादन की समीक्षा की गई।

सीमाशुल्क आईसीटी प्रणालियों के मूल्यांकन पर आधारित नियंत्रण उद्देश्य तथा सूचना हेतु नियंत्रण उद्देश्य तथा संबंधित तकनीकी (सीओबीआईटी) की रूपरेखा पर आधारित सीएजी की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आईटी लेखापरीक्षा नियमावली के अनुसार आईएस एप्लिकेशनों के आधार पर आईसीटी प्रणाली के नियंत्रण परिवेश की समीक्षा करने तथा नियंत्रणों की प्रभाविता का विश्लेषण करने के लिए तथा सीबीईसी (सीमाशुल्क) आईसीटी प्रणालियों, पहचान और आवश्यक लेखापरीक्षा जाँच करने पर प्रस्तावना सूचना के संग्रहण को शामिल करते हुए यह निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा में संबंधित मुद्दों तथा क्षेत्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग और आईसीईएस स्थानों पर मामलों की भी समीक्षा की गई थी।

प्रक्रिया नियंत्रण प्रश्नावली (सीओबीआईटी-4.1) तथा प्रक्रिया निष्पादन की बेंच मार्किंग और मैच्यूरिटी मॉडल के अनुसार व्यक्त क्षमता का उपयोग आश्वासन के लिए किया गया था। लेखापरीक्षित इकाईयों के संचालनात्मक परिवेश और आईसीटी प्रणाली पर इसकी निर्भरता के मामले को समझने के क्रम में इसके संगठनात्मक ढाँचे पर पृष्ठभूमि की जानकारी तथा इसकी आईसीटी प्रणालियों और संसाधनों पर विस्तृत तकनीकी सूचना, विभाग से ली गई थी। लेखापरीक्षा का निष्कर्ष प्रणाली नियंत्रण प्रश्नावली के उत्तर, सीबीईसी तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न् आयात/निर्यात प्रक्रियाओं पर अवलोकन, सीबीईसी/डीओआर द्वारा दिए गए उत्तरों, अनुबंध में सूचीबद्ध जोखिम प्रबंधन डिवीजन (आरएमडी) मुम्बई और डीओवी, मुम्बई, डीओएस के पास उपलब्ध आईएस एप्लिकेशनों तथा आईसीटी प्रणालियों और आईएस एप्लिकेशनों से

संबंधित अखिल भारतीय सीमाशुल्क डाटाबेस (आईसीईएस1.5) तथा नीति और प्रक्रिया अभिलेखों, नियमावलियों, रिपोर्टों निर्देशिकाओं इत्यादि के विश्लेषण पर आधारित था। विभाग से जुडे विभिन्न कार्यालयी वेबसाइटों में उपलब्ध विभाग और इसके आईसीटी प्रणालियों की भी जाँच की गई थी।

1.5 आईसीटी प्रणालियों के नियंत्रण परिवेश की समीक्षा

सूचना प्रणाली (आईएस) सामान्य नियंत्रणों, एप्लिकेशन नियंत्रणों और सुरक्षा नियंत्रणों जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, की भी समीक्षा की गई थी :

समान्य आईएस नियंत्रण

क. संगठनात्मक और प्रबन्धन नियंत्रण (आईएस नीतियां एव मानक)
ख. आईएस प्रचालन नियंत्रण
ग. भौतिक नियंत्रण
घ. तार्किक नियंत्रण
ङ. कार्यक्रम परिवर्तन नियंत्रण
च. व्यापार निरतंरता और आपदा निपटान नियंत्रण

आईएस अनुप्रयोग नियंत्रण

क. इनपुट नियंत्रण
ख. प्रक्रिया नियंत्रण
ग. आऊटपुट नियंत्रण

लेखापरीक्षा जांच इन नियंत्रणों के अस्तित्व और उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए की गई और जांच सूची 1, 2 और 3 में उनके परिणामों को बताया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की इस रिपोर्ट के आगामी अध्यायों में चर्चा की गई है।

1.6 एप्लिकेशन डाटा की समीक्षा और निगरानी तथा नियंत्रण के क्षेत्रीय स्तर को बढ़ाना

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए आल-इंडिया आईसीईएस 1.5 डाटा का व्यापार प्रक्रिया मैपिंग और वैधता नियंत्रणों के अस्तित्व में एप्लिकेशन की प्रभावशीलता की समीक्षा के लिए विश्लेषण किया गया था। क्षेत्रीय स्थानों पर आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन के निष्पादन पर निर्धारित निगरानी के मामले जैसे कि पश्च अनुमत लेखापरीक्षा (पीसीए) और स्थानीय जोखिम प्रबंधन

(एलआरएम) को इडीआई समर्थित स्थानों (पत्तन, हवाईअड्डे और आईसीडी) पर समीक्षा की गई थी।

1.7 लेखापरीक्षा प्रक्रिया को चुनौतियां

लेखापरीक्षा को एसएलए जोखिम रजिस्टर चेंज लॉग्स, रेडो लॉग, डाटा फ्लो चित्र, आईसीटी प्रशिक्षण दस्तावेज और डायरेक्टरी अद्यतन प्रक्रियाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

एक व्यापक अधिदेश द्वारा समर्थित आईटी परियोजना कार्यान्वयन और आईटी प्रणाली लेखापरीक्षा पर सीएजी की यूनिवर्सल स्टेंडिंग के बावजूद, सभी प्राप्त फिल्ड्स के साथ सारे निर्यात और आयात डाटा तक पहुँचने के लिए लेखा परीक्षा के अनुरोध की लगातार अनदेखी की गई थी। एग्जिट कांफ्रेस के दौरान जारी की गई सूचना और डाटा भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। नियंत्रण मूल्यांकन और बिजनेस मैपिंग लेखापरीक्षा और क्षेत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये सीमित डाटा पर की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु उद्देश्य, कार्य क्षेत्र और लेखापरीक्षा पद्धति पर एंट्री कांफ्रेस में 15 अप्रैल 2013 को उपस्थित सीबीईसी, डीजी (सिस्टम और डाटा प्रबंधन), डीओवी और आरएमडी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। लेखापरीक्षा मई 2013 से अगस्त 2013 के दौरान की गई। 29 नवम्बर 2013 को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की गई और लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर 21 जनवरी 2014 को हुई एग्जिट कांफ्रेस मे चर्चा की गई। ड्राफ्ट पीए रिपोर्ट अंतिम विचार हेतु सीबीईसी को दोबारा भेजी गई। जो 25 फरवरी 2014 को प्राप्त हुई थी।

अध्याय II: प्रणालीगत मामले

2.1 आईएस नीतिगत योजना

डीओएस के पास केंद्रीयकृत कार्यान्वयन के लिए वितरित प्रचालनों से स्थानांतरण सहित योजना हेतु कोई आईएस नीतिगत योजना नहीं है, जिसके द्वारा आधार भूत संरचना को समेकित करते हुए केन्द्रीय रूप से लागू किया जा सके। हालांकि, विभाग द्वारा संदर्भित नीतिगत योजना आईएस समेकित योजना थी, जो 2004 में प्रस्तावित की गई थी और 2011 तक लागू की गई थी। केंद्रीयकृत पद्धति से योजनाबद्ध स्थानांतरण के पूरा करने के बाद विभाग के पास भी भविष्य हेतु किसी दीर्घावधि आईएस नीतिगत योजना नहीं है।

आदर्शतः, एक वृहत सरकारी विभाग में आईटी विभाग सहित विभिन्न पणधारकों वाली एक औपचारिक आईएस संचालन समिति होने की संभावना होगी। समिति आईएस के संपूर्ण निर्देशन के लिए उत्तरदायी होगी। एक बार आईएस के लिए भावी निर्देशन पर समिति सहमत होने पर, आईएस नीतिगत योजना में निर्णयों की औपचारिकता और दस्तावेजीकरण किया जाना अपेक्षित है। संस्था को अपनी कार्पोरेट नीतिगत योजना के अनुसार आईएस योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है और दी गई भावी अवधि के लिए अपनी आईएस आवश्यकताओं को मिलान करना है। यह बढती हुई संभावना के साथ विभाग को उपलब्ध करा सकता है:

I. मौजूदा उत्पादों और सेवाओं के मूल्य का बढ़ना,
II. नये उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना, और
III. वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्रों को आरंभ करना।

आईएस से लाभ प्राप्त करने हेतु परिवर्तनों के लिए तैयार करने के लिए और आर्थिक और प्रभावी दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के लिए योजना दूरदर्शिता आवश्यक है। आईएस योजना किसी संस्था पर प्रगतिशील प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकियों के प्रभाव को प्राप्त करने वाले संरचित साधन प्रदान करती है। योजना प्रक्रिया द्वारा, प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों की विस्तृत व्यापार उद्देश्यों और लक्ष्यों के संदर्भ में पहचाना जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। प्रांसगिक प्रौद्योगिकियों के तुलनात्मक निर्धारण के आधार पर, संस्था के लिए निर्देश दिये जा सकते हैं।

सीबीईसी की आईएस प्रबंधन शैली दोहराई जाने योग्य है परंतु कुछ परिभाष्य प्रक्रियाओं के अंतर्ज्ञान के साथ और तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे व्यापार और तकनीकी वातावरण में न ढूंढे जा सकने वाले गैर अनुपालन का एक जोखिम पैदा करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2008 से सीएजी द्वारा किये गये अवलोकन के अनुसार आईसीईएस 1.0 से आईसीईएस 1.5 से स्थानंतरित करते समय आईएस के प्रबधन में कुछ गुणवत्ता संबंधी परिवर्तन हुए थे। हालांकि, डीओएस ने सूचित किया कि उन्होंने जोखिम रजिस्टर तैयार किये और जोखिमों की पहचान की, रजिस्टर (रजिस्टरों) संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इसी प्रकार, सेवाओं की समय-बद्धता और गुणवत्ता को शामिल करने वाले मुख्य निष्पादन संकेतकों के मापन हेतु मानदंडों के प्रबंधन अपूर्ण थे, जो प्रबंधन मामलों द्वारा दर्शाये गये थे और वे एप्लिकेशन के क्षेत्र और कार्यात्मकता पर आधारित थे।

सिफारिश: *विभाग अपनी भावी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी व्यापार नीति के अनुरूप आईएस योजना के विकास हेतु एक संचालन समिति के गठन पर विचार कर सकता है।*

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि संस्थापन योजना के पूरा होने के बाद, विभाग विभिन्न एप्लिकेशनो के बीच अतिरिक्त कार्यात्मकता निर्माण और इंटरफेस पर ध्यान दे रहा है। 17-18 जुलाई 2013 को हुई वार्षिक मुख्य आयुक्त की क्रांफ्रेस में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के कुशलता और प्रभावकारिता को सुधारने के लिए दृष्टि (समग्र कर पहलों हेतु ड्राईविंग इंर्फोमेशन सिस्टम)-आईटी विजन पर विचार विमर्श किया। इस पहल के अंतर्गत, हाई पॉवर्ड कमेटी (एचपीसी) जो दृष्टि के यथार्थीकरण के लिए एक उचित रोडमैंप तैयार करने हेतु सभी मामलों की जांच करेगा, को स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इस एचपीसी चार्टर में शामिल होंगे:

(i) दृष्टि को सफल बनाने हेतु नीतिगत उद्देश्यों की पहचान करना और औपचारीकरण करना;

(ii) व्यापार उद्देश्यों के समर्थन हेतु डाटा की पहचान करना;

(iii) व्यापार सेवाओं के समर्थन हेतु उचित आईटी आर्किटेक्चर की सिफारिश करना;

(iv) सुरक्षा, अप्रचलन और पुरालेख संबंधी नीति का सुझाव देना, और

(v) दृष्टि लागू करने के लिए किसी परामर्शदाता हेतु आवश्यकता का मूल्यांकन करना।

इसके अतिरिक्त दृष्टि सीबीईसी सदस्य (कंप्यूटरीकरण) द्वारा अध्यक्षता किये जाने वाले एक छोटे समूह की स्थापना करने की परिकल्पना भी करता है। उन विषयों का अध्ययन करने के लिए जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है एवं प्रणालियों में मौजूदा संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन का अनुक्रम/प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

सीबीईसी ने आगे (फरवरी 2013) को सूचित किया कि एचपीसी के गठन के लिए अनुमोदन उनके द्वारा 20 फरवरी 2014 को प्राप्त किया गया था।

तथापि, सीबीईसी ने न तो संदर्भ के नियमों के साथ एचपीसी के गठन से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत किए, न ही नवीनतम आईएस नीतिगत योजना की कॉपी ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई।

2.2 वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी

सीबीईसी एक आंतरिक निगरानी तंत्र जिसमें सदस्य (आईटी) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय परियोजना संचालन समिति एवं महानिदेक (प्रणाली) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति सम्मिलित करने हेतु प्रतिबद्ध था। इन समितियों में पणधारक समुदायों एवं बाहरी परामर्शदाताओं के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। तथापि, डीओएस ने कहा है कि (जून 2013) हालांकि इस प्रकार की संचालन समिति परियोजना कार्यान्वयन के समय गठित हुई थी; इसमें आवश्यक फोकस की कमी थी एवं इसका कार्यान्वयन सदस्य (कम्प्यूटराइजेशन) एवं महानिदेशक (प्रणाली) के निरीक्षण के अंतर्गत हुआ था।

फिलहाल निदेशालय के पास आईएस सुरक्षा संचालन समिति, परिवर्तन सलाहकार बोर्ड, अवसंरचना समीक्षा समिति आदि जैसी निगरानी समितियां निगरानी विशिष्ट क्षेत्रों के लिए है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में यह बताया कि इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है। हालांकि, उनके उत्तर में (फरवरी 2014) यह कहा

गया कि डीओएस ने प्रणाली जांच परिप्रेक्ष्य से 25 मूल सूचकों को अपनाया था, उनमें से कुछ अनुपालन सूचक एवं अन्य सांख्यिक/प्रतिशत सूचक हैं। इनमें उपलब्धता, घटनाएं, परिवर्तन, सुरक्षा उपभोक्ता अभिगमन एवं व्यापार निरंतरता शामिल है। इनकी त्रैमासिक सुरक्षा समीक्षा बैठकों के दौरान प्रत्येक तिमाही में सूचना सुरक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। एसआई (प्रणाली एकीकरण) दल जो कि ई-भुगतान, ई-दर्ज एवं उपभोक्ता प्रतिक्रिया समय, प्रणाली निष्पादन की निगरानी हेतु सीबीईसी के लिए दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक प्रणाली रिकार्ड बनाते है के अतिरिक्त, यहाँ पर एक परिवर्तन सलाहाकार बोर्ड (सीएबी) है जिसमें केवल सीबीईसी अधिकारी सम्मिलित हैं जो कि प्रणाली में मुख्य एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन के अनुमोदन हेतु प्रत्येक सप्ताह मिलते हैं। प्रणाली में सभी परिवर्तन सेवा प्रबंधन उपकरण में प्रविष्ट किए जाते हैं एवं तृतीय दल लेखापरीक्षकों द्वारा द्वीवार्षिक लेखापरीक्षा की जाती है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि दावा सिद्ध करने हेतु लेखापरीक्षा को परिवर्तन के संदर्भ में कोई अभिलेख/रिर्पोट प्रस्तुत नहीं किए गए थे, लेखापरीक्षा को तृतीय पक्ष के साथ सेवा स्तरीय करार अथवा उनकी द्विवार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

2.3 मानव संसाधन विकास

आईएस परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए गठित सशक्त समिति की शर्तों में से एक शर्त व्यक्तिगत मामलों से संबंधित समस्याओं एवं प्रणाली परियोजनाओं पर कार्य कर रहे स्टाफ संबंधित नीतियों पर निर्णय लेना था। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) के पैरा 5 के अनुसार, परियोजना की अवधि के दौरान आवश्यक श्रम बल और कौशल की समीक्षा हेतु एक सतत प्रक्रिया होगी। आगे सचिव (राजस्व) ने जोर दिया है (गैर-योजना व्यय (सीएनई) दिनांक 09 अगस्त 2007 लिखित ब्यौरा पर कैबिनेट समिति के पैरा 4.1) कि विक्रेता प्रबंधन के लिए क्रियाविधियां विकसित होनी चाहिए एवं परियोजना जांच की प्रक्रिया सम्पूर्ण रूप से मैसर्स प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) पर नहीं छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा, सीएनई/सीसीइए स्तर पर, अपर सचिव ने यह सुझाव दिया है कि

पीडब्ल्यूसी और आईआईटी दिल्ली के अतिरिक्त पर्याप्त आंतरिक योग्यताओंका निर्माण अवश्य होना चाहिए।

तथापि, यह पूछे जाने पर कि यदि इनकी आईसीटी प्रणालियों के चयन, भर्ती एवं कार्मिक के अवधारण हेतु कोई नीतिगत योजना है, डीओएस ने कहा कि (जून 2013) इन मामलों पर किसी भी प्रकार की नीतिगत योजना उन्हें ज्ञात नहीं है।

फिलहाल, लगभग 98 प्रतिशत सीमाशुल्क लेन-देन आईसीईएस के द्वारा किए जा रहे हैं और विभाग सीमाशुल्क राजस्व के निर्धारण एवं संचयन हेतु पूरी तरह इसकी आईएस प्रणाली पर निर्भर है। इसलिए आईएस प्रणाली के प्रबंधन के लिए तकनीकी रूप से योग्य अधिकारियों की भर्ती के लिए कार्मिक नीति नहीं होने के कारण, विभाग आंतरिक योग्यताओं/क्षमताओं के निर्माण में असफल हो रहा है और अपने बेहतर प्रबंधन के विकल्पों को सीमित कर रहा है एवं तृतीय पक्ष विक्रेता/सेवा प्रदाताओं जो आईएस प्रणालियों का प्रबंधन करते हैं के द्वारा आईएस प्रणालियों की जांच हो रही है।

सिफारिश: *सीबीईसी के आईएस प्रबंधन के प्रबंधन के लिए आंतरिक सक्षमता के विकास के लिए एक कार्मिक नीति आईटी कार्मिक की भर्ती, विकास एवं प्रशिक्षण द्वारा विभाग की आईएस प्रणाली महत्वपूर्ण मिशन को सुचारू रूप से संचालन हेतु विकसित की जा सकती है।*

सीबीईसी की आईटी प्रणालियों के प्रबंधन के लिए आंतरिक सक्षमता के विकास हेतु विभाग के महत्वपूर्ण मिशन आईटी प्रणाली के निरंतर सुचारू रूप से संचालन हेतु आईटी कार्मिक के भर्ती, विकास प्रशिक्षण एवं रोक रख कर कार्मिक नीति के विकास के संदर्भ में लेखापरीक्षा का सुझाव स्वीकार करते हुए सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा है (जनवरी 2014) कि परियोजना की जांच एवं पर्यवेक्षण हेतु वर्तमान आबंध मॉडल में प्राइस वाटरहाऊस कूपर (पीडब्ल्यूसी) द्वारा चालित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा समर्थित आईआरएस (सी एंव सीई) सम्मिलित हैं। पीडब्ल्यूसी सलाहाकार सीबीईसी अधिकारियों को केवल सहायता प्रदान करते हैं और वैसे तो पीएमयू को कोई उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं है। वस्तुत: सभी परियोजनाएं का सीबीईसी के अपर महानिदेशक (संयुक्त सचिव स्तरीय अधिकारियों) की अध्यक्षता में

परियोजना दलों द्वारा सक्रिय रूप से जांच एंव पर्यवेक्षण किया जाता हैं। तकनीकी जानकारी हेतु, तकनीकी विशेषज्ञ समूह (टीईजी) के रूप में एक औपचारिक संबद्धता क्रियाशील है एवं आईआईटी दिल्ली से तीन प्राध्यापकों का दल नियमित आधार पर दलों की सहायता करता है।

सीबीईसी ने इसके आगे कहा है कि (फरवरी 2014) सीबीईसी में आईटी व्यवस्था सदस्य (कम्प्यूटरीकरण) की अध्यक्षता में है एवं 8 अपर महानिदेशक/आयुक्त, 15 अपर/संयुक्त निदेशक; 14 उप/सहायक निदेशकों द्वारा समर्थित महानिदेशक प्रणाली से बना है। एचपीसी के गठन हेतु अनुमोदन 20.02.2014 को प्राप्त हुआ है। टीईजी के संदर्भ में, वही एकीकरण परियोजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान ही केवल क्रियाशील था वर्तमान में क्रियाशील नहीं है। तकनीकी इनपुटो के लिए, जहां आवश्यक हो, आईआईटी दिल्ली से सलाह ली जाती है। पीएमयू केवल अपर महानिदेशकों अथवा आयुक्तों की अध्यक्षता वाली व्यक्तिगत परियोजना दलों की सहायता प्रदान करता है एवं सीबीईसी के आईटी संगठन के क्रियाशील अनुक्रम का कोई भाग नहीं है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि लेखापरीक्षा के दौरान, एचपीसी, पीएमयू एवं टीईजी, डीओएस में क्रियाशील नहीं थे। आगे, सीबीईसी ने एसएलएएस द्वारा मुहैया आऊटसोर्स सेवा प्रदाताओं और डीओएस अधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिका का सामंजस्य अथवा अंतराल आंकलन प्रदान नहीं किया है।

2.4 प्रशिक्षण नीति

आईटी प्रक्रियाओं संस्करण 1.7 के पैरा 6.2.2 के अनुसार, सीबीईसी उपभोक्ताओं को आवधिक आधार पर सूचना सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं पहले से प्रशिक्षित कर्मचारियों को नए खतरों एवं प्रत्युपायों पर पुन:प्रशिक्षित करने हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए जायेंगे।

डीओएस के अनुसार, 2010 में 19,000 उपभोक्ताओं को परिवर्तन प्रबंधन एवं नेटर्वक प्रबंधन प्रशिक्षण दिए गए थे, जून 2012 में तृतीय पक्ष विक्रेताओं के लिए सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण संचालित किया गया था। किंतु नेटवर्क प्रशिक्षण पर कोई दस्तावेज़ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया एवं तृतीय

पक्ष कार्मिक के लिए सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण की प्रतिपुष्टि/फीड बैक प्रोफार्मा के अलावा, कोई भी विवरण जैसे, प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या पाठ्यक्रम सामग्री, प्रशिक्षण की अवधि, सम्मिलित विक्रेताओं के नाम आदि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। लेखापरीक्षा ने अवलोकिन किया कि विभाग ने 2010 के बाद, सीबीईसी उपभोक्ताओं को सूचना सुरक्षा पर कोई भी आवधिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया हालांकि आईटी सुरक्षा प्रणाली के पैरा 6.2.2 के अनुसार यह आवश्यक था। आगे डीओ एस ने कहा है कि विभाग अपनी वेबसाइट पर एक द्विवार्षिक सूचना सुरक्षा सूचना पत्र "सुरक्षित" प्रकाशित करता है एवं सिटरिक्स (आईसीईएस 1.5 ब्राउज़र मंच) होमपेज पर उपभोक्ताओं को दिन की एक सुरक्षा सलाह देता है। यह देखा गया कि सीबीईसी वेबसाइट पर जनवरी 2013 में "सुरक्षित" के प्रारम्भिक निर्गम के बाद, लेखापरीक्षा की तिथि तक सूचना पत्र को कभी भी अनुवर्ती रूप से जारी नहीं किया गया।

उसी तरह से, महानिदेशक निरीक्षण ने उन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सूचना की मांग की जो कि 1 फरवरी 2013 की सीबीईसी की पंचवर्षीय नीतिगत योजना हेतु कुशलतापूर्वक आईसीईएस को उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित हैं। आरएफडी एफवाई 13 में यह गतिविधियां पहले से ही सम्मिलित है; किंतु माप और सफलता सूचक आईसीटी एवं आईसीईएस के उपयोग के मामले में सरकार द्वारा पहले से लिए गए नीति निर्णय से सहसंबंधित नहीं है।

सीबीईसी ने (जनवरी 2014) में अपने उत्तर में यह कहा था कि:

1. लेखापरीक्षा दल को यह सूचित किया गया था कि एलएएन/डब्ल्यूएएन एवं लगभग 19,000 उपभोक्ताओं को दी गई परिवर्तन प्रबंधन प्रशिक्षण के दस्तावेज़ एलएएन/डब्ल्यूएएन परियोजना दल के पास उपलब्ध थे एवं वह अनुमोदन पर प्रस्तुत किए जा सकते थे। लेखापरीक्षा का यह द्वावा कि प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या, पाठ्यक्रम सामग्री, प्रशिक्षण की अवधि, तृतीय दल सुरक्षा जागरूकता प्रतिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित विक्रेता के नाम लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, तथ्यों के आधार पर

गलत है। लेखापरीक्षा दल को कार्यालय के निरीक्षण की अवधि के दौरान ये सभी उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

2. सीबीईसी की आईटी सुरक्षा प्रक्रिया की धारा 6.2.2 द्वारा अधिदेशित सुरक्षा जागरूकता पर प्रशिक्षण सामग्री इंड प्रयोक्ता प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एनएसीईएन सीबीईसी प्रशिक्षण अकादमी को उपलब्ध कराई गई थी।

3. सीबीईसी ने जनवरी 2013 में न्यूज़लेटर-सुरक्षित के उदघाटन अंक का शुभारंभ किया। न्यूजलेटर का दूसरा अंक जुलाई 2013 में प्रकाशित किया गया तथा यह सीबीईसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगला अंक जनवरी 2014 में प्रकाशित किया जाना है।

4. आईसीईसी से संबंधित प्रशिक्षण की दक्षता का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन पर आनलाइन कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या कई स्थानों (अब तक 116) पर बढ़ रही है तथा ईडीआई पर हैंडल किए जा रहे दस्तावेजों की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा, भूमिका आबंटन और निरस्तीकरण के लिए दैनिक उपयोगकर्ता प्रबंधन भी एप्लिकेशन के भाग के रूप में सीबीईसी अधिकारियों द्वारा निपटाया जा रहा है। चूँकि सीमाशुल्क कार्गो मंजूरी प्रक्रिया एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, आईसीईएस पर कार्य करने की सीमाशुल्क अधिकारियों की अक्षमता का भी कार्गो की मंजूरी पर असर पड़ा होगा।

हालांकि आरएफडी 2012-13 के संबंध में मापन और सफलता सूचकों की कमी से संबंधित लेखापरीक्षा की आपत्ति पर एनएसीईएन से जवाब मांगा गया है।

प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या, पाठ्यक्रम विषय वस्तु, लेखापरीक्षा हेतु सीबीईसी के लिए प्रशिक्षण की अवधि तथा एनएसीईएन द्वारा आईटी सुरक्षा जागरूकता में प्रशिक्षित सीबीईसी के अधिकारियों का स्तर (समूह 'क' या 'ख' अथवा 'ग') से संबंधित रिपोर्ट मांगे जाने पर सीबीईसी ने कहा (फरवरी 2014) कि कुल 19,621 उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया था जिसमें सीबीईसी के 108 आयुक्तालय शामिल थे। इसमें परिवर्तन प्रबंधन, लैन और वैन से संबंधित

प्रशिक्षण शामिल थे। प्रशिक्षण की अवधि परिवर्तन प्रबंधन के लिए 2 दिन तथा लैन और वैन के लिए 1 दिन थी। सीबीईसी की वेबसाइट में सुरक्षित को स्थापित करने के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षित न्यूजलेटर का जुलाई का अंक हार्ड कॉपियों के रूप में प्रकाशित किया गया था और 17वीं एवं 18वीं जुलाई, 2013 को आयोजित मुख्य आयुक्त कांफ्रेन्स के दौरान परिचालित किया गया था। जहां तक सॉफ्टकापी अपलोड करने का संबंध है, प्रकाशक द्वारा हिंदी संस्करण के सुधार के बाद न्यूजलेटर को 8 अक्टूबर, 2013 को वेबसाईट पर अपलोड किया गया जो अनुपयोगी, अपठनीय रूप में प्राप्त हुआ।

प्रणाली के सुचारू रूप् से संचालन में दक्षता निर्माण, प्रशिक्षण और अद्यतन में सीबीईसी की भूमिका के जवाब में सीबीईसी ने कहा (फरवरी 2014) कि जबकि समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, मुख्य जोर "काम पर" प्रशिक्षण पर है क्योंकि आईसीईएस 1.5 एक गतिशील एप्लिकेशन है। आईसीईएस 1.5 पर प्रशिक्षण सामग्री एनएसीईएन के साथ साझा की गई है जो विभिन्न ग्रेड/स्तरों के अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन पर प्रशिक्षण आईआरएस प्रोबेशनरों तथा अन्य अधिकारियों के लिए एनएसीईएन पर नियमित पाठ्यक्रम विषयवस्तु का एक भाग है। एनआईसी/एनआईसीएन कार्मिक बड़े आईसीईएस स्थानों पर तैनात हैं जो आवश्यकतानुसार अधिकारियों को प्रशिक्षिण देते हैं। छोटे स्थानों पर नजदीकी स्थानों से एनआईसी और एनआईसीएसआई की सहायता से अनुरोध के आधार पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी स्थानों पर आईसीईएस प्री-प्रोडक्शन परिवेशन में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की सुविधा उपलब्ध है। विस्तृत अनुदेश जारी किए जाते हैं जैसा और जब भी नई पैच/क्रियाकलाप का कार्यान्वयन किया जाता है। प्रभाव और प्रस्तावित परिवर्तनों से निपटने के लिए अधिकारियों और शेयरधारकों को निर्देश और सुझाव देने के लिए नए क्रिया कलापों के संबंध में समय-समय पर उचित सुझाव भी जारी किए जाते हैं।

आरएफडी 2012-13 के संबंध में पैमाइश और सफलता सूचकों के अभाव में सीबीईसी ने स्पष्ट किया (फरवरी 2014) कि आरएफडी 2012-13 में अपेक्षित था कि क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारी एसीईएस एवं आईसीईएस में आईटी कौशल

के लिए अधिकृत हों। मापदण्ड मूल्य/लक्ष्य के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक की सामर्थ्य को उत्कृष्ट का सूचकांक दिया गया। आरएफडी 2012-13 में निर्धारित लक्ष्य मूल्य के संबंध में 'उत्कृष्ट' मूल्यांकन प्राप्तकरने वाले कुल 26,330 कार्यकारी अधिकारियों में से एनएसीईएन ने 9490 को अधिकृत किया। आईसीईसी से संबंधित प्रशिक्षण की दक्षता का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन पर आनलाइन कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या में कई स्थानों (अब तक 116) पर बढ़ रही है तथा ईडीआई पर हैंडल किए जा रहे दस्तावेजों की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा, भूमिका आबंटन और निरस्तीकरण के लिए दैनिक उपयोगकर्ता प्रबंधन भी एप्लिकेशन के भाग के रूप में सीबीईसी अधिकारियों द्वारा निपटाया जा रहा है।

आगामी लेखापरीक्षाओं के दौरान उपरोक्त को जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

2.5 आईएस सुरक्षा

सीमाशुल्क विभाग की आईसीटी प्रणाली को जुलाई 2011 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) से मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) द्वारा आईएसओ 27001 सुरक्षा प्रमाण पत्र दिया गया और ई-शासन में सुरक्षा के लिए डाटा का उंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) एक्सलेंस अवार्ड 2012 दिया गया। डीओएस ने आईएसओ 27001 की आवश्यकताओं के अनुसार आईएस नीतियों और प्रक्रियाओं को अद्यतन किया तथा तीसरी पार्टी लेखापरीक्षकों (टीपीए), मै. प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा द्विवार्षिक आईएस सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संचालनात्मक पासवर्ड नीति की कुछ विशेषाताएं जैसे पासवर्ड संयोजन आवश्यकताएं, अनुपयोग लॉगिन प्रयासों से अकाउन्ट लाकआउट इत्यादि सूचना सुरक्षा प्रक्रिया वी 1.7 के अभिलिखित पासर्वड नीति (पैराग्राफ 9.2.3 उपयोगकर्ता पासवर्ड प्रबंधन) से अलग थे। संचालन पासवर्ड नीति में सामान्य उपयोगकर्ताओं (व्यापार) तथा रियायती उपयोगकर्ताओं (प्रशासक इत्यादि) के लिए अलग सुरक्षा विशेषताएं है जबकि अभिलिखित पासवर्ड नीति में विभिन्न श्रेणी के उपयोगकर्ताओं के लिए अलग नीतियां नहीं बनाई गई हैं। न ही इसमें सामान्य उपयोगकर्ताओं के विफल लॉगिन प्रयासों की संख्या में छूट दी गई है, जैसा कि संचालन नीति में

अनुमत किया पाया गया। डीओएस ने कहा कि प्रक्रिया दस्तावेज की समीक्षा की जा रही है और इन परिवर्तनों को वार्षिक संशोधन में शामिल किया जा रहा है। डीओएस के उत्तर से पुष्टि होती है कि सुरक्षा एप्लिकेशनों वाले मुद्दे से संबंधित परिवर्तनों को अभिलिखित प्रक्रियाओं के वर्तमान वैध संस्करण में प्रावधानों को बताए बिना ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

सिफारिश: *तार्किक सुरक्षा अवयवों के प्रचालन विशेषताओं में कोई परिवर्तन जैसे- पासवर्ड नीति को परिवर्तनों के समुचित प्राधिकरण तथा दस्तावेजीकरण के पश्चात ही निरपवाद रूप से कार्यान्वित किया जाए।*

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में कहा कि आईसीईएस उपयोगकर्ताओं के संबंध में पासवर्ड नीति के एक चरणबद्ध कार्यान्वयन का निर्णय पूरी तरह से प्राधिकृत था और त्रैमासिक सुरक्षा समीक्षा बैठक में दर्ज है। लेखापरीक्षा को बताया गया कि नीति का कार्यान्वयन अन्य श्रेणी के उपयोगकर्ताओं हेतु किया गया था।

सीबीईसी ने आगे कहा, जैसा कि सीबीईसी की सुरक्षा प्रक्रिया दस्तावेज में उल्लेख है, दस्तावेज की वार्षिक समीक्षा की जाती है। हालांकि, यह सीबीईसी की बिजनेस कॉल है कि वह चरणबद्ध तरीके से यह परिवर्तन करें। चूँकि अप्रत्यक्ष कर विशेषत: सीमाशुल्क का गतिशील कार्य परिवेश है, वर्ष में कई बार दस्तावेजीकरण में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। सभी परिवर्तनों में परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का पालन किया जाता है और दस्तावेजीकरण में अपेक्षित परिवर्तनों को वार्षिक समीक्षा के दौरान संबंधित दस्तावेज में शामिल किया जाता है। इस पर भी जोर दिया गया कि कारोबारी आवश्यकताओं को पासवर्ड नीति में परिवर्तन लागू करने जैसे मुद्दों को बताना चाहिए साथ ही वार्षिक समीक्षा के भाग के रूप में प्रक्रिया दस्तावेजों में भी शामिल किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को बताया गया कि संबंधित दस्तावेज वार्षिक समीक्षा के दौर से गुजर रहा था।

सीबीईसी ने आगे कहा (फरवरी 2014) कि परिवर्तन प्रबंधन दस्तावेज केवल सीबीईसी के भीतर आंतरिक परिचालन के लिए है और सम्पूर्ण दस्तावेज को साझा करने के लिए प्रतिबन्ध हैं। यह हालांकि सीबीईसी परिसरों में निरीक्षण

हेतु उपलब्ध है। सुरक्षा प्रक्रिया दस्तावेज केवल सीबीईसी के भीतर ही परिचालित करने हेतु प्रतिबंधित दस्तावेज है।

उत्तर सवीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा सीबईसी परिसरों में की गई थी लेकिन डीओएस ने दस्तावेज नहीं दिये।

2.6 आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा

पैराग्राफ 6 और दिनांक 26 नवम्बर 2007 की कैबिनेट टिप्पणी के अनुबंध 4 के अनुसार, टीपीए को कार्यात्मक लेखापरीक्षा हेतु तैनात करना होगा; तदनुसार मै. पीडब्ल्यूसी छमाही सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षायें तथा आईटी परिसम्पतियों और विभिन्न सेवा प्रदाताओं/वेंडरों द्वारा किए गए सेवा विधिक करारों (एसएलएज़) की तिमाही लेखापरीक्षा करता रहा है। लेखापरीक्षा ने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई निवारक कार्रवाई प्रक्रिया संस्करण 1.2 में विभागीय अधिकारियों या टीपीए द्वारा आईटी प्रणाली के किसी एप्लिकेशन की लेखापरीक्षा/समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। डीओएस ने बताया कि एसटीक्यूसी ने आईसीईएस एप्लिकेशन की लेखापरीक्षा की है तथा ओरेकल ने आईसीईएस की कोड समीक्षा की है। तथापि, एसटीक्यूसी द्वारा लेखापरीक्षा में केवल सुरक्षा पहलू शामिल हैं और कोड समीक्षा कार्यक्रमों की सटीकता की जांच करता है। न तो एसटीक्यूसी और न ही ओरेकल ने ही निहित कारोबार प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और कारोबारी नियम बनाने की सटीकता की समीक्षा की जिसे आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन में अपूर्ण पाया गया, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि एक आईएस संगठन में व्यापक राजस्व निहितार्थ के साथ आईसीईएस एक महत्पूर्ण एप्लिकेशन जिसमें निम्नलिखित के लिए डाटाबेस ओएस, बुनियादी ढांचा, एप्लिकेशन हार्डवेयर की लेखापरीक्षा की आवश्यकता होती है:

I. आईटी सुरक्षा लेखापरीक्षा
II. मैलवेयर विश्लेषण
III. स्रोत कोड समीक्षा
IV. एप्लिकेशन विन्यास समीक्षा

V. आईसीटी बुनियादी ढांचा विन्यास समीक्षा

VI. एप्लिकेशन-ओएस-हार्डवेयर-नेटवर्क निष्पादन समीक्षाएं,

VII. दोषपूर्णता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी)

VIII. एप्लिकेशन परिवर्तन प्रबंधन के लिए प्रणाली जनित लॉग्स का विश्लेषण

IX. वेब एप्लिकेशन सुरक्षा (डब्ल्यूएएस) निर्धारण

X. तैनात पैचेज़ की वैधता और प्रोटोकॉल कार्यक्षमता

XI. एसएलए (सेवा स्तर करार) सूचकों का विश्लेषण और एसएलए सूचकों को मानीटर और परिकलन करने का तंत्र

XII. आईटी प्रणाली की निरंतरता सुनिश्चत करने के लिए लगाई गई तकनीक की समीक्षा

XIII. आईटी अधिनियम का अनुपालन

XIV. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन

विभिन्न परियोजनाओं की व्यापक आउटसोर्सिंग और अनुरक्षण गतिविधियों को देखते हुए सरकार को सेवा स्तर करार समीक्षा का नीतिगत नियंत्रण, स्रोत संहिता समीक्षा तथा आईटी ढांचे और एप्लिकेशन की निष्पादन लेखापरीक्षा को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। तदनुसार, एसएलएज् की तत्काल समीक्षा की जाए।

सिफारिश: *विभाग एप्लिकेशन (आईसीईएस 1.5) में सुधारों का सुझाव देने तथा कमियों का पता लगाने के लिए आवधिक रूप से लेखापरीक्षित अपने कोर एप्लिकेशन की जांच करने पर विचार करें। सरकार के पास अनिवार्य रूप से नीतिगत नियंत्रण होना चाहिए तथा तदनुसार एसएलएज़् की तत्काल समीक्षा की जाए।*

विभाग ने सिफारिशें स्वीकार की तथा कहा कि विभाग ऐसी लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक स्कील सेट की जांच करेगा तथा सीबीईसी के तहत उचित निदेशालय को कार्य आबंटित करेगा। प्रत्येक निर्देशिका के संदर्भ में शर्ते सीबीईसी के संवर्ग पुनर्गठन के कारण समीक्षा के अन्तर्गत है तथा उपयुक्त एजेंसी को उचित कार्रवाई का कार्य सौंपा जाएगा।

अभी तक लेखापरीक्षा सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है इसलिए केवल बाद की लेखापरीक्षा में ही आश्वासन देखा जा सकता है।

2.7 सीआरए मॉडयूल में कमी

(i) आईसीईएस 1.5 लागू होने के पश्चात् बीई तथा एसबी लेखापरीक्षा करने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र से आईसीईएस 1.5 तक पहुँचने हेतु सीआरए अधिकारियों को एसएसओआईडी जारी किया गया। तथापि, यह पाया गया कि एसबी के लिए चयन करते समय लेखापरीक्षा हेतु केवल रद्द परिष्कृत एसबी का चयन किया गया। इसे इस रिपोर्ट के माध्यम से सीआरए मॉड्यूल (परिशिष्ट ख) में अन्य ग्यारह निहित कमियों के अलावा मई 2012 तथा फरवरी 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया परन्तु सुधार नहीं किया गया।

(ii) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 में वित्त अधिनियम 2011 की धारा 42 द्वारा माल की निकासी की तिथि से छह माह से एक वर्ष तक के आयात के सदंर्भ में मांग वृद्धि के लिए अवधि को बढ़ाते हुए 8 अप्रैल 2011 से प्रभावी संशोधन किया गया। तथापि, इस परिवर्तन को आईसीईएस प्रणाली जहां केवल वर्तमान तिथि से छह माह तक के लिए लेखापरीक्षा योग्य दस्तावेजों का चयन करना संभव है, में उपलब्ध सीआरए मॉडयूल में सम्मिलित नहीं किया गया है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि 1 वर्ष की अवधि के लिए दस्तावेज प्राप्त करने हेतु सुविधा देने के लिए बहुत अधिक प्रसंस्करण बुनियादी ढ़ांचे की आवश्यकता है। इस प्रकार के सुधार अधिकतम प्रभावित करते है तथा इसलिए डीओएस को ऐसे संशोधन की व्यवहार्यता की जांच करनी होगी तथा मामलें का निपटान करना होगा।

सीबीईसी को विन्यास तथा स्मृति प्रबंधन पर लेखापरीक्षा को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) इसी प्रकार, सीआरए मॉडयूल में अनुक्रमिक क्रम में प्रत्येक मद का विवरण देखने के अलावा एक से अधिक मदों वाले बीई में जाने के लिए तथा किसी विशिष्ट मद को देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरणार्थ, 100

मदों वाले बीई में 100$^{वीं}$ मद पर जाने के लिए 'स्क्रॉल/एन्टर' को 200 बार प्रेस करने की आवश्यकता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि डीओएस को सीआरए मॉडयूल मे इस मामले का पता है। सीआरए मॉडयूल मूल्याकंन के दौरान मूल्यांकन अधिकारी को उपलब्ध आईसीईएस आवेदन के साथ श्रृंखला में है जिस पर पंक्ति के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। यह माना जाता है कि लेखापरीक्षा एक समान होगी। यदि लेखापरीक्षा को अन्य विवरण की आवश्यकता हो, तो इसे सिस्टम में उपलब्ध एमआईएस रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए, वर्तमान प्रक्रिया में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि आईसीएस का अभिन्न भाग होने के नाते लेखापरीक्षा केवल सीआरए मॉडयूल की कमियों को दर्शाता है, यहां प्रमुख मामला लेखापरीक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करना है। इसके अतिरिक्त, आईसीईएस 1.5 में सीआरए मॉड्यूल में निहित कमियों को पैराग्राफ संख्या 2.7 (i) में बताया गया था। इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षक की भूमिका को लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के साथ-साथ जांच के स्तर के अनुसार एक निर्धारण अधिकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है। लेखापरीक्षा की अनिवार्यता को लेखापरीक्षा द्वारा सीबीईसी को इस रिपोर्ट सहित कई मंचो पर बताया गया है।

2.8 जारी एसएसओआईडी की निगरानी

डीओएस नियुक्त नोडल अधिकारी के अनुरोध के आधार पर स्थानीय उपयोगकर्त्ता को ईडीआई प्रणाली तक पहुँचने के लिए एकल साइन पहचान (एसएसओआईडी) जारी करता है। एसएसओआईडी जारी करने के पश्चात्, क्षेत्रीय स्तर पर प्रणाली प्रबधंन/आयुक्तालय प्रशासन एसएसओआईडी गतिविधि के लिए प्रयोग तथा मॉनीटर के अन्दर कोई कार्य करने के लिए आवश्यक भूमिका/विशेषाधिकार प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 19 ईडीआई स्थानों जहां अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी, में से 10 पर प्रणाली प्रबधंक/प्रशासक के पास 31 मार्च 2013 तक जारी एसएसओआईडी

की संख्या उपलब्ध नहीं थी जो यह दर्शाता है कि स्थानीय प्रणाली प्रशासक द्वारा इन स्थानों पर एसएसओआईडी गतिविधियों को मानीटर नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, चेन्नई सागर, चेन्नई वायु, तूतीकोरिन, मुम्बई जोन II जेएनसीएच, मुम्बई जोन III एसीसी (आयात एवं सामान्य), नई दिल्ली, आईसीडी तुगलकाबाद, एसीसी नई दिल्ली, आईसीडी मंडीदीप, आईसीडी पीथमपुर, अहमदाबाद और कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय ने कहा है कि सिस्टम प्रबंधक को आयुक्तालय के अन्तर्गत ईडीआई स्थान के लिए जारी एसएसओआईडी की स्थिति पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

सीबीईसी ने डीजी (प्रणाली) के दिनांक 15 दिसम्बर 2008, 18 सितम्बर 2014 तथा 23 फरवरी 2013 के पत्र का हवाला देते हुए अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2014) कि ईडीआई स्थानों पर सभी सिस्टम उपयोगकर्त्ताओं की मासिक समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया लागू की जाती है क्योंकि स्थानान्तरण, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति के कारण परिवर्तन को न्यायसंगत माना जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है कि सिस्टम प्रबधंकों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में जारी एसएसओआईडी पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।

ऐसे मामलों जहां क्षेत्रीय संगठन बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन नहीं कर रहा था, में मॉनीटरिंग तंत्र के संदर्भ में, सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2014) कि एक केन्द्रीय एसआई टीम उपयोगकर्त्ताओं को जारी एसएसओआईडी को मॉनीटर करती है। सिस्टम में उपयोगकर्त्ता की जन्म तिथि के आधार पर उस माह में सेवानिवृत उपयोगकर्त्ताओं को केन्द्रीय टीम प्रत्येक माह निष्क्रिय करती है। पिछले छह माह में अनुपयुक्त वीपीएन आईडीज को निष्क्रिय करने हेतु उपयोगकर्त्ताओं के लिए वीपीएनआईडी विश्लेषण किया जाता है। एक सक्रिय उपाय के रूप में, एक इलेक्ट्रॉनिक उपयोगकर्त्ता एक्सेस प्रबंधन (यूएएम) उपकरण को विकसित किया गया है जो वर्तमान में परीक्षण के अन्तर्गत है।

इसे आगामी लेखापरीक्षा में प्रमाणित किया जाएगा।

2.9 आरएमएस निर्यात मॉड्यूल के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब

डीओएस द्वारा मै. बिरलासॉफ्ट लिमिटेड को 24 अगस्त 2004 को प्रदान किए गए करार तथा 20 जुलाई 2005 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, विक्रेता को करार देने के 115 दिनों के अन्दर आबंटन, इंस्टॉल तथा आरएमएस आयात, निर्यात कमीशन तथा पोस्ट लेखापरीक्षा मॉडयूल करना था। आरएमएस आयात मॉड्यूल को एसीसी, सहार में 7 दिसम्बर 2005 को तथा आईसीडी मुलुन्द तथा आईसीडी पटपड़गंज में 15 जुलाई 2013 को आरएमएस निर्यात मॉड्यूल को लागू किया गया।

इस प्रकार, आरएमएस आयात के कार्यान्वयन में एक वर्ष का तथा आरएमएस निर्यात मॉडयूल को प्रारम्भ करने में लगभग नौ वर्षों का विलम्ब हुआ।

यह बताए जाने पर, आरएमडी, मुम्बई ने कहा (अगस्त 2013) कि विक्रेता के नियंत्रण के बाहर आवश्यकताओं के निर्धारण में विलम्ब, आंकड़ों के संकलन में समस्याएं, आईसीईएस अनुप्रयोग में आवश्यक परिवर्तन आदि जैसे न्यायोचित कारणों से चूक हुई। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि आरएमएस निर्यात मॉडयूल के लिए आवश्यकताओं तथा कोड्स को आयात मॉड्यूल के लिए आरएमएस के लागू करने के पश्चात् अंतिम रूप दिया गया तथा निर्यात मॉडयूल को अप्रैल 2009 से पूर्व विकसित किया गया तथा यह आईसीडी दादरी में परीक्षण के अन्तर्गत था। लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि केन्द्रीय पर्यावरण की ओर स्थानान्तरण वाली आईटी समेकित परियोजना शुरू हो गई थी जिसने आईसीईएस निर्यात मॉडयूल के कार्य प्रवाह के साथ-साथ निर्यात के लिए आरएमएस सॉफ्टवेयर में बदलाव को अनिवार्य बना दिया था।

सीबीईसी के दिनांक 24 जून 2013 के परिपत्र के अनुसार, निर्यात के लिए आरएमएस के प्रारम्भ की घोषणा करते हुए इसने अपनी वर्तमान व्यापार प्रक्रिया की पुन: इंजीनियरिंग की पहल जोकि आयात के लिए आरएमएस की शुरूआत का अभिन्न हिस्सा था, की निरन्तरता में निर्यात के लिए आरएमएस प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। आगे यह कहा गया कि शिकायत निर्यात कार्गों की निकासी में तीव्रता लाने के माध्यम से निर्यात हेतु आरएमएस इसमें लगने वाले समय में कमी करने में योगदान देगा जिससे लेन-देन की लागत

में कमी करने के तथा व्यवसाय को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा।

इस प्रकार, उसी समय एक व्यवसाय प्रक्रिया पुन: इंजीनियरिंग की शुरूआत की गई क्योंकि स्वयं विभाग द्वारा दावित रूप में इसके प्रारम्भ से होने वाले लाभ सहित आयात के लिए आरएमएस में इस मॉड्यूल की कम महता से हुए धीमे कार्यान्वयन तथा आरएमएस आयात मॉडयूल कार्यान्वित होने के पश्चात इसे विकास हेतु लेने के कारण लगभग नौ वर्षों का विलम्ब हुआ।

बोर्ड द्वारा जून 2013 तक कार्गों निकासी के समय को कम करने के लिए सिस्टम की प्रभावोत्पादकता तथा क्षमता को मापने के लिए कोई 'टाइम रिलीज अध्ययन' नहीं किया गया। बोर्ड ने सूचित किया कि उन्होंने विभिन्न सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार में जून 2013 में 'टाइम रिलीज अध्ययन' का गठन किया है तथा विभिन्न सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार द्वारा निष्कर्ष प्रतीक्षित है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में यह भी कहा (जनवरी 2014) कि:

(i) आरएमएस को विशेषत: आरएमएस-निर्यात के संदर्भ में अनिवार्य रूप से एक व्यापार सुविधा उपाय के रूप में देखा जाता है न कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के एक उपकरण के रूप में। आरएमएस निर्यात को दिसम्बर 2005 में कार्यान्वित किया गया तथा आरएमएस अनुप्रयोग को विक्रेता द्वारा तैयार किया गया और जांच हेतु 2009 में लिया गया। आरएमएस-निर्यात के कार्यान्वयन में विलम्ब के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विलम्ब निर्यात पर आयात को कम महत्व देने के कारण नहीं अपितु विभिन्न प्रचालन कारणो से हुआ। प्रारंभिक रूप से, सीमा शुल्क को वितरक परिवेश में चलाया गया तथा आरएमएस 2.7 को पुराने सीमा शुल्क अनुप्रयोग पर चलाने के लिए विकसित किया गया (आईसीईएस 1.0)। तथापि, 2008 में देर से सीबीईसी ने सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा एक केन्द्रीकृत परिवेश से आईसीईएस तथा आरएमएस अनुप्रयोग के लिए एक केन्द्रीकत सरंचनात्मक ढांचे (डाटा सेन्टर आदि) की स्थापना की। आदर्श रूप में, आईसीईएस, आईसीईजीएटीई तथा आरएमएस नामत: सभी तीनों सीमा शुल्क अनुप्रयोगों में एक एकल एकीकृत अनुप्रयोग किया जाना चाहिए। परन्तु जब से इन कार्यों को एक समयावधि हेतु सीबीईसी द्वारा लिया गया, तब से कार्य अलग-अलग

विक्रेताओं जिन्होंने पृथक अनुप्रयोग किया, को दिया गया। सभी तीनों अनुप्रयोगों को एक दूसरे के साथ संगत बनाना, अन्य अनुप्रयोगों में एक आवश्यक परिवर्तन/संशोधन में बदलाव करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

(ii) इसी दौरान, निर्यात पक्ष पर दस्तावेजों की संख्या में एक घातांकी वृद्धि थी तथा इसमें निर्यात आरएमएस के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता थी। अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं के बिना आरएमएस निर्यात लागू करने से निर्यात निकासी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बुनियादी सुविधाओं को अगस्त 2012 के दौरान अंतिम रूप से सवंर्धित किया गया तथा संगत मुद्दों को हल करने, अन्य एकीकरण परीक्षण करने तथा अनुप्रयोग में आवश्यक परिवर्तन करने के पश्चात् तथा जून 2013 में सीबीईसी द्वारा परिपत्र जारी होने के पश्चात्, निर्यात आरएमएस को अंतिम रूप से 15 जुलाई 2013 को लागू किया गया तथा व्यापार असुविधा से बचने के लिए स्तरों में राष्ट्रीय रोल-आउट योजना बनाई गई।

(iii) वर्तमान में, 85 स्थानों में निर्यात आरएमएस कार्यान्वित किया जाता है। शेष 4 स्थानों जहां मध्य फरवरी 2014 तक आरएमएस-आयात भी कार्यरत है, में निर्यात आरएमएस को पूर्ण क्रियान्वित करना निर्धारित है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में आगे कहा (फरवरी 2014) कि व्यापार सुविधा तथा प्रवर्तन के बीच एक उचित सतुंलन बनाए रखने के लिए आरएमएस एक उपकरण है। लेखापरीक्षा ने टिप्पणी की कि यदि उसमें आरएमएस (आयत/निर्यात) की रोलिंग आउट के पश्चात् निर्धारित संकेतक के प्रति व्यापार सुविधा तथा उपलब्धि पर सीबीईसी द्वारा अपनाए गए संकेतक थे, तो इसका लेखापरीक्षा को संकेत देने के लिए कोई रिपोर्ट/रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यापार सुविधा एक व्यापक शब्द है तथा इसमें कई अमूर्त तथा बिना मापन के लाभ हैं जो एक आयातक/निर्यातक के लिए उत्पन्न होता। उदाहरण हेतु, एक मजबूत आरएमएस अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी)/अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) आदि जैसी व्यापार सुविधा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाता है जिसका लगभग 90-92 का अधिक उच्चतर सुविधा स्तर है। इसके अलावा सीबीईसी के दिनांक 02 सितम्बर 2011 के परिपत्र ने एसीसी हेतु 80

प्रतिशत, समुद्री बन्दरगाहों हेतु 70 प्रतिशत तथा आईसीडी के लिए 60 प्रतिशत सुविधा स्तर निर्धारित किया। आदर्श सुविधा स्तर तक पहुँचने के लिए प्रयास किए गए है। तथापि, सरलीकरण तथा प्रवर्तन को सतुंलित किया जाना है, एयर कार्गों के लिए वर्ष 2013-14 में आयात मॉडयूल में सुविधा का वर्तमान स्तर 62 प्रतिशत, समुद्र का 45 प्रतिशत तथा आईसीडी का 42 प्रतिशत था।

निर्यात पक्ष पर, आरएमएस निर्यात के कार्यान्वयन के पूर्व सुविधा स्तर लगभग 50 प्रतिशत था। आरएमएस निर्यात के रोल आउट के पश्चात्, वर्तमान सुविधा स्तर 78 प्रतिशत है। तथापि, यह देखा जा सकता है कि सुविधा का स्तर व्यापार द्वारा डीजीएफटी तथा बदंरगाह वार पैटर्न/डिग्री/अनुपालन की प्रवृति/गैर-अनुपालन आदि जैसे अन्य पणधारियों से अनुपालन आवश्यकताओं सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए यदि सीमा शुल्क अकेला अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाता है तब भी सुविधा स्तर वांछित स्तर तक नहीं पहुँच सकता, भले ही कुछ अन्य एजेंसी से एक नई अनुपालन आवश्यकता है।

अपेक्षित बुनियादी ढ़ांचे के बिना आरएमएस निर्यात का कार्यान्वयन निर्यात निकासी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। निर्यातकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, सीबीईसी ने आरएमएस निर्यात की रोलिंग आउट से पूर्व बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। बुनियादी सुविधाओं को अंतिम रूप से अगस्त 2012 के दौरान सवंर्धित किया गया तथा सुसंगत मामलों के निपटान के पश्चात् आगे एकीकरण परीक्षण तथा अनुप्रयोग में आवश्यक सुधार किए गए और सीबीईसी द्वारा दिनांक 24.06.2013 का परिपत्र जारी करने के पश्चात्, निर्यात आरएमएस को 15 जुलाई 2013 को अंतिम रूप से लागू किया गया। व्यापार की असुविधा से बचने के लिए, चरणों में राष्ट्रीय रोल-आऊट की योजना बनाई गई। इससे केवल यह सुनिश्चित होता है कि सीबीईसी की स्वचालन योजना में निर्यातक का हित सर्वोपरि था।

सीबीईसी ने स्वीकार किया कि आईसीईएस 1.5 वर्जन हेतु माइग्रेशन सहित विभिन्न परिचालन कारणों की वजह से आरएमएस निर्यात मॉडयूल के

कार्यान्वयन में काफी विलम्ब हुआ। तथापि, जून 2010 में आईसीईएस 1.5 माइग्रेशन के पश्चात् भी, इसने चरणों में धीरे-धीरे रोल आउट करने के लिए तीन वर्षों का समय लिया। यह उल्लेख किया गया कि व्यापार सुविधा के लिए आईसीईएस/आरएमएस अनिवार्य था। तथापि, यदि इसमें आरएमएस (आयात) /आरएमएस (निर्यात) की रोलिंग आउट के पश्चात् सेट संकेतक के प्रति व्यापार सुविधा तथा उपलब्धि पर सीबीईसी द्वारा अपनाए गए संकेतक थे तो इसका संकेत देने के लिए लेखापरीक्षा को कोई रिपोर्ट/रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

विभाग का दावा कि निर्यात की ओर दस्तावेजों की संख्या में घातांकी वृद्धि थी, लेखापरीक्षा के इस तर्क की पुष्टि करता है कि सीबीईसी ने न तो निर्यात की प्रवृति की परिकल्पना की तथा न ही निर्यात को पर्याप्त प्राथमिकता दी।

2.10 पश्च अनुमति लेखापरीक्षा (पीसीए) का निष्पादन

स्व-निर्धारण को प्रभावी तरीके से लागू करने तथा व्यापार के लिए इसके लाभों को सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने निर्णय लिया कि आरएमएस के तहत वर्तमान सुविधा स्तर को काफी बढ़ाया जाना चाहिए। तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 02 सितम्बर 2011 के परिपत्र के अनुसार, जोखिम नियमों तथा जोखिम मापदण्डों को युक्तिसंगत बनाकर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बन्दरगाहों तथा आईसीडी के मामलें में सुविधा स्तर को क्रमश: 80, 70 तथा 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 13 जून 2012 के बोर्ड परिपत्र के अनुसार, एक ही समय में उच्चतर सुविधा को पीसीए/पीसीसीवी[1] स्तर पर बीई की अधिक संवीक्षा की आवश्यकता के लिए किया गया है। इसलिए, यह अनुभव किया गया कि पीसीए के लिए चयनित बीई की प्रतिशत को संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा बढ़ाए जाने की जरूरत है। अत: बोर्ड ने निर्देश दिए कि जब आयातकों की सभी श्रेणियों के लिए ओएसपीसीए[2] को लागू करने योग्य बनाया गया तब सीमाशुल्क में पीसीए के लिए चयनित बीई की प्रतिशत को राजस्व हित की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। बोर्ड ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि सीमाशुल्क के

[1] पश्च-निकासी अनुपालन सत्यापन

[2] ऑन साइट पश्च अनुपालन लेखापरीक्षा

संबंधित मुख्य आयुक्तों को अपने क्षेत्राधिकार में स्टॉफ की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए तथा लेखापरीक्षा कार्य के लिए अधिक श्रमबल पुन: आबंटित करना चाहिए क्योंकि घटती जांच के अनुसार बढ़ी सुविधा ने माल की जांच के लिए स्टॉफ की कम आवश्यकता को बताया था। अत: यह जरूरी था कि अतिरिक्त स्टॉफ को सीमाशुल्क में पीसीए तथा एसआईआईबी[3] जैसी गतिविधियों के लिए बांटना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 19 ईडीआई स्थानों पर आरएमएस सुविधा स्तर तथा पीसीए कार्य के संदर्भ में, चेन्नई समुंद्र, तूतीकोरिन, कोच्चि समुंद्र तथा मुम्बई जोन II एनसीएच पोर्टों में आरएमएस सुविधा की प्रतिशतता परिपत्र में निर्देशित स्तर से कम थी जबकि मुम्बई जोन I एनसीएच, गोवा, नागपुर, आईसीडी, तुगलकाबाद, आईसीडी पटपड़गंज तथा कोलकाता पोर्ट के मामले में, आरएमएस सुविधा की प्रतिशतता परिपत्र में निर्दिष्ट स्तर से काफी अधिक थी जैसाकि परिशिष्ट त में वर्णित है।

तथापि, कोलकाता पोर्ट तथा एयरपोर्ट, मुम्बई एनसीएच, गोवा, आईसीडी तुगलकाबाद तथा आईसीडी पटपड़गंज द्वारा प्रस्तुत लगभग 100 प्रतिशत की आरएमएस सुविधा के आंकड़े अवास्तिवक प्रतीत हुए तथा इसलिए इनकी वर्ष 2012-13 के लिए इन ईडीआई स्थानों से संबंधित आईसीईएस 1.5 आंकडों के प्रति जांच की गई। यह पाया गया कि प्रस्तुत आंकड़े वास्तविक आरएमएस सुविधा स्तर की तुलना में गलत थे जो बोर्ड के परिपत्र के अनुसार बेंचमार्क स्तर से कम 35 से 64 प्रतिशत तक भिन्न थे।

इसके अलावा, एनसीएच मुम्बई जोन I, पुणे, गोवा, चेन्नई समुद्र आयुक्तालय, आईसीडी तुगलकाबाद, पटपड़गंज, नई दिल्ली एनसीएच, कोलकाता पोर्ट तथा एयरपोर्ट में, दिनांक 13 जून 2012 के बोर्ड परिपत्र के निर्देश के विपरीत पीसीए के लिए चयनित आरएमएस बीई की प्रतिशतता कम हुई है जैसाकि अनुबंध थ में दर्शाया गया है।

[3] विशेष जाँच और खुफिया शाखा

यह भी देखा गया कि इन सीमाशुल्क स्थानों पर विभाग द्वारा गलत निर्धारण का पता लगाने की कोई गुजांइश छोड़े बिना आईसीडी मंडीदीप तथा आईसीडी पीथमपुर में कोई पीसीए विंग नहीं बनाया गया है।

19 ईडीआई स्थानों द्वारा पीसीए कार्य पर प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्ट की जानकारी से यह पता चला कि चेन्नई तूतीकोरिन, कोच्चि समुद्र सीमाशुल्क, आईसीडी तुगलकाबाद, एनसीएच नई दिल्ली, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट तथा अहमदाबाद ऐसी रिपोर्टें बना रहे थे तथा मुख्य आयुक्तों और/अथवा डीजी (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत कर रहे थे, परन्तु केवल समुद्री सीमाशुल्क (चेन्नई तथा कोच्चि) तथा तूतीकोरिन सीमाशुल्क आरएमडी, मुम्बई को रिपोर्ट अग्रेषित कर रहे थे। आरएमएस सुविधा निर्धारण में, क्या स्वीकृत आरएमएस सुविधा सही थी अथवा नहीं, इसे सुनिश्चित करने का एक मात्र तरीका पश्च् अनुमति बीई की लेखापरीक्षा करना है। प्रत्येक ईडीआई स्थान पर पीसीए विंग द्वारा आरएमएस सुविधा के मामलें में निर्धारण में चूकों का पता लगाने की प्रवृति आरएमएस की प्रभावकारिता पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। आरएमडी, मुम्बई को ऐसी रिपोर्टिंग के अभाव में, यह प्रतीत होता है कि आरएमडी द्वारा आरएमएस को सुधारने के लिए व्यापक इनपुटों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा, डीजी, निरीक्षण ने 1 फरवरी 2013 को सीबीईसी के पंच वर्षीय नीतिगत योजना के लिए इनपुटों की मांग की ताकि सभी पोर्ट तथा लेन-देन को कवर करने वाले एक मजबूत आरएमएस को स्थापित किया जा सके। आरएफडी वि.व.13 इस गतिविधि को कवर नहीं करता है।

क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त पीसीए गतिविधि पर सूचना का सकंलन जैसाकि अनुबंध द में दर्शाया गया, से पता चला कि आरएमएस मामलों की संवीक्षा में वृद्धि करने के लिए पीसीए को अधिक श्रमबल आबंटित करने के बोर्ड के निर्देश की किसी सथान पर अनुपालना नहीं की गई है तथा 10 सीमा शुल्क स्थानों जिसके लिए आंकड़े प्राप्त किए गए है, में से 8 मामलों के लंबन की बढ़ती प्रवृति दर्शायी गई है। इनमें से, कस्टम हाऊस, दिल्ली में 2.83 लाख मामलें लंबित थे तथा जेएनसीएच, मुम्बई में 3.72 लाख मामले लंबित थे।

इसके अलावा, 31 मार्च 2013 तक एसीसी चेन्नई तथा तूतीकोरिन आयुक्तालयों पर लंबित पीसीए बिलों की संवीक्षा से पता चला कि लगभग 138 तथा 2,172 प्रविष्टि बिलो के सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 के तहत पहले ही समय बाधित हो गए थे। उसके कारण गलत निर्धारण का पता लगने के बाद भी मांग बढ़ने के अवसर पर प्रतिबंध लगा। यह भी देखा गया कि प्रमुख सीमाशुल्क बंदरगाहों में पाए गए मामलों के अनुसार अधिक लंबन के कारण समय-बाधित होने से वसूली के जोखिम को कम करने हेतु पीसीए बीई के चयन के लिए एक मापदण्ड के रूप में 'प्रभार रहित' तिथि पर विचार करने के लिए बीई की श्रृंखला की कोई पद्धति नहीं थी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि अखिल-भारतीय आधार पर 2012-13 के दौरान एयर कार्गो काम्प्लेक्स का सुविधा स्तर 70.39 प्रतिशत था। तथापि, 19 सीमाशुल्क स्थानों पर आरएमडी को पीसीए गतिविधियों की रिपोर्टिंग न करने पर अवलोकन, 11 स्थानों पर पीसीए कार्य का लंबन तथा पीसीए अनुभागों में पर्याप्त स्टॉफ नियुक्त करके श्रमबल का युक्तिकरण न करने के संदर्भ में, सीबीईसी ने कहा कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित आयुक्तालय के साथ बांटा जा रहा है। आरएमडी ने पीसीए रिपोर्ट के संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ बातचीत की है तथा उनके द्वारा बताए गए का संज्ञान लिया है।

इसके अलावा सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि 2012-13 के दौरान, आरएमडी ने 21 स्थानों से पीसीए निष्पादन रिपोर्टें प्राप्त की है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 304 मामलों में ₹ 2.26 करोड़ की वसूली की गई है। इन रिपोर्टों की समीक्षा पर आधारित निषेध जहां भी आवश्यक हो, को बाद के जोखिम को सम्बोधित करने के लिए आरएमएस में रखा गया।

सीबीईसी के उत्तर की आगामी लेखापरीक्षा के दौरान जांच की जाएगी।

2.11 स्थानीय जोखिम प्रबधंन (एलआरएम) की अप्रभावी कार्यप्रणाली

आईसीईएस 1.5 की जोखिम प्रबंधन प्रणाली के दो घटक है- राष्ट्रीय जोखिम प्रबधंन (एनआरएम) तथा स्थानीय जोखिम प्रबंधन (एलआरएम)। जहां राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम नियमों तथा लक्ष्यों को आरएमडी, मुम्बई द्वारा सम्मिलित

तथा अद्यतन किया जाता है, वहीं सीमाशुल्क स्थानों पर एलआरएम समितियां स्थानीय लक्ष्यों को मिलाने के माध्यम से स्थानीय जोखिम कारकों को जोड़ने तथा निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 28 जून 2007 के सीबीईसी के अनुसार, प्रत्येक कस्टम हाऊस/एसीसी में सीमाशुल्क के आयुक्त पद से कम न होने वाले एक अधिकारी द्वारा अध्यक्षित एक आरएलएम समिति का गठन किया जाना था। समिति की आरएमएस के ढांचे पर चर्चा करने तथा निष्पादन की समीक्षा करने और आरएमडी, मुम्बई को आवधिक रिपोर्ट भेजने के लिए प्रत्येक माह एक बार बैठक होनी थी।

लेखापरीक्षा ने आरएमएस तथा पीसीए के निष्पादन की निगरानी करने के लिए अपने कार्य के निर्वहन में लगभग सभी स्थानों पर एलआरएम की खराब कार्यप्रणाली पाई। अभी तक गोवा, आईसीडी पटपड़गंज, आईसीडी मंडीदीप, आईसीडी पीथमपुर तथा कोलकाता एयरपोर्ट आयुक्तालयों में कोई एलआरएम समिति गठित नहीं हुई है। चेन्नई एयर आयुक्तालय में, लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर केवल जून 2013 में एलआरएम समिति गठित हुई। आईसीडी तुगलकाबाद, एनसीएच मुम्बई जोन-I, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अहमदाबाद आयुक्तालय में, परिपत्र जारी होने के पश्चात तीन से पांच वर्षों तक एलआरएम समिति गठित हुई। कोलकाता पोर्ट तथा पुणे पर आयुक्तालयों को एलआरएम समिति की बैठकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। 19 ईडीआई स्थानों जहां लेखापरीक्षा में एलआरएम कार्यप्रणाली की जांच की गई, में से शेष 10 पर कोच्चि आयुक्तालय को छोड़कर, आरएमएस के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए एलआरएम समिति की बैठके कभी-कभार आयोजित हो रही थी। इसके अलावा, आरएमडी, मुम्बई द्वारा प्रस्तुत सूचना से लेखापरीक्षा ने पाया कि पुणे, कोलकाता (पोर्ट), कोलकाता (एयरपोर्ट), आईसीडी पटपड़गंज, एसीसी चेन्नई आदि ने 2010-2013 की अवधि के दौरान किसी गठित एलआरएम समिति जो स्थानीय लक्ष्यों के समावेश पर विचार तथा उसे अधिकृत करता है, के बिना पर्याप्त स्थानीय एलआरएम लक्ष्यों को सम्मिलित किया था।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि वर्तमान में आरएमएस आयात 88 आईसीईएस स्थानों पर कार्य कर रहा है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उनके अंत पर सीमाशुल्क के संबंधित

आयुक्तालयों के साथ बांटा जा रहा है। पुणे, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, आईसीडी पटपड़गंज द्वारा स्थानीय लक्ष्यों के समावेश के संदर्भ में एसीसी (चेन्नई) ने एलआरएमसी द्वारा किसी समीक्षा के बिना 2010-13 के दौरान स्थानीय लक्ष्यों का समावेश किया था। डीओएस ने कहा कि स्थानीय जोखिम को सम्बोधित करने के लिए लक्ष्यों/हस्तक्षेप को समाहित करने हेतु एलआरएमसी पूर्व अपेक्षित नहीं है। एलआरएम का कार्य अतिरिक्त आयुक्त (एसआईआईबी) जो विभिन्न मदों के आयात में प्रचलन तथा उनके मूल्यांकन के साथ लगातार सम्पर्क में रहता है, के द्वारा किया जाता है। वह स्थानीय स्तर पर किसी सतर्कता, प्रतिक्रिया, सीमाशुल्क अथवा सम्बंधित अधिनियमों का उल्लंघन तथा शुल्क अपवंचन के साथ दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्य करता है एलआरएम को किसी कानून के उल्लघंन अथवा शुल्क अपवंचन से बचने के लिए स्थानीय लक्ष्यों के समावेश सहित शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है।

इसके अलावा सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि बोर्ड के दिनांक 24 नवम्बर 2005 के परिपत्र के पैराग्राफ 7 के अनुसार, "कस्टम हाउस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थानीय जोखिम प्रबधंन प्रणाली होगी। स्थानीय जोखिम प्रबधंन बीई तथा आईजीएम आदि की लाइव प्रक्रिया को करेगा। स्थानीय जोखिम प्रबधंन प्रणाली में उपयोगकर्त्ता को विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त के स्तर पर 'स्थानीय जोखिम प्रबंधंन प्रणाली' हेतु प्रशासक को नियुक्त करने के लिए सीमा शुल्क आयुक्त आवश्यक है। आरएमएस में बीई की स्थानीय प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर समाहित निषेध पर आधारित है।"

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 28 जून 2007 का बोर्ड परिपत्र निर्धारित करता है कि सीमाशुल्क आयुक्त के समान पद के एक अधिकारी द्वारा अध्यक्षित एक एलआरएम समिति को प्रत्येक कस्टम हाउस/एसीसी पर गठित किया जाना था। तदनुसार एलआरएम समिति बनाए बिना अधिकारियों द्वारा स्थानीय लक्ष्यों के समावेश का बोर्ड के दिनांक 28 जून 2007 के परिपत्र में उल्लंघन है। एलएमआरसी की समीक्षा के बिना स्थानीय लक्ष्यों के समावेश के लिए बोर्ड/डीओएस प्राधिकृत एलआरएम द्वारा जारी कोई रिकॉर्ड/अनुदेश लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

अध्याय III: एप्लिकेशन की प्रकार्यात्मकता

3. आईसीईएस 1.5 का कम कार्यक्षत्र

निम्नलिखित व्यवसायिक आवश्यकताओं के सम्बंध में लागू नियमों/अधिनियमों के अनुसार प्रणाली में विभिन्न व्यवसायिक नियमों को अनुकूल बनाने में कमी पाई गई:

3.1 आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन द्वारा वेयरहाउसिंग ब्याज का गलत गणना

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61(2)(ii) के अनुसार, यदि उप-धारा (1) के उप-खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई वेयरहाउस माल 90 दिनों की अवधि से अधिक वेयरहाउस में रहता है तो वेयरहाउस माल पर बताए गए 90 दिनों की समाप्ति से शुल्क के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज देय होगा।

1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 90 दिनों *(बीई-स्टेटस टेबल से डब्ल्यूबीई-डब्ल्यूएच-डीटी फील्ड और बीई-कैश टेबल से पेमेंट-डीटी फील्ड पर विचार करते हुए)* तथा जहां डब्ल्यूएच ब्याज लगाया गया था, से अधिक वेयरहाउस से मंजूरी वाले 6,887 एक्स-बांड बीई में से 6,756 बीई में एक दिन कम के लिए डब्ल्यूएच ब्याज का उद्ग्रहण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.28 लाख तक डब्ल्यूएच ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। शेष 131 बीई में, डब्ल्यूएच ब्याज का 6 दिनों से कम अधिकतम सीमा में 28 दिनों से भिन्न अवधियों के लिए अधिक या कम उद्ग्रहण किया गया था। जिसके लिए उपलब्ध डाटा से कारणों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह दर्शाता है कि आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन में 'डब्ल्यूएच ब्याज के परिकलन हेतु कार्यक्रम' में त्रुटि है जिसे यदि सुधारा नहीं गया तो इसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूएच ब्याज का कम उद्ग्रहण जारी रहेगा।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया (जनवरी 2014) कि:

गोदाम में रखे गए माल पर ब्याज का परिकलन सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 तथा दिनांक 01.10.2013 के सीमाशुल्क परिपत्र के प्रावधानों के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। वर्तमान में, 90 ब्याज मुक्त दिनों के पूर्ण होने के पश्चात् गोदाम में रखे गए माल के लिए गोदाम के ब्याज की गणना आईसीईएस एप्लिकेशन करता है तथा ब्याज आयातक द्वारा 91$^{वें}$ से दिन शुल्क के भुगतान की तिथि तक देय होगा।

सीबीईसी ने पुन: दोहराया कि सामान्य खण्ड अधिनियम के साथ-साथ निपटान किए गए मामले के कानून के अनुसार गोदाम में माल के रहने की अवधि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु प्रथम दिन को छोड़े जाने की आवश्यकता है। सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61(2) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि ब्याज देयता उस माल पर जो गोदाम में 90 दिनों की अवधि से अधिक रहा, के लिए कथित 90 दिनों की समाप्ति से प्रारम्भ होती है। यह सहज रूप से लागू करती है कि यदि 90 दिनों की अवधि का लाभ लेने के पश्चात् 91$^{वें}$ दिन पर शुल्क का भुगतान किया जाता है तो इसमें कोई अन्तर नहीं होता क्योंकि माल गोदाम में निर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं रहता है तथा इसलिए यदि माल को 91$^{वें}$ दिन नहीं हटाया जाता है तो ब्याज दायित्व होगा।

सीबीईसी ने आगे बताया कि यह स्पष्ट है कि विभाग के तर्क के अनुार ब्याज की गणना संग्रहित वास्तविक ब्याज से मेल खा रही है। चूंकि लेखापरीक्षा ने राउन्डिंग ऑफ किए बिना शुल्क राशि से सीधा से बेकवर्ड प्रति दिन ब्याज की गणना से सीधा फार्मूला लागू किया है, इसलिए कमी हुई। लेखापरीक्षा द्वारा उल्टी गणना का यह फार्मूला त्रुटिपूर्ण है और गलत परिणाम दर्शाता है।

तथापि, विभाग ने प्रांरभिक रूप से लेखापरीक्षा को आईसीईएस में ब्याज की गणना के लिए अपनाया जाने वाला फार्मूला उपलब्ध नही करवाया। एग्जिट कान्फ्रेंस के बाद, लेखापरीक्षा को फार्मूला उपलब्ध कराया गया (फरवरी 2014), जिसका सत्यापन अनुवर्ती लेखापरीक्षा में किया जाएगा।

3.2 आयात के लिए आरएसपी घोषण लागू करने के लिए आरएसपी प्रमाणीकरण का अभाव जिससे आरएसपी आधारित निर्धारण किया गया

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4ए की उप-धारा (1) एवं (2) के अनुसार दिनांक 24 दिसम्बर 2008 की एनटी अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार ने कुछ निश्चित माल का उल्लेख किया (जिसके लिए विधिक माप पद्धति अधिनियम 2009 के तहत उसके पैकेट पर 'खुदरा ब्रिकी मूल्य (आरएसपी)' की घोषणा करना आवश्यक है) जिसे घटाव की ऐसी राशि को कम करके घोषित आरएसपी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए प्रभारित किया जाएगा, जैसाकि अधिसूचना के तहत अनुमत किया जा सकता है।

अन्य बातों के साथ साथ धारा 4ए की उप-धारा (4) स्पष्ट करती है कि यदि ऐसे माल को पैकेज पर खुदरा ब्रिकी मूल्य की घोषणा के बिना या ऐसी आरएसपी की घोषणा द्वारा जो कि आरएसपी नही है जैसा कि अधिनियम, नियम या अन्य कानून जैसा कि उप धारा में संदर्भित हों के प्रावधानों के तहत घोषित करना आवश्यक हो को हटाया जाता है तो ऐसे माल को जब्त किया जाना दायी हो सकता है और ऐसे माल का खुदरा ब्रिकी मूल्य निर्धारण तरीके से अभिनिश्चित किया जाएगा और ऐसे मूल्य को उस धारा के उद्देश्यों के लिए खुदरा ब्रिकी मूल्य माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सीटीए की धारा 3(2) के परन्तुक के अनुसार आयातित माल, जोकि उनके पैकेज पर आरएसपी की घोषणा के लिए विधिक माप पद्धति अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अपेक्षित है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4ए (1) के अन्तर्गत आरएसपी अधिनियम के तहत कवर होता है, प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) के उद्ग्रहण के उद्देश्य के लिए मूल्य कथित आरएसपी अधिसूचना के अनुसार स्वीकार्य छूट से कम, आयातित वस्तुओं पर घोषित आरएसपी होगा।

यह पता लगाने के लिए क्या आयातित माल पर आरएसपी आधारित निर्धारण आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग द्वारा सही तरीके से निर्धारण किया जा रहा था, इसलिए 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक एक वर्ष की अवधि के दौरान

दिए गए ओओसी के बीईज़् पर आईसीईएस डाटा का विश्लेषण किया गया था। इस विश्लेषण के लिए आरएसपी अधिसूचना के 135 क्रम संख्या में से 76 का एक नमूने को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीईटीएच) के साथ मेप किया गया था जिसे इस अधिसूचना के क्रम संख्या के तहत कवर किया जाना अभिप्रेत था।

डाटा के विश्लेषण के परिणाम परिशिष्ट ग में सारबद्ध किए गए हैं।

विश्लेषण से पता लगा कि आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रमाणीकरण नही था कि आरएसपी आधारित निर्धारण वाले किसी टैरिफ लाइन के तहत आने वाले आयातित माल को आरएसपी के आयातित माल घोषित करने की अपेक्षा थी।

₹ 44,612.93 करोड़ मूल्य के आयात के 61 प्रतिशत में, ₹ 5,746.40 करोड़ तक की सीवीडी यथा मूल्य आधार पर उद्ग्रहीत की गई थी। यदि इन आयातों का निर्धारण आरएसपी के तहत किया गया होता तो, अधिक राजस्व उगाही हो सकती थी। इन मामलों में राजस्व की कम वसूली की सही मात्रा निर्धारित नही की जा सकती क्योंकि आरएसपी घोषित नही की गई थी।

कोलकाता (बंदरगाह) आयुक्तालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि विधिक माप पद्धति (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियमावली 2011 के अध्याय II में नियम 3 के अनुसार, 50 किलो तक के बैगों में बेचे जाने वाले सीमेंट और उर्वरक को छोडकर 25 क्रि.ग्रा. या 25 लीटर से अधिक की मात्रा वाली डिब्बाबंद वस्तुओं और औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए बनी डिब्बाबंद वस्तुओं को अध्याय II के प्रावधानों से छूट दी गई है।

सिफारिश: *डीओएस यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातक आर-एसपी को घोषित करे आरएसपी अधिसूचना की क्रम संख्या को टैरिफ लाइन मदों के साथ मेपिंग करने और आवेदन में आवश्यक प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने पर विचार कर सकता है, यदि आरएसपी अधिसूचना के तहत कवर की गई एक टैरिफ लाइन मद के अन्तर्गत कोई आयात होते हैं।*

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में, आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कहा कि आरएसपी अधिसूचना केवल सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीईटीएच) पर आधारित नही है अर्थात् अधिकतर मामलों में विवरण कालम के तहत माल का विवरण भी सुसंगत है। माल विवरण गैर संरचित फील्ड होने के कारण, इसका स्वचालित प्रणाली में प्रमाणीकरण के लिए उपयोग नही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आरएसपी आधारित शुल्क तभी वसूली योग्य है यदि आयातित माल डिब्बाबंद रूप में है। शुल्क के आरएसपी आधारित वसूली के लिए लागू अन्य शर्त है कि माल बिक्री हेतु ही होना चाहिए। इसलिए, यदि उसी माल को थोक या आन्तरिक खपत, प्रचार, मुफ्त वितरण इत्यादि के लिए आयात किया जाता है, तो उन पर आरएसपी आधारित शुल्क नहीं लगेगा। इसी प्रकार, यदि माल 100 प्रतिशत ईओयू यूनिटों के लिए ईपीसीजी/डीईईसी/अन्य कोई निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत आयात किया जाता है, तो आरएसपी आधारित शुल्क नहीं लगता है। इसके साथ ही, विधिक माप पद्धति अधिनियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए डिब्बाबंद वस्तुओं को शामिल नहीं करता है। इसी प्रकार, 25 कि.ग्रा. या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाली वस्तुओं के पैकेज भी शामिल नहीं है। इन सभी कारणों के लिए, एक विश्वसनीय और व्यापक आरएसपी प्रमाणीकरण स्वचालित प्रणाली में नही बनाया जा सकता क्योंकि इन सभी तथ्यों का अवधारण निर्धारण के समय पर ही किया जा सकता है।

इसके अलावा, आरएसपी अधिसूचनाओं के अनुसार जहाँ तक संभव हो सीईटीएच से संबंधित प्रमाणीकरण पहले से ही प्रणाली में 1 मार्च 2013 से बना दिए गए हैं। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, यह अचूक प्रमाणीकरण नहीं हो सकते क्योंकि आरएसपी आधारित वसूली उत्पाद, विवरण, पैकेजिंग और ब्रिकी पर निर्भर होगी। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार अधिसूचनाएं संरचित की गई हैं उसी प्रकार प्रणाली में 100% प्रमाणीकरण नही बनाया जा सकता। एक अनुप्रयोग जिस प्रकार प्रोगाम किया गया है कि तकनीकी व्यवहार्यता की तुलना में उचित अधिकारी की

भूमिका और उत्तदायित्व के बीच एक अन्तर तैयार करने की भी आवश्यकता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि ईपीसीजी और डीईईसी प्रोत्साहन योजनाओं को लाइसेंसों के माध्यम से मानीटर किया जाता है और बडी संख्या में प्रमाणीकरण परिणाम निर्धारण करने योग्य मानकों जैसे सीटीएच, मात्रा, यूक्यूसी, मूल्य शुल्क इत्यादि, जैसी आवश्यकता हो, पर बनाए गए है। आरएसपी के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया गुणात्मक और तकनीकी रूप में है जो लाइसेंस मानीटरिंग से काफी अलग है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2012-13 की अवधि के दौरान कोलकाता (बंदरगाह) से आयातित ऐसे माल के 4,106 अभिलेखों की आगे लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित माल में मोटर वाहन के पूर्जे, मेनिक्यूर सेट, फूलदान, लंच बाक्स, कप प्लेट, दर्पण, कांच की सजावट का सामान, डिजिटल सेट टाप बाक्स इत्यादि सम्मिलित थे। इन 3,713 अभिलेखों में, एंडयूज़ फील्ड को खाली छोडा गया था, जो दर्शाता है कि विभाग के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सके कि ऐसी मदें औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई पैकेजड वस्तुएं थी और इस प्रकार इन्हें आरएसपी आधारित निर्धारण से छूट प्राप्त थी।

तथापि, 17 अक्टूबर 2013 को स्थानीय सीमा शुल्क आयुक्तालयों (कोलकाता) के साथ हुई एग्ज़िट कान्फ्रेंस में विभाग लेखापरीक्षा के इस मत से सहमत हुआ कि यदि अन्यथा आरएसपी आधारित निर्धारण वाले माल को लागू कानूनों के किसी खण्ड के तहत छूट दी गई हो, उसे आयातक द्वारा ऐसी घोषणा को रिकार्ड करने के लिए आईसीईएस एप्लीकेशन में आवश्यक अतिरिक्त फील्ड होनी चाहिए।

इसके अलावा, किए गए इस दावे के आधार पर कि 01 मार्च 2013 से आईसीईएस एप्लीकेशन में प्रमाणीकरण प्रांरभ किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा ने मार्च 2013 माह के आकडों की पुन: जांच की। मार्च 2013 में

इन 565 सीईटीएच के तहत आयातित आरएसपी आधारित निर्धारण वाली 2,80,564 मदों में से पाया गया कि 1,73,006 मदों को आरएसपी आधार पर निर्धारित नही किया गया है जिससे पता चलता है कि दावा किए गए प्रमाणीकरण के प्रांरभ के बाद भी अननुपालन की प्रतिशतता में 'कोई बदलाव' नहीं था।

3.3 आरएसपी की गलत घोषणा की जाँच के प्रमाणीकरण का अभाव

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (सीटीए) की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4ए (1) के तहत आरएसपी अधिसूचना के अन्तर्गत कवर किए गए उस आयातित माल के लिए, सीवीडी के उद्ग्रहण के उद्देश्य के लिए मूल्य, आयातित वस्तु पर कथित आरएसपी अधिसूचना के अनुसार स्वीकार्य कमी को घटा कर घोषित आरएसपी होगा।

केन्दीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4ए के स्पष्टीकरण के अनुसार 'खुदरा बिक्री मूल्य' का अर्थ है अधिकतम कीमत जिस पर उत्पाद शुल्क योग्य माल को पैकेजड रूप में अन्ततोगत्वा उपभोक्ता को बेचा जा सकता है और इसमें स्थानीय या अन्यथा सभी कर, भाड़ा, परिवहन प्रभार, डीलरो को देय कमिशन, और विज्ञापन, सुपुर्दगी, पैकिंग, अग्रेषण के सभी प्रभार शामिल होते हैं और ऐसी बिक्री के लिए केवल कीमत पर विचार किया जाता है।

अन्य बातों के साथ साथ धारा 4ए की उप-धारा (4) स्पष्ट करती है कि यदि ऐसे माल को पैकेज पर आरएसपी की घोषणा के बिना हटा लिया गया जाता है या ऐसी एक आरएसी की घोषणा करना जो कि खुदरा बिक्री मूल्य नही है जैसा कि अधिनियम, नियमों या अन्य कानून जैसा कि उप-धारा में संदर्भित है के प्रावधानों के तहत घोषित करना आवश्यक है, तो ऐसे माल को जब्त करने के लिए दायी होगा और ऐसे माल की आरएसपी का निर्धारित तरीके से निर्धारण किया जाएगा और ऐसी कीमत को उस भाग के उद्देश्य के लिए आरएसपी माना जाएगा।

उपरोक्त संविधियों से, यह पता चलता है कि आयातित वस्तुएं जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4ए (1) के तहत जारी आरएसपी अधिसूचना में निर्दिष्ट हैं, को अनिवार्य रूप से आरएसपी आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और ऐसे माल के लिए सही आरएसपी घोषित की जानी चाहिए अन्यथा उन्हें जब्त किया जाना दायी है और आरएसपी मूल्य का पता निर्धारित तरीके से लगाया जा सकता है। परिभाषा के अनुसार, घोषित आरएसपी में वहन की गई लागत और आयातित माल के विभिन्न तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, यह आयात लागत अर्थात् निर्धारित मूल्य और आयात शुल्क के कुल से कम नही हो सकता। इसके अतिरिक्त, विशाखपट्नम में 25/26 मार्च 2003 को हुई सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन में, यह निर्णय लिया गया था कि जहां यह प्रमाण हो कि आरएसपी को जानबूझ कर गलत घोषित किया गया है आरएसपी की अनदेखी करते हुए शुल्क लेन देन मूल्य के आधार पर उद्ग्रहीत किया जा सकता है।

01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 की अवधि के दौरान आईसीईएस 1.5 डाँटा के लिए बीईज़ जिन्हें ओओसी दिया गया था विश्लेषण से पता लगा कि 20,970 मामलों में सीवीडी गलत घोषित आरएसपी पर एकत्र किया गया था {अर्थात् जहाँ घोषित आरएसपी आयात लागत (निर्धारणीय मूल्य+शुल्क) से कम थी} इनमें से, 12,071 अभिलेखों में घोषित आरएसी आयातित माल के निर्धारणीय मूल्य से भी कम थी।

गलत घोषित आरएसपी पर एकत्र सीवीडी के कुछ उदाहारण जैसा कि आईसीईएस 1.5 डाटा में देखे गए थे, से पता चलता है कि आयातकों द्वारा किस हद तक गलत आरएसपी घोषित की गई जिसका प्रणाली द्वारा पता नही लगाया जा सका (जैसा कि परिशिष्ट घ में सारणीबद्ध है)।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि एसीपी क्लाइंटस मै. ऐसर इंडिया (प्र.) लि. और मै. लेनोवो (इंडिया) लि. सहित प्रतिष्ठित आयातक घोषित आरएसपी जोकि उनकी आयात लागत से कम थी पर नियमित रूप से बडी मात्रा में माल आयात कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप सीवीडी कम निर्धारण हुआ।

चार आयातकों द्वारा इस प्रकार के आयातों का सारांश परिशिष्ट ड. में दिया गया है।

आयातकों द्वारा आरएसपी की गलत घोषणा का आयात लागत के साथ घोषित आरएसपी मूल्य की तुलना की प्रमाणीकरण जांच के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। उपरोक्त या आरएमएस में ऐसा कोई प्रमाणीकरण मौजूद नही था जिसके परिणामस्वरूप आरएसपी की गलत घोषणा और राजस्व की परिणामी कम उगाही की गुंजाइश है।

सिफारिश: *विभाग संबंधित मामलो का पता लगाने के लिए आईसीईएस एप्लीकेशन और आरएमएस में उपयुक्त प्रमाणीकरण प्रारंभ करने के बारे में विचार कर सकता हैं। आयात लागत से कम घोषित आरएसपी पर बड़ी मात्रा में माल की निकासी को देखते हुए आरएमएस द्वारा एसीपी ग्राहकों को दी गई सुविधा को भी पुन: जांच की जा सकती हैं।*

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि आरएसपी अधिसूचना मात्र सीटीएच या सीईटीएच पर आधारित नहीं है किन्तु अन्य कई प्रभावित करने वाली वस्तुओं पर निर्भर है।

सभी सीटीएच जहाँ आरएसपी आधारित सीवीडी लागू है के प्रति, उस पर प्रभावी सीसीआर पहले से ही स्थापित हैं जो आरएसपी की घोषणा का अनुपालन सुनिश्चित करने और परेषण के सीमा शुल्क से बाहर जाने की अनुमति से पहले उद्ग्रहीत/संग्रहित सीवीडी की सत्यता के ओओसी अधिकारियों को अनुदेश देते हैं। अभी तक, 1455 सीटीएच की आरएसपी आधारित निर्धारण के लिए पहचान की गई है।

इसके अतिरिक्त, संव्यवहार मूल्य आधारित निर्धारण की तुलना में कम आरएसपपी आधारित निर्धारण को अनिवार्य रूप से अनुमत करने सीमा शुल्क प्राधिकारियों को संशक्त बनाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लागत से कम मूल्य पर माल बेचना पूर्णत: व्यवसायिक निर्णय हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी उल्लिखित है मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन में लिया गया निर्णय था कि जहां यह सबूत हो कि आरएसपी जानबूझकर गलत घोषित की गई है तो लेनदेन मूल्य माना जाएगा। ऐसा

साक्ष्य प्रणाली में उपलब्ध नहीं होगा और इसलिए आरएसपी को केवल इस आधार पर कि यह एवी से कम है अस्वीकार करने के लिए कोई वैधीकरण नही बनाया जा सकता है। गलत घोषणा स्थापित करने के लिए, मामले की जाँच निर्धारण संरचना द्वारा करने की आवश्यकता है और ऐसी कार्रवाई प्रणाली के अन्दर नही की जा सकती।

उपरोक्त के दृष्टिगत, गलत घोषणा का पता लगाने के लिए कोई प्रमाणीकरण आवश्यक नही माना गया। विशिष्ट मामलों के लिए जहां आरएसपी आधारित शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य आधारित शुल्क से कम है, वहाँ संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं को मामले की जांच के लिए सुसंगत अनुबंध प्रेषित कर दिए गए हैं।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि यह कहना सही नहीं है कि सीबीईसी ने प्रमाणीकरण के वर्तमान स्तर पर प्रणाली और प्रथाओं के अनुरक्षण के लिए गए सुविचारित निर्णय लिया है। यह पहले स्पष्ट किया गया था कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं जिससे वह अनिवार्य रूप से संव्यवहार मूल्य आधारित निर्धारण की तुलना में कम आरएसपी आधारित निर्धारण को अननुमत कर सकें। लागत से कम मूल्य पर माल को बेचना मात्र वाणिज्यिक निर्णय हो सकता है। विशिष्ट मामलों के लिए जहाँ आरएसपी आधारित शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य आधारित शुल्क से कम हो, वहाँ सुसंगत अनुबंध मामले की जांच के लिए संबंधित क्षेत्रीय फार्मेशनो को प्रेषित कर दिए गए हैं। जोखिम निर्धारण एक सक्रिय प्रक्रिया है और सीबीईसी प्रमाणीकरण के एक विशिष्ट स्तर पर प्रणाली और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए कोई निर्णय नही ले सकता है। जोखिम निर्धारण और कानूनी प्रावधानों के आधार पर जब भी आवश्यकता महसूस की जाए, उपयुक्त अवरोध लगाए जा सकतें हैं।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि अगर जरूरत पडती है तो राजस्व की सुरक्षा/रक्षोपाय के लिए सीमा शुल्क कानून को संशोधित करना सीबीईसी की जिम्मेवारी है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए मामलों के कोई उत्तर प्रस्तुत नही किए गए हैं। डीओएस को किए गए अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा को 2013-14 की अवधि के लिए आंकडे उपलब्ध नहीं

कराए गए थे। इसके अलावा, गलत घोषणा के ऐसे मामलों में राजस्व की सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र के बारे में भी उत्तर मौन है। यहाँ तक कि कोलकाता (बंदरगाह) आयुक्तालय लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2013) के मत से सहमत है कि उजागर किए गए अधिकतर मामले आरएमएस द्वारा आगे बढाए जाते थे। उस मामले में जहाँ आरएसपी आधारित सीवी शुल्क यथामूल्य आधार पर सीवी शुल्क से कम पाया गया था वहाँ यह बताया गया था कि आयातकों से दस्तावेज/स्पष्टीकरण मंगाए जा रहे थे और यदि आवश्यक हुआ शुल्क की मांग की जाएगी। इसी प्रकार, कोलकाता (हवाईअड्डा) आयुक्तालय ने बताया (अक्टूबर 2013) कि एक सुधारात्मक उपाए के रूप में, कार्यालय संबंधित को आयात दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए और सही आरएसपी घोषित करने के लिए पत्र जारी कर रहा था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि डीओएस को उपयुक्त रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए जिससे मामले को उठाया जा सके ताकि आईसीईएस में कुछ जाँच होनी चाहिए जिससे जब घोषित आरएसपी निर्धारणीय मूल्य से कम हो तो पता चल सके।

3.4 अनुप्रयोग द्वारा विनियम दरों के बहुविध दर का स्वीकरण

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के अनुसार, सीमा शुल्क के शुल्कों के निर्धारण के लिए माल के मूल्यांकन के बीजक को विदेशी मुद्रा की 'विनिमय दर' के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए जैसा कि बीई के प्रस्तुतीकरण की तिथि और सीबीईसी द्वारा अधिसूचित दर लागू हों। बोर्ड ने दिनांक 21 मई 2012 और 24 मई 2012 की एनटी अधिसूचनाओं द्वारा जापानी येन (जेपीवाई), यूएस डालर (यूएसडी), और हांगकांग डालर (एचकेडी) के लिए विनिमय दरों को क्रमश: 22 मई 2012 और 25 मई 2012 से बढ़ा कर संशोधित किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रणाली में परिवर्तन को अद्यतन नहीं गया था जिसके परिणामस्वरूप गलत निर्धारण हुआ और शुल्क का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ।

इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय आईसीईएस आंकडों से पाया गया था कि 25 मई 2012 को यूएसडी में दर्ज बीजक वाले 6,709 बीईज़् के शुल्क का निर्धारण 1 यूएसडी (₹ 55.95) की संशोधित दर पर किया गया था जबकि

उसी तिथि को दर्ज दूसरे 1,084 बीईज़् का निर्धारण 1 यूएसडी (₹ 53.10) के पुराने दर पर किया गया था। इसी प्रकार, 25 मई 2012 को एचकेडी में बीजकों के साथ फाइल की गई बीईज़् के मामले में और 22 मई 2012 को जेपीवाई में बीजकों के साथ दर्ज बीईज़् के दोनों पुराने और नई दरों के निर्धारण पाए गए थे। यद्यपि, यह विनिमय दर निर्देशिका में जेपीवाई, यूएसडी और एचकेडी विनिमय दरों के विलम्बित अद्यतन के कारण होने की संभावना है, इस लिए एक विशेष तिथि में दर्ज बीईज़् के लिए एकल विनिमय दरों के स्वीकरण को लागू करने में प्रमाणीकरण नियंत्रण की कमी का भी पता चलता है जोकि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 में अनुबद्ध है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि विनिमय दरों को अद्यतन करने का उत्तरदायित्व आईसीडी पटपड़गंज को दिया गया था और बोर्ड द्वारा सीधे विनिमय दर अधिसूचनाएं आईसीडी पटपड़गंज को भेजी जाती हैं। विनिमय बोर्ड अधिसूचना आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में प्रविष्टि के समय से लागू है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि पहले विनिमय दर अधिसूचना महीने में एक बार जारी की जानी थी। यह प्रथा निर्देशिका प्रबंधन साइट या डीओएस को यथा नोटिस दिए बिना बदल दी गई थी। निर्देशिका प्रबंधन द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति में विलम्ब था जिससे डीओएस को प्रणाली में वर्तमान प्रमाणीकरण को हटाने पर मजबूर होना पड़ा जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि विनिमय दर अधिसूचनाएं आईसीईएस में केवल भविष्य की तिथि से प्रभावी बनायी जा सकती हैं। इसके बजाय सभी स्थानों पर प्रणाली प्रबंधको के लिए उन बीईज़् के लिए प्रभावी विनिमय दर को बदलते हुए तुरन्त उपलब्ध कराई गई जो पहले विद्यमान विनिमय दर के अनुसार निर्धारित की गई थी।

तथापि, ऐसी सभी परिस्थितियों में, सभी स्थलों को संबंधित निर्देशिका प्रबंधक द्वारा पुनः निर्धारण और विभेदक राशि की वसूली के लिए एक परामर्श जारी करने के माध्यम से चेतावनी दी गई थी।

आगे यह सूचित किया जाता है कि जैसा बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया था डीजी (प्रणाली) वर्तमान में एसबीआई के साथ विनिमय दरों के दैनिक अद्यतन के लिए एक मोडयूल पर कार्य कर रहे हैं। इससे विनिमय दर अर्धरात्रि से लागू हो जाएगी और मामला अपने आप ही सुलझ जाएगा।

सीबीईसी ने आगे बताया (फरवरी 2014) कि दैनिक विनिमय दर अद्यतन मैसेज की जांच पूरी हो चुकी है। तथापि, संस्थापना की तिथि का निर्णय भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ तकनीकी मामले को सुलझाने के बाद लिया जाएगा।

सीबीईसी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की। तथापि, बोर्ड के डीजी (सिस्टमस) को दिए गए निर्देश की प्रति लिपि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई है।

3.5 अद्यतन विश्वसनीय निर्देशिका प्रक्रिया का अभाव

आईसीईएस निर्देशिक प्रबंधन प्रयोक्ता नियम पुस्तिका संस्करण 1.0 के अनुसार, डीओएस एक केन्द्रीकृत निर्देशिका अद्यतन प्रक्रिया का अनुसरण करता है। आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग की कई महत्वूपर्ण निर्देशिकाओं के अद्यतन का कार्य विभिन्न सीमाशुल्क साइटों को दिया गया है। उच्चतम स्तर पर राष्ट्रीय प्रणाली प्रबंधक (एनएसएम) निर्देशिकाएं विभिन्न साइटों को देता है जो इन निर्देशिकाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक साइट पर प्रणाली प्रबंधक उपयोगकर्ता को उनकी साइट को दी गई निर्देशिकाओं को परिचालित करने के लिए निर्देशिका अधिकारी (डीआईआरओएफएफ) और निर्देशिका प्रबंधक (डीआईआरएमजीआर) की भूमिका अदा करता है। डीआईआरओएफएफ के पास भूमिका के लिए सौंपी गई निर्देशिकाओं में नई प्रविष्टियां इन प्रविष्टियों में सुधार, जांच सूची बनाने और डीआईआरएमजीआर को इन प्रविष्टियों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार है। डीआईआरएमजीआर को इन प्रविष्टियों का अनुमोदन और उसे बाहरी प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराने, गलत प्रविष्टियों के मामले में डीआईआरओएफएफ की प्रविष्टियां वापिस करने और यदि आवश्यकता हो तो प्रविष्टियों को संशोधित करने का विशेषाधिकार है।

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर और अधिसूचना निर्देशिकाओं को अद्यतन करने में विफलता

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना निर्देशिकाओं का अद्यतन कार्य जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस (जेएनसीएच) नावा शेवा को सौंपा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जब वित्त अधिनियम

2012-13 पारित किया गया और दिनांक 28 मई 2012 को भारत के राजपत्र द्वारा अधिसूचना सं.25 द्वारा अधिसूचित किया गया था इन निर्देशिकाओं का अद्यतन नहीं किया गया था। चूक बाकी के वि.व. 2013 तक चलती रही जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अनुसूची में किए गए कई संशोधनों जिनमें शुल्क दरों में बदलाव सम्मिलित थे को प्रणाली में समाविष्ट नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष भर माल जैसे 'सिगरेट' (अध्याय 24) और रेलवे वैगनों, इंजनो के पुर्जो इत्यादि (सीईटीएच 8607, 8608 और 8609) पर सीवीडी का कम उद्ग्रहण जारी रहा।

28 मई 2013 से 12 प्रतिशत की लागू उच्चतर दर के बजाय 6 प्रतिशत की सीवीडी दर लगाने के कारण अखिल भारतीय स्तर पर 1,696 बीईज़् द्वारा अध्याय 86 के तहत आयातों पर कम उगाही का प्रभाव ₹ 97.55 करोड़ की राशि निहित थी, जैसाकि आईसीईएस 1.5 डाटा से पता चला।

इसी प्रकार, विभिन्न प्रकार/लम्बाई की सिगरेट पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दरों को 28 मई 2013 से संशोधित किया गया था। आईसीईएस डाटा से यह पाया गया कि 468 अभिलेखों में शुल्क निर्धारण गलत था जिनमें से 401 अभिलेखों में ₹ 5.14 करोड़ की सीमा शुल्क राशि का कम निर्धारण हुआ था और 67 अभिलेखों में ₹ 0.22 करोड़ का अधिक निर्धारण हुआ था। सिगरेटों पर शुल्क विशिष्ट दर में परिवर्तन को परिशिष्ट एफ में सारणीबद्ध किया गया है।

चूंकि अनियमितता को सितम्बर 2012 से मार्च 2013 के बीच आईसीडी, तुगलकाबाद और कोलकाता (बंदरगाह) के ध्यान में लाया गया था, डीओएस ने विभिन्न सीमाशुल्क क्षेत्रीय फार्मेशनों को सौपी गई निर्देशिका अद्यतन या निर्देशिका अद्यतन के प्रतिसत्यापन की केन्द्रीकृत निगरानी के लिए कोई प्रणाली संस्थापित नहीं की थी।

(ii) सीमा शुल्क छूट अधिसूचना और शुल्क दर निर्देशिकाओं को अद्यतन करने में विलम्ब

सीमाशुल्क और सीमाशुल्क अधिसूचना निर्देशिकाओं की दरों को अद्यतन करने का कार्य चेन्नई समुद्री शुल्क को प्रत्यायोजित किया गया है। दिनांक 17 मार्च

2012 की सीमाशुल्क छूट को कच्चे तेल के आयात वाले कतिपय माल के संबंध में बीसीडी दर को 'शून्य' से 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए दिनांक 23 जनवरी 2013 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि चेन्नई समुद्री सीमाशुल्क के अन्तर्गत 23 एवं 24 जनवरी 2013 को किए गए क्रमशः 'कच्चे सूरजमुखी तेल' और क्रूड पाम करनेल तेल' के आयातो के 15 दृष्टातों में निर्धारण दिनांक 17 मार्च 2012 की छूट अधिसूचना द्वारा बीसीडी की शून्य दर पर किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.29 करोड़ के शुल्क का कम संग्रहण हुआ। गलत छूट का कारण सीमा शुल्क छूट अधिसूचना के अद्यतन में विलम्ब था।

(iii) एसएडी छूट अधिसूचना के अद्यतन में विफलता

08 अप्रैल 2011 से प्रभावी वित्त अधिनियम 2011 के अनुसार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट सभी माल को कथित अधिनियम के दायरे से हटा दिया गया था। फलस्वरूप, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट माल जिसे दिनांक 01 मार्च 2006 की अधिसूचना की क्रम सं.50 के तहत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के 4 प्रतिशत उगाही से छूट थी दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना की शर्तों में शुल्क का दायी हो गया।

यह देखा गया कि चेन्नई समुद्र, वायु और तूतीकोरीन आयुक्तालयों में दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना की क्रम सं. 50 के तहत एसएडी से गलत छूट कई दृष्टांतों में अनुमत की गई थी यद्यपि माल दिनांक 1 मार्च 2006 की अन्य अधिसूचना की शर्तों में एसएडी का दायी हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.33 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ जिसमें से ₹ 0.98 करोड़ की वूसली जुलाई 2013 तक हुई थी (2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 14 का पैराग्राफ सं. 4.3)। इसी प्रकार कोच्ची समुद्री सीमा शुल्क में 49 दृष्टांतों में गलत छूट देने के परिणामस्वरूप ₹ 0.89 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ (2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 14 का पैराग्राफ सं. 1.75(4)। इसी प्रकार का मामला नवम्बर 2012 में कोच्ची में लेखापरीक्षा में फिर पाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.51 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

8 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 तक कोलकाता बंदरगाह और एयरपोर्ट आयुक्तालयों से संबंधित ईडीआई लेनदेन डाटा की संवीक्षा से पता चला कि 1,034 और 9154 एसएडी मामलों में उगाही नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप संबंधित आयुक्तालयों में ₹ 46.59 करोड़ और ₹ 29.26 करोड़ की एसएडी राशि का कम उद्ग्रहण हुआ।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि:

लेखापरीक्षा दल ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर, सीमाशुल्क छूट अधिसूचना और शुल्क दर निर्देशिकाओं का और एसएडी अधिसूचना के अद्यतन न करने के बारे में बताया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

इस संबंध में निदेशालय की भूमिका स्वचालन के पहलू और निर्देशिकाओं के अद्यतन के लिए मंच प्रदान करने तक सीमित है। निर्देशिकाओं को समय पर अद्यतन करने सहित कन्टेट प्रबंधन का उत्तरदायित्व विशिष्ट क्षेत्र फोर्मेशन से है जिसकी भूमिका बोर्ड द्वारा सौंपी गई है। डीजी प्रणाली नई दिल्ली में सीमित स्टाफ कार्यचालन को ध्यान में रखते हुए, निर्देशकाओं की केन्द्रीकृत मानीटरिंग संभव नहीं है। इस लिए निर्देशिकाओं की अधिसूचना का अद्यतन कार्य चेन्नई सीमा शुल्क हाउस को सौंपा गया है और सीटीएच और सीईटीएच टैरिफ निर्देशिकाओं का अद्यतन करना जेएनपीटी, मुम्बई की जिम्मेवारी है। निर्देशिका प्रविष्टि में ही मेकर-चैकर प्रक्रिया है जिससे प्रणाली में स्वयम् ही प्रविष्टि से पूर्व गलत प्रविष्टियों का पता लग सकें।

यह सूचित किया गया कि विभिन्न निर्देशिका प्रबंधन साइटों द्वारा निर्देशिकाओं के केन्द्रीय अद्यतन के लिए सुविधा प्रदान करते हुए अद्यतन की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया और इसलिए अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान विलम्ब के कारण किसी देरी का ध्यान रखा गया। तथापि, निर्देशिका प्रबधकों को अधिससूचना जारी करने की सूचना में विलम्ब बना रहा, जिसे निर्देशिका अद्यतन करने से संबंधित सुविधा का प्रति सत्यापन प्रारंभ करते हुए भी हल नहीं किया जा सका।

मंत्रालय के लिए सीधा आईसीएस पर अधिसूचना अद्यतन करने का कार्य करना संभव नहीं है क्योंकि मंत्रालय के अधिकारियों की आईसीईएस तक पहुँच

नहीं है। अधिसूचना डीजी प्रणाली और क्षेत्रीय कार्यालयों को इमेल द्वारा भेजी जाती हैं। वर्तमान में जारी करने वाले विंग को फीडबैक देने की कोई प्रणाली नहीं है। अधिसूचनाएं अद्यतन करने वाली संबंधित फारमेशनों को वापसी मेल द्वारा अधिसूचना के सफल अद्यतन की पुष्टि करने के अनुदेश दिए जा रहे हैं। यदि उचित समय में अद्यतन की पुष्टि प्राप्ति नहीं होती है तो अद्यतन के लिए उपयुक्त उचित कार्रवाई की जा सकती है।

लेखापरीक्षा द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट मामलों के संबंध में, मामला संबंधित क्षेत्रीय फारमेंशनों को जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। तथापि, इनमें से कुछ मामलों में उदाहरण के लिए सिगरेटों पर शुल्क की विशिष्ट दर और कतिपय अध्याय 86 माल पर सीवीडी के उद्ग्रहण के बारे में विभाग को पहले ही पता था और विभाग द्वारा शुल्क की कम उगाही की वसूली के लिए सीमाशुल्क क्षेत्रीय फार्मेशनों के माध्यम से उचित सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। सभी प्रणाली प्रबंधकों को उपरोक्त मामले के बारे में सूचना दी गई थी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में जनवरी 2014 के उत्तर की पुनरावृत्ति की और बताया कि वसूली के संबंध में ब्यौरे सीबीईसी में कस-पीएसी विंग द्वारा यथा समय उपलब्ध कराए जाएगे।

विभाग ने निर्देशिका अद्यतन प्रक्रिया में कमियों को स्वीकार किया। निर्देशिका अद्यतन करना राजस्व की सही और समय पर उगाही के लिए सीबीईसी का मूलभूत कार्यकलाप है। यह राजस्व सूचना प्रणाली की सत्यनिष्ठा का सूचक है इसे राजस्व रिसाव को सुनिश्चित करने के लिए आईसीईएस में समन्वित एवं लिंक किया जाना है।

3.6 एकमात्र आईईसी/ पेन की घोषणा को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण का अभाव

एचबीपी खण्ड 1 के पैराग्राफ 2.9, एफटीपी के अनुसार केवल एक आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) एकल पेन नम्बर के प्रति जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्व-निर्धारण 2011 पर सीबीईसी की नियम-पुस्तिका के अध्याय 2 के अनुसार आईईसी डीजीएफटी के डाटाबेस के साथ आईसीईएस में ऑन-

लाईन प्रमाणित है और पेन सीबीडीटी के डाटाबेस के साथ ऑनलाईन प्रमाणित है।

तथापि, वर्ष 2012-13 के लिए अखिल भारतीय आईसीईएस 1.5 डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 33 पेन नम्बरों के प्रति आयातों के अभिलेख हैं जिनके लिए एक से अधिक एकल आईईसी नम्बर उद्दधृत किए गए हैं। इसके विपरीत, यहां 251 आयातों के अभिलेख हैं जहां एक से अधिक पेन नम्बर एक आईईसी के प्रति उद्धृत किए गए हैं। यहां 13 ऐसे आयात भी हैं जहां कोई पेन संख्या नहीं दी गई है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में **बताया** (जनवरी 2014) कि डीजीएफटी आईईसी डाटा का मालिक है और इसकी यथार्थता और वैधता की जिम्मेदारी उसी पर है। इसी प्रकार, पेन डाटाबेस का स्वामीत्व और इसका रखरखाव सीबीडीटी द्वारा किया जाता है। आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी वैध संख्या है, केवल डीजीएफटी/सीबीडीटी डाटाबेस ऑन लाईन के साथ सीमा शुल्क दस्तावेज में आयातक/निर्यातक द्वारा उद्धृत आईईसी संख्या/पेन की मौजूदगी को प्रमाणित करता है, जैसाकि स्व-निर्धारण, पर सीबीईसी की नियम पुस्तिका में अधिदेशित है जिसमें प्रावधान किया जाता है कि:

"बी/ई या एस/बी में प्रविष्टि के लिए आईईसी "डीजीएफटी के डाटाबेस सहित आईसीईएस में ऑन लाईन वैधीकृत है" और "डीजीएफटी बैंक आदि के लिए पेन सीबीडीटी डाटाबेस सहित आईसीईएस में ऑन लाईन वैधीकृत है।"

जब लेखापरीक्षा ने बताया था कि डाटा प्रमाणीकरण प्रयोक्ता विभाग (इस मामलें में सीबीईसी) द्वारा की गई पहल से हो सकता है, विशेष रूप से तब यदि सूचना राजस्व रक्षोपाय के विभागीय उद्देश्यों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करती हों। इलैक्ट्रोनिक सूचना परिवेश के वर्तमान परिदृश्य में विभिन्न पणधारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डाटाबेस सभी संबंधितों के लिए सही और एक समान होने अपेक्षित हैं।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आपत्ति को उनकी ओर से सुधार के लिए डीजीएफटी को भेजा जाएगा।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जाएं।

3.7 समान सीटीएच और सीईटीएच की घोषणा को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण का अभाव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) के माध्यम से 28 फरवरी 2005 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अनुसूची के तहत् माल का वर्गीकरण 8 अंक वाले आईटीसी एचएस वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार सीमा शुल्क टेरिफ अनुसूची के समान था। इस प्रकार, सीटीएच और सीईटीएच सभी माल के लिए एक समान हैं, उनको छोड़कर जो सीमा शुल्क टेरिफ अनुसूची के अध्याय 97 और 98 के तहत् वर्गीकरण योग्य हैं जिनके लिए तदनुरूपी अध्याय 97 और 98 केंद्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अनुसूची में मौजूद नहीं हैं।

तथापि, वर्ष 2012-13 के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात डाटा से पता चला कि सीमा शुल्क टेरिफ के अध्याय 1 से 96 के तहत् आयातों से संबंधित 2,63,40, 427 अभिलेखों में से 4,81,864 अभिलेख ऐसे थे जिनमें सीटीएच और सीईटीएच मेल नहीं खाते थे। यह दर्शाता है कि आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में आयातों के लिए समान सीटीएच/सीईटीएच की घोषणा को सुनिश्चित करने के लिए कोई इनपुट नियंत्रण/ प्रमाणीकरण नहीं है। इससे गलत निर्धारण और सीमा शुल्क का कम/अधिक उदग्रहण हो सकता है। एक दृष्टांत के रूप में, आईसीडी पटपड़गंज से संबंधित बीई सं. 7948637, दिनांक 14 सितंबर 2012 के मामलें में आयातित मद 'स्पोर्ट्स शूज' जिसके लिए सीटीएच को 6403 1990 के रूप में सही रूप से घोषित किया गया था लेकिन सीईटीएच की 3924 9090 के रूप में गलता घोषणा की गई थी। गलत सीईटीएच की घोषणा करते हुए आयातक ने आरएसपी आधारित निर्धारण अधिसूचना सं. 49/2008 सीई (एनटी) दिनांक 24 दिसंबर 2008 के 35 प्रतिशत (क्रम सं. 56) की स्वीकार्य छूट के प्रति अपनी घोषित आरएसपी पर 40 प्रतिशत (क्रम सं. 53) की उच्चतर छूट को प्राप्त किया था।

ऐसे प्रमाणीकरण के अभाव को 2009-10 निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 24 के पैराग्राफ 3.14.1 में पहले ही बताया गया था, जब मंत्रालय ने स्वीकार

किया था कि सीटीएच और सीईटीएच के बीच प्रमाणीकरण आईसीईएस 1.0 में नहीं किया गया था। तथापि, यह देखा गया कि आवश्यक प्रमाणीकरण को आईसीईएस 1.5 में भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

3.8 सीमा शुल्क टेरिफ के अध्याय 98 के तहत् आयातित माल की घोषणा को तदनुरूपी सीईटीएच के साथ सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण का अभाव।

बीसीडी और सीवीडी के उद्ग्रहण के उद्देश्य हेतु, आयातित माल को क्रमश: सीटीएच और सीईटीएच के तहत् वर्गीकृत किया गया था। परियोजना आयातों के संबंध में, माल को बीसीडी उदग्रहण के उद्देश्य हेतु अध्याय 98 के तहत् वर्गीकृत किया जाना है। तथापि, जैसाकि यहां कोई तदनुरूपी सीईटीएच नहीं है, ऐसे माल को सीपीडी उद्ग्रहण के उद्देश्य हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अध्याय 1 से 96 के तहत् वर्गीकृत किया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रणाली सीटीएच पर आधारित विभिन्न रिपोर्टों का सृजन कर सकी और सीईटीएच पर नहीं। उदाहरणार्थ, उन बीईज़् की सूची का पता लगाने के लिए जहां सीईटीएच 8607,8608 और 8609 के तहत् आने वाले माल को कम सीवीडी प्रभारित करते हुए 28 मई 2012 से मार्च 2013 तक आयातित किया गया था जैसाकि उपरोक्त पैराग्राफ 3.7 में बताया गया है, लेखापरीक्षा ने संबंधित सीटीएच देते हुए ऐसे सभी आयातों की सूची बनाने का प्रयास किया क्योंकि प्रणाली ने सीईटीएच को स्वीकार नहीं किया है। देखा गया कि प्रविष्टियों के पांच बिल, जहां मदें सीईटीएच 8607 के तहत् आती हैं को सीटीएच 9801 के तहत् आयातित किया गया था, को सीटीएच वार रिपोर्ट के लिए बनाई जा रही रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि सीईटीएच पर आधारित रिपोर्टें बनाने की भी सुविधा होनी चाहिए।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि 250 से अधिक एमआईएस रिपोर्टों, नई एमआईएस रिपोर्टों और एमआईएस रिपोर्टों को विभिन्न क्षेत्रीय फार्मेशंनों से भेजे गए निवेदनों पर उचित विचार करने के पश्चात् आईसीईएस 1.5 में उपलब्ध कराया गया है। सीईटीएच आधारित

रिपोर्टों के लिए निवेदन डीओएस द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं। लेखापरीक्षा के वर्तमान अनुरोध पर विचार हेतु जांच की जाएंगी।

लेखापरीक्षा का मत है कि जब डाटा/सूचना प्रणाली में उपलब्ध है तो डाटाबेस को विभिन्न पणधारियों द्वारा उपयोग किए जाने की आवश्यता है।

सिफारिश: सही निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए, समान सीईटीएच/सीटीएच की घोषणा के लिए प्रमाणीकरण जांच को सीमाशुल्क और तदनुरूपी केंद्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अनुसूचियों के अध्याय 1 से 98 के तहत् वर्गीकरणीय सभी माल हेतु आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में उपलब्ध कराया जाए।

2009-10 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 24 में लेखापरीक्षा की समान सिफारिश में मंत्रालय ने स्वीकार किया कि सीटीएच और सीईटीएच के बीच प्रमाणीकरण आईसीईएस 1.0 में नहीं किया गया था। तथापि यह देखा गया कि या तो आईसीईएस 1.5 में भी आवश्यक प्रमाणीकरण को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सिफारिश को स्वीकार करते समय सीबीईसी ने बताया (जनवरी 2014 और फरवरी 2014) कि समान सीटीएच और सीईटीएच की घोषणा को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण को अभी बनाया जाना है। जब भी प्रणाली में परिवर्तन किए जाएंगे तब व्यापार प्रक्रिया ढांचा और सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा।

यद्यपि सीबीईसी ने 2009-10 में बताई गई समान आपत्ति को स्वीकार किया था तथापि इन्हे सीवीडी से उच्चतर कटौती/छूट को प्राप्त करने के लिए सीईटीएच की गलत घोषणा करने हेतु आयातकों के लिए अवसर को छोड़ते हुए अभी प्रमाणीकरण में शामिल किया जाना है।

3.9 विभिन्न आईसीईएस तालिकाओं में उदगम देश डाटा का बेमेल होना

विभन्न आईसीईएस तालिका में उद्गम देश डाटा के बेमेल होने के कारण एंटी-डम्पिंग शुल्क के अनुद्ग्रहण के जोखिम को पहले 2009-10 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 24 के पैराग्राफ 3.11.4 में बताया गया था। तत्कालीन

मंत्रालय ने बताया था (दिसम्बर 2008) कि प्रणाली को दो स्थानों पर ' उदगम देश' को केप्चर करते हुए और एन्टी डम्पिंग शुल्क के उद्ग्रहण के लिए 'मद' स्तर पर मूल्य का उपयोग करते हुए उचित रूप से डिजाईन किया गया है और यह कि तत्कालीन लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया कोई कम उदग्रहण निर्धारण चूक के कारण हो सकता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान 32,83,674 बीईज़् प्रदत्त ओओसी पर आईसीईएस 1.5 डाटा के विश्लेषण से पता चला कि बीई-मेन तालिका में फील्ड नाम 'सीओआरजी' के साथ-साथ बीई-आईटम-डीईटी में फील्ड नाम 'सीआरजी' के तहत् आने वाले सीओओ डाटा 2,50,325 मामलों अर्थात बीईज् का 7.6 प्रतिशत में भिन्न हैं। यह उन अनुप्रयोग में प्रमाणीकरण की कमी को दर्शाता है जहां अलग तालिकाओं में समान डाटा केप्चर करने के लिए डाटा फील्ड में भिन्न डाटा उपलब्ध हैं जिसके कारण विभिन्न सीओओ आधारित छूट अधिसूचनाओं या एन्टी-डम्पिंग शुल्क के अनुद्ग्रहण के तहत् रियायतों की गलत प्राप्ति का अवसर मिला।

वर्तमान तारीख पर लगभग 25 सीओओ/आधारित छूट अधिसूचनाएं लागू हैं जिनमें से बीसीडी से आंशिक या पूर्ण छूट की अनुमति देते हुए 11 एकल देश विशेष अधिसूचनाओं के तहत् आयातों की अनुप्रयोग में 'उदगत देश' प्रमाणीकरण के अभाव के कारण इन छूटों की प्राप्ति को रोकने हेतु जाँच की गई थी। यह देखा गया कि 13,413 अभिलेखों मे 'मद' स्तर पर घोषित सीओओ, जैसाकि बीई-आइटम-डीईटी तालिका में 'सीआरजी' फील्ड में दर्ज है, देश कोड से अलग था जिसके लिए अधिसूचना वैध थी जिसके परिणामस्वरूप इन मामलों में बीसीडी से ₹ 125.53 करोड़ की छूट की गलत अनुमत हुई। इस प्रकार, मंत्रालय के इस दावे के बावजूद कि प्रणाली दो स्थानों पर 'उदगम देश' को केप्चर करते हुए और 'मद' स्तर पर मूल्य का उपयोग करते हुए उचित रूप से डिजाईन की गई, फिर भी आईसीईएस अनुप्रयोग में सीओओ डाटा के लिए प्रमाणीकरण के अभाव के कारण राजस्व की हानि जारी है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया जनवरी 2014) कि सीओआरजी बीई स्तर पर उदगम देश है और सीआरजी मद स्तर पर उदगम देश है। जब समग्र या

अधिकतम माल का समान उदगम देश है तब सीओआरजी फील्ड की घोषणा की जाती है। बीई की केवल उन मदों के लिए, जहां उदगम देश सीओआरजी से भिन्न है, वहां उन मदों के लिए सीआरजी की घोषणा की जाती है। बीई की मदों के लिए उदगम देश के ध्यान हेतु तर्क तदनुसार सन्निहित हैं। यह आपत्ति गलत है कि समान डाटा को दोनों फील्ड में केप्चर किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों फील्ड भिन्न डाटा से संबंधित है। उदाहरणार्थ, एक बीई में वह माल हो सकते हैं जिनकी उदगम विभिन्न देशों में हुई है। इस प्रकार, दुबई से आने वाले प्रेषण में चीन, ताईवान, कोरिया में निर्मित माल भी हो सकते हैं। यह प्रमाणीकरण की कमी को नहीं दर्शाता और न ही इसके कारण सीओओ आधारित अधिसूचनाओं की गलत प्राप्ति के लिए अवसर मिलता है। बल्कि, यह समस्त बीई की अपेक्षा विशिष्ट मदों पर सीओओ आधारित रियायतों को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ एडीडी के उद्ग्रहण को सरल बनाता है।

आगे सूचना दी गई है कि मार्च 2013 से पहले देश कोड और अधिमान्य टैरिफ-अधिसूचनाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंधों को ऐसे संबंधों के लिए निर्देशिका में सुविधा के अभाव के कारण प्रणाली में सन्निहित नहीं किया गया था। प्रणाली केवल एन्टी डम्पिंग अधिसूचनाओं के लिए उदगम देश के केप्चर और प्रविष्टि बिल की सुसंगत मद के प्रति उपलब्ध कराए गए सीओओ के साथ उक्त के प्रमाणीकरण को सरल बना रही थी। चूँकि 1 मार्च 2013 से ऐसे लिंकेज सभी उदगम देश आधारित अधिसूचनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग किया गया डाटा इन प्रमाणीकरणों से पहले की अवधि से संबंधित है जो इसमें सन्निहित था। तथापि, अनुबंध को अधिसूचना, यदि कोई है, की गलत प्राप्ति से संबंधित आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित सीमा शुल्क क्षेत्रीय फार्मेशनों को भेजा गया है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। मार्च 2013 माह के लिए डाटा की सीओओ आधारित छूटों के साथ सीओओ के प्रमाणीकरण की जांच के लिए लेखापरीक्षा द्वारा दोबारा जांच की गई है और यह पाया गया कि सभी 11 सीओओ आधारित छूट अधिसूचनाओं के लिए प्रमाणीकरण सीओआरजी/ सीआरजी डाटा के संबंध में शुरू किया गया था।

तथापि, बीई-मेन और बीई-आइटम तालिकाओं में क्रमश: सीओआरजी और सीआरजी फील्डों में एकल बीजक-एकल मद आयातों में मामलें में सीओओ पर समान डाटा उपलब्ध हैं, जहां तार्किक रूप से दोनों फील्डों में समान डाटा उपलब्ध होना चाहिए कि पुष्टि करने के लिए किए गए नए विश्लेषण से पता चला कि अकेले मार्च 2013 माह में 5,398 एकल मद निर्यात किए गए थे जिनमे सीओआरजी और सीआरजी डाटा भिन्न थे। इस प्रकार, ऐसे मामलों में स्पष्ट तथा कोई प्रमाणीकरण नहीं है जहां दोनों डाटा समान होने चाहिए। वि.व. 13-14 की अवधि के लिए सीमा शुल्क डाटा और न ही कोई नमूना डाटा आवश्यक सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था।

3.10 एडीडी के उद्ग्रहण हेतु आईसीईएस में माल के निर्माता के ब्यौरें केप्चर नहीं किए गए

एंटी डम्पिंग शुल्क (एडीडी) सीमा शुल्क वर्गीकरण, माल के विवरण, उदगम देश, निर्यातक देश, निर्माता का नाम और निर्यातक का नाम जैसे घटकों पर आधारित कतिपय आयातित माल पर उद्ग्रहण योग्य है। उद्ग्रहण की जाने वाली राशि उपरोक्त घटकों के एक या अधिक पर निर्भर करती है। यह देखा गया कि मास्टर, बीजक, गैट घोषणाओं आदि जैसे आईसीईएस अनुप्रयोग में बीई डिस्प्ले स्क्रीन में निर्माता का नाम दर्शाने वाला कोई फील्ड नहीं है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में लेखापरीक्षा में यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि सही एडीडी का उद्ग्रहण किया गया है। उदाहरणार्थ, दिनांक 11 मार्च 2008 की अधिसूचना के अनुसार चीनी ताइपे के रूप में उदगम देश और निर्यातक देश के साथ सीटीएच 2914 11 00 के तहत आने वाली 'एसीटोन' पर एडीडी, यदि निर्माता मै. फोरमोसा केमिकल्स एंड फाइबर कॉरपोरेशन है यूएसडी 89.42 प्रति यूनिट हैं और निर्माता मै. ताईवान प्रोस्पेरिटी केमिकल्स लि. के लिए एडीडी यूएसडी 87.14 प्रति एमटी की दर पर उद्ग्रहण की जानी है। चूंकि, निर्माता का नाम दर्शाने वाला कोई फील्ड नहीं है तब उद्ग्रहणीय एडीडी की सही दर का निर्धारण के समय और लेखापरीक्षा के दौरान पता नहीं लगाया जा सकता ।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014 और फरवरी 2014) कि ईडीआई बीई प्रारूप आयात दस्तावेजों की इलेक्ट्रोनिक फाईलिंग के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुरूप है। प्रारूप को आवश्यकताओं के अनुसार पिछले कुछ दशकों में विकसित किया गया है। बीई प्रारूप में अलग फील्ड आरम्भ करते हुए आयातक/आपूर्तिकर्ता/विनिर्माता के प्रत्येक विवरण का केप्चर करना सम्भव नहीं है। एडीडी का उद्ग्रहण आयातक द्वारा घोषित एंटी डम्पिंग अधिसूचना की क्रम सं. पर निर्भर है। एंटी डम्पिंग अधिसूचनाएं माल के विवरण, निर्यातक देश, निर्माता का नाम, निर्यातक का नाम आदि जिनमें से कोई भी संरचित फील्ड नहीं है, जैसी किसी भी प्रकार की शर्तों को निर्धारित कर सकता है। इसलिए, स्वत: निर्णय लेने के लिए ऐसे क्षेत्रों में स्वचालन संभव नहीं है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली सीटीएचज़, जहां एंटी डंपिंग उद्ग्रहीत किया जा रहा है ,पर आधारित बीई में सीसीआर को पोपुलेट करती है। ऐसी बीईज् शेड जांच के माध्यम से की जाती है जहां आवश्यक जांच सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मैनुअली की जाती है। इस निदेशालय ने पहले ही बोर्ड के साथ अधिसूचनाओं के स्वचालन को अनुकूल बनाने के मामलें पर चर्चा की है।

यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि अधिक डाटा कैप्चर किया जाता है तो ट्रेड/एजेंट के लिए अधिक अपरिहार्य कार्य से अलग अधिक संग्रहण स्थान की आवश्यकता होगी। यह प्रणाली पर अनावश्यक भार डालेगा। लेखापरीक्षा दल द्वारा बताया गया उदाहरण मामलों के बहुत कम प्रतिशत में लागू है। इसलिए यह प्रारूप स्तर पर अनुप्रयोग में बदलावों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता।

सीबीईसी ने 'निर्माता का नाम' के फील्ड के बिना सही दर पर एडीडी के उद्ग्रहण की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए आईसीईएस में उपलब्ध तंत्र को स्पष्ट नहीं किया क्योंकि एडीडी अधिसूचनाएं कई मामलों में निर्माता विशिष्ट हैं।

3.11 सीमा शुल्क छूट अधिसूचना के साथ टेरिफ मदों के मेपिंग का अभाव

2009-10 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 24 के पैराग्राफ 3.13.1.2 में बताया गया कि आईसीईएस 1.0 में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण

जाँच नहीं है कि क्या कोई आयातित मद सुसंगत अधिसूचना के तहत् छूट के लाभ हेतु पात्र थी। तब मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सीटीएच/सीईटीएच को केवल शर्त रहित अधिसूचनाओं के मामलें में 'अधिसूचना निर्देशिका' मे केप्चर किया गया था।

यह निश्चित करने के लिए कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण प्रारम्भ किया गया है कि आयातित माल का दावा की जाने वाली सीमा शुल्क छूट अधिसूचना के तहत् केवल उपयुक्त छूट लाभों को अनुमत करते हुए आईसीईएस अनुप्रयोग के नवीनतम संस्करण द्वारा सही रूप से निर्धारण किया जा रहा था, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 वर्ष की अवधि के दौरान ओओसी दी गई बीईज़् पर अखिल-भारतीय डाटा का विश्लेषण किया गया था। इस विश्लेषण के लिए, अधिसूचना दिनांक 17 मार्च की 521 क्रम संख्याओं में से 422 का सीमा शुल्क टेरिफ लाईन मदों का मेप किया गया था जो अधिसूचना के इन क्रम संख्याओं के तहत् कवर किया जाना अभिप्रेत था।

अखिल-भारतीय डाटा का विश्लेषण क्रम सं. जिसके प्रति आयातित टैरिफ मद शुल्क की छूट/रियायत दर के लिए उपयुक्त नहीं थी, के तहत् छूटों का दावा करते हुए छूट लाभ, यदि कोई है, की गलत प्राप्ति के मामलों का पता लगाने के लिए किया गया था। इसको बीई_आइटम_डीईटी, बीई_ए_आइटम-डीईटी और बीई-स्टेट्स तालिकाओं पर एक वर्षीय डाटा पर चलाया जा रहा था। बीसीडी में अनुद्ग्रहणीय या बीसीडी की 'शून्य' टैरिफ दर लगाते हुए अध्यायों/शीर्षकों/ टेरिफ मदों के तहत् आयातों की इस विश्लेषण के लिए अवहेलना की गई है। डाटा विश्लेषण के परिणामों को अनुबंध में संक्षेप में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सीमा शुल्क छूट अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2012 की विभिन्न क्रम संख्याओं के अन्तर्गत शुल्क छूट के दावों के अन्तर्गत किए गए आयातों के विश्लेषण ने दर्शाया कि या तो सशर्त या शर्त रहित छूटों के लिए अधिसूचना की क्रम संख्याओं के साथ सीटीएच का कोई प्रमाणीकरण या मेपिंग नहीं थे। जिसके परिणामस्वरूप गलत निर्धारण हुआ और ₹ 93.05 करोड़ की राशि के सीमा शुल्क से अस्वीकार्य छूट दी गई।

सीबीईसी ने अपने जवाब में कहा (जनवरी 2014 और फरवरी 2014) कि छूट अधिसूचनाएं विवरण, क्रम सं. और शर्तों की सूची से अर्हताप्राप्त सीटीएचज़् के प्रति बीसीडी दरें लागू करती है। विवरण के साथ-साथ शर्तों की सूची दोनों असंरचित फील्ड हैं, और स्वचालन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सही प्राप्ति प्रणाली में तभी वैधीकृत हो सकती थी यदि छूट अधिसूचना को सीटीएच के आधार पर परिभाषित किया जाता। तथापि, चूंकि न तो शर्तें न ही विवरण को परिमाणित/संरचित किया जा सकता, तब सीटीएच और अधिसूचना शुल्क दरों के संबंध में 100 प्रतिशत प्रमाणीकरण करना सम्भव नहीं है। यहां कुछ अधिसूचनाएं है जिनको स्वचालित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विवरण आधारित है एवं विशिष्ट सीटीएच, या 'सभी सीटीएच' के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। इसी प्रकार, सामान्य आयातों के लिए सामान्य छूटें, उदाहरणार्थ 'शिप स्टोर्स' को प्रणाली में वैधीकृत नहीं किया जा सकता।

यह सूचना दी गई कि जहां तक सम्भव हो छूट अधिसूचनाओं सहित टैरिफ मदों के मेपिंग को पूर्व-बजट कार्य के भाग के रूप में 1 मार्च 2013 से अधिसूचना निर्देशिका में शामिल किया गया है। इन प्रमाणीकरणों से पहले की अवधि से संबंधित है, लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग किए गए डाटा इनमें शामिल थे। इसके अलावा, अनुबंध में कुछ प्रविष्टियों की नमूना जांच ने दर्शाया कि जबकि कुछ मामलों में अधिसूचना की गलत संख्या का उपयोग किया गया है, तथापि, शुल्क की दर समान है और यहां कोई राजस्व की हानि हुई प्रतीत नहीं होती।

तथापि, सूचीबद्ध मामलों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय फार्मेशनों को भेजा गया है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि अधिसूचना की उपयुक्ता अन्ततः निर्धारण अधिकारी का निर्णय है।

विभिन्न निर्देशिका प्रबंधक स्थल बोर्ड के निर्देशानुसार विभिन्न निर्देशिकाओं की स्थिति की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा ने मार्च 2013 के लिए डाटा पर सीटीएच के प्रति सीमा शुल्क सामान्य छूट अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा शुल्क के 521 क्रम संख्या में से 422 के प्रमाणीकरण की जांच की गई

थी और यह पाया गया कि कथित छूट अधिसूचना के क्रम सं. 123 के लिए प्रमाणीकरण सीटीएच के संबंध में शुरू नहीं किए गए थे। इसलिए, सीबीईसी ने दावा किया कि प्रमाणीकण शुरू किया गया है लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसके अलावा, प्रणाली में परिवर्तन लाने वाली सुसंगत रिपोर्ट (टों)/अभिलेख(खों) को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। सीबीईसी ने प्रणाली में अभिकल्पित प्रमाणीकरण की सीमा तक पहुंचने के लिए अपनाए गए बैंचमार्क और प्रणाली में समावेशित प्रमाणीकरणों की जांच करने के लिए डीओएस में निगरानी प्रणाली को भी उपलब्ध नहीं कराया।

3.12 केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना के साथ टैरिफ मदों के मेपिंग का अभाव

पैराग्राफ 3.11 के अनुसार आईसीईएस डाटा का विश्लेषण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2012 के अन्तर्गत सीबीडी के उद्ग्रहण के उद्देश्य हेतु आयातकों का अनुमत छूट की यथार्थता की जांच करने के लिए किया गया था।

इस विश्लेषण से पता चला कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त अधिसूचना के तहत् अनुमतयोग्य सीवीडी से छूटों का सही रूप से दावा किया गया, आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में अधिसूचना की क्रम संख्या के साथ सीटीएच का कोई प्रमाणीकरण या मेपिंग नही था। इसके परिणामस्वरूप गलत निर्धारण हुआ और आयातकों, जिन्होनें कथित अधिसूचना के अन्तर्गत छूटों के लाभ का गलत दावा किया था, को अनुमत न की जाने वाली ₹ 137.02 करोड़ के सीमा शुल्क की राशि से अस्वीकार्य छूट दी गई। डाटा विश्लेषण के परिणामों को अनुबंध ज में संक्षेप में दिया गया है।

आईसीईएस 1.5 डाटा का फिर से विश्लेषण सीआरए मोड्यूल या बीईज् के प्रत्यक्ष सत्यापन, जिसके लिए ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सीमा शुल्क अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने के लिए मंत्रालय को जारी किए गए थे, के माध्यम से बीईज् की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संदर्भ से प्रणाली में प्रमाणीकरण नियंत्रणों की जांच करने के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,20,951 मामलों का प्रणाली में

उचित प्रमाणीकरण नियंत्रण के अभाव के कारण प्रणाली द्वारा गलत रूप से निर्धारण किया गया था। वर्ष 2012-13 के लिए आईसीईएस 1.5 आयात डाटा के विश्लेषण के परिणामों के सार का ब्यौरा अनुबंध झ में दिया गया है।

इन गलत निर्धारणों का न तो प्रणाली द्वारा न ही पीसीए में या विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाया जा सका था जो आईसीईएस अनुप्रयोग, आरएमएस और पीसीए में प्रमाणीकरण नियंत्रणों में कमी को दर्शाता है। विभाग इन सभी मामलों की समीक्षा कर सकता है और कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण आदि की वसूली कर सकता हैं।

अपने जवाब में (जनवरी 2014) सीबीईसी ने पैराग्राफ 3.11 में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छूट अधिसूचनाएं विवरण, क्रम सं. और शर्तों की सूची द्वारा योग्यता प्राप्त सीईटीएचज़ के प्रति सीवीडी दरों पर लागू होती है। चूंकि शर्तों की सूची और विवरण असंरचित फील्ड है, तब सीईटीएच और अधिसूचना शुल्क दरों के संबंध में 100 प्रतिशत प्रमाणीकरण करना संभव नहीं है। यह सूचना दी गई कि जहां तक सम्भव हो छूट अधिसूचनाओं के साथ टेरिफ मदों का मेपिंग बजट पूर्व कार्य के भाग के रूप में विभिन्न सीमा शुल्क स्थलों के अधिकारियों द्वारा 1 मार्च 2013 से अधिसूचना निर्देशिका में किया जा चूका है। लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग किया गया डाटा इन प्रमाणीकरणों से पहले की अवधि से संबंधित हैं।

तथापि, सूचीबद्ध किए गए मामलों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय फार्मेशनों को भेजा गया है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में (फरवरी 2014) जनवरी 2014 के जवाब को दोहराते हुए कहा कि विभिन्न निर्देशिका प्रबंधन साईटें बोर्ड के निर्देशानुसार विभिन्न निर्देशिकाओं के लिए प्रास्थिति की निगरानी हेतु जवाबदेही हैं।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने मार्च 2013 के लिए प्रमाणीकरण की जांच की और यह पाया गया कि कथित छूट अधिसूचना की क्रम सं. 326 के लिए प्रमाणीकरण सीटीएच के संबंध में शुरू नहीं किए गए थे। इसलिए, सीबीईसी का दावा कि प्रमाणीकरण शुरू किया गया है। स्वीकार नहीं किया जा सकता इसके अलावा प्रणाली में परिवर्तन करने वाले

सुसंगत रिपोर्ट(टें)/अभिलेख(ओं) को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। सीबीईसी ने प्रणाली में अभिकल्पित प्रमाणीकरण की सीमा तक पहुँचने के लिए अपनाए गए बैंचमार्क और प्रणाली में समावेशित प्रमाणीकरणों की जांच के लिए डीओएस में निगरानी प्रणाली को भी उपलब्ध नहीं कराया।

3.13 परिकलित शुल्क और संग्रहित किए गए शुल्क में अन्तर

चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क से संबंधित आइसीईएस 1.5 आयात डाटा के विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि मै. विस्टन ऑटोमोटिव सिस्टम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने बीई सं. 3614987 दिनांक 26 मई 2011 के माध्यम से माल का आयात किया जिसकों आरएमएस सरलीकरण (मेरिट शुल्क पर) के अन्तर्गत प्रणाली द्वारा निर्धारित किया गया था और देय शुल्क ₹ 33.62 लाख था। तथापि, माल को मंजूरी दी गई और ₹ 33.14 लाख से कम शुल्क के भुगतान पर 2 जून 2011 को ओओसी दी गई थी। डाटा विश्लेषण के निष्कर्षों की पुष्टि आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग के सीआरए मोड्यूल के माध्यम से प्रतिसत्यापन के माध्यम से की गई थी। निर्धारित शुल्क और एकत्रित किए गए शुल्क के बीच अन्तर की भी पुष्टि विभाग द्वारा की गई; तथापि, न तो विभाग द्वारा इस अन्तर के लिए कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और न ही प्रणाली इसकी उपलब्धि के लिए कोई लेखापरीक्षा परिक्षण किया गया था।

मामले का विश्लेषण देय शुल्क (बीई-सीएएसएच तालिका में टीओटी-डीयूटीवाई फील्ड) और प्रदत्त शुल्क (बीई-सीएएसएच तालिका मे डीयूटीवाई एएमटी फील्ड की मात्रा को तुलना करते हुए और बीई-एसटीएटीयूएस तालिकाओं से संबंधित सूचना द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए अखिल भारतीय आईसीईएस 1.5 डाटा पर भी किया गया था।

विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए क्रमश 1,057 और 1,729 बीईज के मामलों में परिकलित देय शुल्क और वास्तविक रूप से प्रदत्त शुल्क में अन्तर था। इन बीईज़् में देय कुल शुल्क ₹ 106.77 करोड़ और ₹ 195.73 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए आयातित माल की मंजूरी पर केवल ₹ 20.87 करोड़ ओर ₹ 59.07 करोड़

संग्रहीत किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप संबंधित वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए इन बीईज़् में ₹ 85.70 करोड़ एवं ₹ 136.66 करोड़ का कम संग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011-12 के लिए 1,057 बीईज् और वर्ष 2012-13 के लिए 1,729 बीईज् में से 162 और 445 बीईज् मे परिकलित देय शुल्क संबंधित वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए ₹ 32.29 करोड़ और ₹ 72.68 करोड़ था जिसके प्रति कोई राशि संग्रहित नहीं की गई थी।

सीबीईसी ने आपत्ति को अस्वीकार करते हुए (जनवरी 2014) बताया कि शुल्क का भुगतान स्क्रिप्स के साथ-साथ नकद भुगतान के माध्यम से भी किया जा सकता है और लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाए गए मामलें वे थे जहां शुल्क डेबिट स्क्रिप्स के माध्यम से किया गया था।

लेखापरीक्षा ने प्रत्येक मामले में स्क्रिप्स के माध्यम से डेबिट किए गए शुल्क और छोड़े गए शुल्क की समस्त पिक्चर को केप्चर करने के लिए आईसीईएस में मौजूदा प्रक्रिया के ब्यौरे मंगवाए थे जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत संघ प्राप्ति बजट में छोड़े गए शुल्क के विवरण में रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहां (फरवरी 2014) कि स्क्रिप्स के माध्यम से डेबिट किए गए शुल्क के ब्यौरे बीई_सीएएसएच_एलआईसी तालिका में केप्चर किए गए हैं। आईसीईएस ईडीआई प्रणालियों के माध्यम से आयात के लिए स्थान विशेष के लिए शुल्क छोड़े गए विवरण तैयार कर सकता है। छोडे गए सीमा शुल्कों की समस्त पिक्चर उपलब्ध कराने के लिए आईसीईएस में कोई उपयोगिता मौजूद नहीं है। संघ प्राप्ति बजट में रिपोर्ट किए गए छोड़े गए शुल्क के विवरण को डाटा प्रबंधन निदेशालय (क्षेत्रीय फार्मेशन द्वारा अपलोड किए गए विवरणों से मिलाए गए), फिरती निदेशालय और महानिदेशक निर्यात संवर्धन, से प्राप्त हुए इनपुटों के आधार पर सीबीईसी मे टीआरयू द्वारा तैयार किया जाता है।

सीबीईसी के जवाब को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि लेखापरीक्षा को न तो बीई_सीएएसएच_एलआईसी तालिका के साथ उपलब्ध कराया गया था और न ही स्क्रिप्स के माध्यम से डेबिट किए गए शुल्क के मामला-वार ब्यौरें

की सूचना लेखापरीक्षा को दी गई थी। संग्रहीत किए गए और छोड़े गए कुल राजस्व को सीबीईसी या प्र.सीसीए द्वारा समेकित नहीं किया गया था। सीबीईसी ने स्वीकार किया कि छोड़े समस्त शुल्क को केप्चर करने के लिए आईसीईएस में कोई उपयोगिता नहीं है।

3.14 आईसीईएस के अन्तर्गत कवर न की गई कारोबार प्रक्रिया को हस्त्य निर्धारिणों की आवश्यकता है

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 46 और 50 के अनुसार निर्यात दस्तावेजों (एसबीज़) के साथ-साथ आयात दस्तावेजों (बीईज़) को इलेक्ट्रोनिक रूप से (ईडीआई प्रणाली के माध्यम से) फाईल किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। दुरूपयोग को रोकने के लिए सीबीईसी ने 04 मई 2011 को यह अनुदेश जारी किए कि हस्त्य संसाधन और माल के आयात/निर्यात की मंजूरी केवल अपवादात्मक मामलों मे अनुमत होगी और हस्त्य दस्तावेजों के लिए डाटा को निर्धारित समय अवधि के अन्दर सभी स्थानों द्वारा अनिवार्य रूप से दर्ज और संचालित किया जाना चाहिए।

19 ईडीआई बन्दरगाहों से सीमा शुल्क दस्तावेज फाईलिंग डाटा के वर्षवार सार जिसमें सभी प्रमुख बन्दरगाह, अर्थात जेएनसीएच, एनसीएच मुम्बई, एसीसी नई दिल्ली, आईसीडी तुगलकाबाद, आईसीडी पटपड़गंज, चेन्नई सी, एसीसी चेन्नई, तूतीकोरन, कोची सी, एसीसी अहमदाबाद, कोलकाता सी और कोलकाता एयर शामिल हैं, को अनुबंध जे में दिया गया है।

यह देखा गया कि 3.64 प्रतिशत, 1.87 प्रतिशत और 1.39 प्रतिशत बीईज़् का औसत वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान 19 ईडीआई बन्दरगाहों पर हस्त्य रूप से फाइल किया गया था। इसी प्रकार, 4.35 प्रतिशत, 2.16 प्रतिशत और 2.19 प्रतिशत एसबीज़ को वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान 19 ईडीआई बन्दरगाहों परे हस्त्य रूप से फाइल किया गया था। तथापि, ईडीआई संसाधित सीमा शुल्क दस्तावेजों की संख्या में पिछले तीन वर्षों से वृद्धि हुई है। बीईज् को हाथ से दर्ज करने की प्रतिशतता तूतीकोरिन, गोवा, नागपुर तथा कोलकाता बन्दरगाह में उच्चतर थी, जो 3.53 प्रतिशत से 6.90 प्रतिशत की रेन्ज में थी। जबकि एसबीज को हाथ से दर्ज करने की प्रतिशतता चेन्नै हवाईअड्डा, कोच्ची, गोवा, नागपुर तथा कोलकाता

हवाईअड्डा पर उच्चतर थी जो 4.77 प्रतिशत से 23.76 प्रतिशत तक की रेन्ज में थी, जो सीमाशुल्क अधिनियम, की धारा 46 तथा 50 तथा बोर्ड के अनुदेशों के उल्लंघन में थी। यह भी देखा गया था कि 100 प्रतिशत बीईज का निर्धारण पश्चिम बंगाल (निरोधक) कमिश्नरियों में हाथ द्वारा किया गया था।

इसके अतिरिक्त, जाँच से पता चला कि हाथ से दर्ज बीईज् को मुख्यत: विमान/जहाज स्टोर, राजनयिक नौभार, डाक पार्सल, कंटेनरों के घरेलू प्रयोग, पदधारक प्रोत्साहन स्क्रिप (एसएचआईएस) योजना के तहत आयात, वे आयात जिनपर एक से अधिक शुल्क छूट अधिसूचनाएं लागू होती हैं, अधिसूचनाओं के प्रति आयात जो आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन द्वारा स्वीकार नहीं किये गए, उस भुगतान हेतु फाइल किये गए बीईज् जिन्हें एसएडी रि-क्रेडिटेड शुल्क क्रेडिट स्क्रिटस जैसे डीईपीबी, एफएमएस, एफपीएस, इत्यादि के प्रयोग द्वारा किया गया है, एटीए कार्नेट के तहत अस्थाई आयात तथा डीईपीबी, ईपीसीजी लाईसेंसो इत्यादि के प्रति आयात जिनके लिए टीआरए हस्तलिखित रूप से जारी किये गए थे, के आयात के लिए फाइल किये जा रहे थे। इन अधिकतर मामलों में आईसीईएस एप्लीकेशन में ऐसे मामलों को हेन्डल करने हेतु प्रावधान की कमी के कारण बीईज हाथ से दर्ज किए गए थे। निर्यात की ओर सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 74 के तहत स्वतंत्र अकेले सामान के निर्यात, विमान/जहाज भण्डार तथा विमान टरबाइन इंधन(एटीएफ) की कवरेज हेतु आईसीईएस प्रणाली में प्रावधान की कमी के कारण बीईज हाथ से दर्ज किये गए थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 116 ईडीआई सक्षम स्थानों में से, केवल 89 स्थानों पर आयात दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग की गई थी। जिनमें से 29 स्थानों पर 2012-13 के दौरान 500 बीईज से कम फाईल किये गए थे। इसी प्रकार 99 स्थानों पर निर्यात दस्तावेज फाइल किये गए थे, इसमें से 20 स्थानों पर समान अवधि के दौरान 500 एसबीज से कम फाइल किये गए थे।

सीमाशुल्क प्रक्रिया तथा व्यापार सरलीकरण सभी सीमाशुल्क संव्यवहारों तक आईसीटी आधारित उपाय (आईसीईएस) तथा स्वनिर्धारण को विस्तारित ना किये जाने पर (2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.14 का पैराग्राफ सं. 1.39) लेखापरीक्षा

अभ्युक्ति की प्रतिक्रिया में डीओएस ने बताया (अक्तूबर 2013) कि बहुत थोडे स्थल हैं जहाँ आईसीईएस को कार्यान्वित नहीं किया गया है, तथापि, उन्हे आरईसीईएस के प्रयोजन के तहत शामिल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि हाथ द्वारा निर्धारित किये जाने वाले दस्तावेजों की प्रतिशतता वर्षों से कम हो रही है तथा वर्तमान में यह आयात दस्तावेजों के एक प्रतिशत से कम है तथा निर्यात दस्तावेजों के 2.5 प्रतिशत से कम है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में पुनरावृत्ति की कि माडयूलों के विकास का कार्य व्यवहार्यता तथा राजस्व प्रभाव मांग संतुष्टि, मंत्रालय की अपेक्षा एवं अन्य घटकों पर आधारित प्राथमिकता पर निर्भर है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 24 में उठाए गए अधिकतर मुद्दे अभी भी समान स्थिति में है, यद्यपि विभाग ने 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 24 की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया था।

3.15 एमओसी के 'सेजआनलाइन' पोर्टल के साथ लिंकेज का अभाव

आयातित माल जो एसईजेड में प्रयोग करने के विचार से आयात किया गया है, के लिए सीमाशुल्क बन्दरगाह पर फाइल किये गए आईजीएम के क्लोजर की निगरानी हेतु आईसीईएस 1.5 वाणिज्य मंत्रालय (एमओसी) के 'सेजऑनलाइन' पोर्टल के साथ लिंक नहीं हैं, जो एसईजेड की विकास कमिश्नरियों द्वारा निर्यात तथा आयात दोनों के आनलाइन निकासी को सरल बनाता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) मे बताया कि एसईजेड आनलाइन के साथ डाटा के विनिमय हेतु मोडेलिटीज डीओएस तथा एमओसी के बीच चर्चा के स्तर के अधीन हैं तथा इसकी प्रगति डीओसी की प्रतिक्रिया पर निर्भर है।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जाना चाहिए।

3.16 वाहनान्तरण पर छोड़े गए माल की निगरानी हेतु तंत्र का न होना

आईसीईएस 1.5 में वाहनान्तरण पर छोड़े गए माल की निगरानी हेतु कोई तंत्र नहीं है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) में बताया कि आईसीईएस 1.5 में, गेटवे सी पोर्ट से इन्लैण्ड कन्टेनर डिपोट (आईसीडीज) तक माल के वाहनान्तरण हेतु माडयूल पिछले कुछ वर्षों से पहले से ही कार्यरत है। सीटूसी वाहनान्तरण माडयूल 7 फरवरी 2014 को प्रारंभ किया गया है। यद्यपि, एप्लीकेशन में अभिगम पथ सीबीईसी द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

इसकी अगली लेखापरीक्षा में जॉच की जाएगी।

3.17 आईसीईसी के साथ एनआईडीबी तथा ईसीडीबी डाटा के एकीकरण का अभाव

आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन के साथ राष्ट्रीय आयात डाटाबेस (एनआईडीबी) तथा निर्यात माल डाटाबेस (ईसीडीबी) का कोई प्रत्यक्ष एकीकरण नहीं है। एनआईडीबी तथा इसीडीबी का निर्धारण विभागीय अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से केवल निम्नलिखित दो तरीकों से किया जा सकता हैं:

(i) एसएसओआईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉगिन के पश्चात अधिकारी को सिट्रिक्स होमपेज पर उपलब्ध 'मोजिला फायरफाक्स' वेब-ब्राउजर आईकन पर क्लिक करना होता है। तब अधिकारी को इन्टरनेट पर डीओबी की वेबसाइट www.dov.gov.in पर कनेक्ट करना होता है, और डीओवी द्वारा एनआईडीबी तथा ईसीडीबी डाटा तक अभिगम हेतु दिये गए यूजर आईडी/पासवर्ड के दूसरे समूह का प्रयोग करना होता है।

(ii) एसएसओआईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉगिन के पश्चात अधिकारी को सिट्रिक्स होमपेज पर उपलब्ध 'मोजिला फायरफाक्स' वेब-ब्राउजर आईकन पर क्लिक करना होता है। फिर अधिकारी को फायर फॉक्स ब्राउजर के एड्रैस बार में लोकल सर्वर के आईपी एड्रैस को टाईप करके लोकल फाईल तथा प्रिंट सर्वर से कनेकट करना होता है। यह उसे 'मूल्यकोष' पूछताछ माडयूल पर

ले जाएगा जहाँ मूल्यकोष मूल्यांकन पूछताछ माडयूल में उपलब्ध मूल्यांकन डाटा तक अभिगम हेतु स्थानीय कमिश्नरी के प्रणाली प्रबंधक द्वारा जारी किये गए यूजर आईडी पास वर्ड के दूसरे सेट का प्रयोग करना होता है। मूल्यकोष के माध्यम से देखे गए मूल्यांकन डाटा को डीओवी द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

सीबीइसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि महानिदेशक, मूल्याँकन उनके अपने विक्रेताओं को नियोजित करते हुए अपना निजी माडयूल विकसित कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, सीबीईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि हार्डवेयर की खरीद की जानी है तथा माडयूल का प्रोटोटाईप, जैसे ही सर्वर की सुपुर्दगी होती है, जॉच हेतु लोड कर दिया जाएगा । माडयूल की शुरूआत के लिए अन्तिम तिथि 31 मार्च 2014 तक पूरा किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जाना चाहिए।

3.18 आईसीईएस में परियोजना हेतु अनिवार्यता प्रमाणपत्र के प्रति आयात के विवरण केप्चर नहीं किये गए

आईसीईएस में 'एक विशिष्ट परियोजना के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र के प्रति आयात' को केप्चर करने हेतु कोई क्षेत्र नहीं है और इसलिए इसकी पूछताछ नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, बीई की डाटा प्रविष्टि के दौरान प्रत्यक्ष दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किये गए बीजकों की बीजक संख्या प्रणाली में दर्ज नहीं की गई थी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) में बताया कि बही के रूप में अनिवार्यता प्रमाणपत्र के ब्यौरों को केप्चर करने की आवश्यकता की जाँच की जाएगी।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जाने चाहिए।

3.19 आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन में अनुपस्थित कार्य प्रणालियाँ

3.19.1 निर्यात दायित्वों (ईओ) की निगरानी हेतु लाइसेंस-वार किये गए आयात, छोडे गए शुल्क तथा किये गए निर्यातों हेतु कोई विकल्प ना होना।

चूंकि डीजीएफटी द्वारा जारी किये गए प्रत्येक शुल्क मुक्त/ छूट शुल्क आयात लाइसेन्स जैसे ईपीसीजी, अग्रिम अधिकार –पत्र, इत्यादि के प्रति किसी निर्यात एवं आयात की स्वीकृति देने से पहले इन्हें आईसीईएस एप्लीकेशन में पंजीकृत कराना होता है, इसलिए देश में (मैन्यूवल बन्दरगाहों को छोडकर) प्रत्येक सीमाशुल्क स्थान से किये गए निर्यात तथा आयात के संबंध में लाइसेन्स –वार सूचना विभाग के पास आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन डाटाबेस में उपलब्ध है, जिसका शुल्क की निगरानी तथा पता लगाने के साथ –साथ ऐसे लाइसेन्सों के प्रति आयात पर छोडे गए ईओ की प्रतिपूर्ति में किये गए निर्यात की मात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तथापि, लाईसेन्स की निर्धारित ईओ उन्मोचन अवधि के अन्दर अपने ईओ के उन्मोचन में विफल रहने वाले लाइसेंसधारकों को चिन्हित करने के लिए ईओ प्रतिपूर्ति के निगरानी हेतु एप्लीकेशन में किसी माडयूल/रिपोर्ट के माध्यम से विभाग द्वारा इस सूचना का मिलान एवं प्रयोग नहीं किया गया है।

सिफारिश: *डीजीएफटी तथा आईसगेट के मध्य प्रस्तावित निर्यात दायित्व उन्मोचन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) संदेश विनिमय मूर्तरूप नहीं दिया गया है। ईओडीसीज् का हस्त्य प्रेषण तथा उनकी निगरानी पर्याप्त नहीं पाई गई है। तथापि, ईओडीसी से संबंधित राजस्व वसूली प्रक्रियाओं को समय पर प्रारंभ करने के लिए एप्लीकेशन डाटाबेस में उपलब्ध डाटा का उपयोग ईओडीसी उन्मोचन विफलता रिपोर्ट को सृजित करके किया जा सकता है तथा लाइसेंस धारकों के साथ-साथ डीजीएफटी के अनुसरण कर सकते है।*

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि ईओडीसी की निगरानी का उत्तरदायित्व डीजीएफटी पर है जहाँ तक सीमा शुल्क का संबंध है वहाँ आईसीईएस में लाईसेंस-वार आयात बही बनाई जाती है जहाँ छोड़ा गया शुल्क, मात्रा, मूल्य शेष क्रेडिट इत्यादि उपलब्ध हैं।

सीबीईसी ने आगे बताया कि (फरवरी 2014) सभी कस्टम हाउस में निर्यात दायित्व निगरानी सेल हैं जहाँ पूर्व निर्यात लाइसेंस तथा उनके बॉण्ड की निगरानी की जाती है।

लेखापरीक्षा की राय है कि चूँकि सीमाशुल्क अधिसूचनाओं के अन्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में छोडा गया शुल्क अनुमत है तथा शुल्क की वसूली तथा चूक के मामले में निर्यातक/आयातक के विरूद्ध कार्यवाही का दायित्व सीबीईसी का है, अत: जब सीबीईसी के पास डाटा उपलब्ध है तब इसे विशेष रूप से एफआरबीएम अधिनियम के तहत आदेशित रिपोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है।

3.19.2 अनन्तिम निर्धारणों को अन्तिम रूप दिये जाने पर कोई सूचना ना होना

एप्लीकेशन के विकास के पंद्रह वर्षों से अधिक समय के बाद भी एवं सीएजी की {पीए रिपोर्ट 2009-10 की प्रतिवेदन सं. पीए 24 (सीमाशुल्क) के पैराग्राफ 3.16 (iii)} में लेखापरीक्षा में बताए जाने के बाद भी इसके माध्यम से अनन्तिम निर्धारणों को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) में बताया कि आईसीईएस में अनन्तिम निर्धारणों को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु माडयूल का निर्माण एनआईसी द्वारा किया गया है तथा यह जाँच चरण के अधीन है। जाँच की प्रगति तथा प्रयोक्ता की संतुष्टि के आधार पर माडयूल को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

यद्यपि, मुद्दा 2009-10 में बताया गया था फिर भी विभाग आज तक माड्यूल को प्रारंभ करने में विफल रहा। तथापि, समापन की अन्तिम तिथि तथा माडयूल को चालू करने की लक्ष्य तिथि लेखापरीक्षा को सूचित की जानी चाहिए।

3.19.3 कम उदग्रहण मामलों में की गई कार्रवाई पर कोई सूचना न होना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 में प्रावधान किया जाता है कि जहाँ किसी शुल्क का उद्ग्रहण नही किया गया है, अथवा कम उद्ग्रहण किया है

अथवा गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहाँ किसी देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, कुछ भाग का भुगतान किया गया है, अथवा गलती से प्रतिदाय किया गया है, तो वहाँ उचित अधिकारी संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समय में नोटिस जारी कर सकता है, यह कारण बताने के लिए कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि जब कभी भी विभाग द्वारा कम प्रभार नोटिस/कारण बताओं नोटिस अथवा कम उदग्रहीत शुल्क की वसूली के मामले के रूप में कार्रवाई प्रारंभ की गई है, ऐसी कार्यवाही के बारे में कोई सूचना आईसीईएस एप्लीकेशन में उपलब्ध नहीं है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि इडीआई प्रणाली पहले से ही बीई के ओओसी तक जुर्माना तथा शास्ति के संबंधित कॉलमों में उनके विवरणों को केप्चर करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। फाईल संख्या, कारण बताओं नोटिस संख्या तथा अधिनिर्णय आदेश को विवरणों के सन्दर्भ बीई की विभागीय टिप्पणियों में केप्चर किए जाते हैं। तथा आगे बताया (25.02.2014) कि वसूली से संबंधित विवरण उचित प्रक्रिया द्वारा सीबीईसी में सीमाशुल्क-पीएसी शाखा द्वारा उपलब्ध कराये जाऐगें।

सीबीईसी का उत्तर संतोषजनक नहीं है तथा अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान जाँच की जानी चाहिए।

3.19.4 हस्तलिखित चालान के माध्यम से भुगतान किये गए शुल्क को अभिलिखित करने हेतु एप्लीकेशन में प्रावधान ना होना

जहाँ हस्तलिखित चालान के माध्यम से शुल्क डेबिट किया जाता है वहाँ ऐसे भुगतानों के बारे में सूचना प्रणाली में अपलोड नहीं की जाती।

विभाग ने उपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि आईसीईएस में हस्तलिखित डीटीआर माडयूल में हस्तलिखित बीईज के प्रति किए गए भुगतानों को केप्चर करने हेतु प्रावधान है जो सभी ईडीआई साईटों पर उपलब्ध है।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में इसे सत्यापित किया जा सकता है।

सिफारिश: *प्रत्येक आयात/निर्यात निर्धारण अभिलेख से संबंधित डाटा के अद्यतन को अनुमत करने के लिए अनन्तिम निर्धारणों, शुल्क के कम उदग्रहण लगाए जाने के मामलों में की गई कार्यवाही एवं हस्तलिखित चालानों के माध्यम से अदा किए गए शुल्क से संबंधित सूचना एप्लीकेशन में उपलब्ध कराई जा सकती है।*

3.19.5 अतिरिक्त शुल्क जमा (ईडीडी) के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतू कोई सुविधा ना होना

आईसीईएस एप्लीकेशन के माध्यम से ईडीडी के उदग्रहण तथा संग्रहण हेतु कोई सुविधा नहीं है जिसके कारण इसे अलग से हस्तलिखित रूप में संग्रह करना पड़ता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 एवं फरवरी 2014) में बताया कि अतिरिक्त शुल्क जमा के लिए आवश्यकता तथा दृश्यलेख हेतु विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है जिसमें इसके कार्यकलाप को स्वचालित करने की आवश्यकता का पता लगाना, इसके औपचारिक प्रक्रिया प्रवाह के साथ साथ माडयूल के विकास की प्राथमिकता सम्मिलित है।

सीबीईसी का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए सुसंगत नहीं है। इस संबंध में सीबीईसी द्वारा प्रारंभ की गई कार्रवाई को विस्तार से नहीं बताया गया ।

3.19.6 ईडीआई डाटा की गुणवत्ता

डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता ने एक लेखापरीक्षा प्रश्न की प्रतिक्रिया में सूचित किया (जुलाई 2013) कि डीजीसीआईएण्डएस द्वारा 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों से संबंधित निर्यात के ईडीआई अभिलेखों में 7 से 10 प्रतिशत तथा आयातों के मामले में ईडीआई अभिलेखों के लगभग 4 प्रतिशत में आईटीसी (एचएस) सुधार किये गए थे। समान अवधि के निर्यात तथा आयात डाटा दोनों पर 40 प्रतिशत से अधिक ईडीआई अभिलेखों में भारी मात्रा में सुधार किये गए थे जबकि मूल्य तथा देश कोड सुधार कुछ मामलों में किये गए थे।

डीजीसीआईएण्डएस द्वारा ईडीआई डाटा में बताया गया अनौचित्य प्रमाणीकरण की कमी का सूचक है जो गलत उदघोषणाओं के लिए गुंजाईश छोड़ता है जो

साथ में देश की व्यापार सांख्यिकी की गुणवत्ता तथा निर्धारणों को प्रभावित कर सकता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि सभी डाटा क्षेत्रों पर प्रमाणीकरण को बढ़ाने से अस्वीकृतियों में वृद्धि होगी तथा व्यापार सरलीकरण तथा यथोचित डाटा विश्लेषण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डाटा के प्रमाणीकरण तथा संव्यवहार लागतों के मध्य एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। तथापि, दिनांक फरवरी 2014 के अपने उत्तर में सीबीईसी ने स्वीकार किया था कि क्रमश 70 प्रतिशत तथा 55 प्रतिशत एसबीज तथा बीईज् मानक यूक्यूसी के स्थान पर यूक्यूसी में फाइल किए गए हैं। अत: विभाग द्वारा मानक यूक्यूसी के संबंध में पूर्णतया प्रमाणीकरण को लागू करने पर विचार किया गया है, क्योंकि इसके अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार के निर्बाध प्रवाह में बाधा डालने की गंभीर संभावना हो सकती है। यह पुनरावृत्ति की गई कि विभाग के प्रयासों को राजस्व तथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्वाध प्रवाह के मध्य सुसंतुलन में विघ्न डाले बिना व्यापार डाटा के मानकीकरण की ओर तीव्र किया गया है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, उत्तर से यह लगता है कि बोर्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्वाध प्रवाह की ओट में यथोचित यूक्यूसीज फाइल करने के लिए व्यापार को बढ़ाने के बजाए प्रणाली में प्रमाणीकरण को लागू ना करने के लिए एक सरल तरीका अपना लिया है। तथापि, नौभार निकासी का समय से विश्लेषण करने, माप योग्य सूचकों के अनुसार व्यापार सरलीकरण पर प्रभाव, बचाई गई संव्यवहार लागत इत्यादि हेतु किए गए किसी अध्ययन पर कोई अभिलेख/रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, विभाग का उत्तर राजस्व सुरक्षा की बजाए अस्वीकरणों को रोकने पर जोर देने वाला प्रतीत होता है।

अध्याय IV: परिचालन दोष के अन्य मुद्दे

कुछ अन्य मुद्दे जैसे हार्डवेयर का अनुचित आबंटन/उपयोग, अपर्याप्त आपदा प्रवन्धन प्रणाली, आईसीईएस 1.5 में हाथ द्वारा दर्ज किये गए आयात एवं निर्यात संव्यवहारों की अपलोडिंग न करना, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध किये गये हैं, भी लेखापरीक्षा में देखे गए।

4.1 हार्ड वेयर का अनुचित आबंटन/उपयोग

लेखापरीक्षा ने देखा कि चेन्नै सी तथा चेन्नै एयर कमिश्नरियों में उनके द्वारा प्राप्त 414 एवं 166 के प्रति केवल 250 तथा 100 थिन कलाईंट टर्मिनल स्थपित किये गए थे। इसके अतिरिक्त, चेन्नै एयर तथा आईसीडी पटपडगंज के मामले में, यह देखा गया था कि प्रतिस्थापित 100 तथा 162 टर्मिनलों में से, केवल 80 तथा 30 टर्मिनल 31 मार्च 2013 को वास्तविक रूप से उपयोग में थे। यह संकेत करता है कि हार्डवेयर का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा था।

विभाग ने अपने उत्तर में (जनवरी 2014) सीमाशुल्क हाउस चेन्नै एसीसी, चेन्नै तथा आईसीडी पटपड़गंज में आपूर्ति किये गए कुल थिन क्लाईंट्स, प्रयुक्त थिन कलाईंट्स तथा उपयोग ना किये गए थिन क्लाईंट्स का तालिकाबद्ध विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि डाटा उपरोक्त स्थानों पर 9 जनवरी 2014 को नियुक्त मैसर्स एचपी के रिपीडेन्ट इन्जिनियरों द्वारा किये गए स्थल सर्वेक्षण के माध्यम से संग्रह किया गया है। आपूर्ति किये गए हार्डवेयर के कम उपयोग के लिए कारण आईसगेट में बीईज्/एसबीज् का आनलाइन फाइलिंग किया जाना, सेवा केन्द्र में प्रयोक्ताओं की संख्या का कम होने के कारण या जिसके परिणामस्वरूप थिन क्लाईंट्स का कम उपयोग होना, विभिन्न संवर्गो के अन्तर्गत अधिकारियों/स्टॉफ की कमी जिसके कारण प्रारंभिक अनुमानों के प्रति थिन क्लाईंटस/नोड्स की कम संख्या का उपयोग होना, तथा कोरियर तथा एपीएसओ फाइल किए गए बीईज् की प्रक्रिया से संबंधित माडयूलों की अनुपलब्धता के कारण आरंभिक अनुमानों के प्रति कम संख्या में थिन क्लाईंट्स का उपयोग किया जाना हैं। सीमाशुल्क आयुक्त, हवाईअड्डा तथा वायु नौभार चेन्नै ने सूचित किया कि विभाग में संवर्ग पुनर्संरचना के कार्यान्वयन के पश्चात सभी थिन क्लाईंट्स को उपयोग में लाया जाएगा।

सीबीईसी का उत्तर संकेत करता है कि उन्होंने स्वीकार किया कि हार्डवेयर का इष्टतम उपयोग नही किया जा रहा था एवं खरीद तथा संवितरण में उचित योजना का अभाव है।

4.2 तड़ित आघात से सुरक्षा

आईसीडी, पीतमपुर में तड़ित आघात से सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी। ईडीआई हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा स्टॉफ की सुरक्षा हेतु इसे स्थापित किया जाना चाहिए।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) में बताया कि एलएएन परियोजना के कार्यान्वयन के समय विद्यमान निर्देशों के अनुसार स्थल तैयार करना अभिरक्षक का उत्तर दायित्व है। स्थिति के निराकरण हेतु की गई कार्रवाई उचित समय पर लेखापरीक्षा को सूचित की जाएगी।

अन्तिम परिणाम सूचित किए जाएं।

4.3 सीमित विद्युत बैक अप

आईसीडी, मंडीदीप (भोपाल) में उपलब्ध विद्युत बैक-अप की अवधि केवल आधा घण्टा थी जो इडीआई प्रणाली के काम करने की निरंतरता तथा डाटा की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त प्रतीत हुई ।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) में कहा कि केवल एलएएन परियोजना के अन्तर्गत ही विद्युत बैक-अप उपलब्ध कराया गया है। तथापि, स्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं की जाँच की जाएगी तथा जैसा आवश्यक होगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। स्थिति का निराकरण करने हेतु की गई कार्यवाही की सूचना उचित समय पर लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

अन्तिम परिणाम सूचित किए जाएं।

4.4 हस्त्य रूप से दर्ज किये गए बिलों के विवरण आईसीईएस में दर्ज नहीं किये गए थे

यह देखा गया है कि एयर कस्टम, चेन्नै तथा तूतीकोरिन समुद्री सीमाशुल्क के संबंध में, आयातों के मामलों में ओओसी देने तथा निर्यातों के मामलों में निर्यात करने का आदेश (एलईओ) देने के पश्चात हस्त्य रूप से फाइल किए गए आयात तथा निर्यात बिलों के विवरणों की प्रविष्टि आईसीईएस प्रणाली में नहीं की गई थी। इसे बताए जाने पर, तूतीकोरिन सीमाशुल्क ने बताया (जून 2013) कि आईसीईएस में प्रविष्टि हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी2014) में बताया कि ऐसे डाटा की प्रविष्टि हेतु सेवा उपलब्ध है। इस संबंध में अनुदेश सभी फार्मेशनों को दोहराये जाएगें। सीमाशुल्क-पीएसी शाखा तूतीकोरिन द्वारा की गई कार्रवाई पर अलग से सुसंगत विवरण उपलब्ध कराएगी।

अन्तिम परिणाम सूचित किए जाएं।

5 निष्कर्ष

भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) लगभग 18 वर्षों से प्रचलन में है। इसने आयात तथा निर्यात की अनुमति, निर्धारण में पारदर्शिता तथा एकरूपता उपलब्ध कराने एवं व्यापार सरलीकरण से निर्धारणों के साथ संबंधित सीमाशुल्क विभाग की बहुत सी कारबार प्रक्रियाओ को एक साथ स्वचालित किया है। प्रबंन्धन स्तर पर वर्तमान निष्पादन समीक्षा में आईटी नीतिगत योजना, कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण नीति तथा आन्तरिक निर्धारण के लिए नीति एवं कोर एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में कमियाँ पाई गई।

विभाग के पास प्रणाली के भविष्य में विकास हेतु कोई रोडमैप नहीं है। इसने वर्षों से बेहतर प्रबन्धन तथा तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त श्रमबल की भर्ती करते हुए आईसीटी प्रणालियों एवं एप्लीकेशनों की निगरानी हेतु पर्याप्त आन्तरिक क्षमताएं निर्मित नहीं की जो परिचालन दक्षता को प्रभावित कर सकती हैं। कोर एप्लीकेशनों की प्रभावशीलता की समीक्षा करने हेतु उनकी आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु कोई प्रावधान नहीं है। परिचालन के 18 वर्षों के बाद भी एवं पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में सीएजी द्वारा बताए जाने के बावजूद भी एप्लीकेशन स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डाटा प्रमाणीकरण जैसे सीमाशुल्क एवं उत्पाद छूट अधिसूचना मूल स्रोत देश आधारित छूट, आरएसपी आधारित निर्धारणों इत्यादि जो सही निर्धारणों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं की कमी पाई थी, जिससे गलत छूट अनुमत हो रही थी जिससे गलत उदघोषणाओं एवं लागत निर्धारण के लिए संभावना को छोडते हुए एप्लीकेशन द्वारा स्वीकार किया गया था, तथा राजस्व का परिणामी निसरण हुआ। अधिसूचनाओं शुल्कों, विनिमय दरों इत्यादि की प्रधान तालिकाओं के लिए डायरेक्टरी अद्यतन प्रक्रिया में उपयुक्त जाँच का अभाव भी पाया गया था जिसके कारण विलम्बित अद्यतन तथा गुम हुए अद्यतन का पता लगाने में विफलता हुई। संस्करण के आईसीईएस 1.0 से आईसीईएस 1.5 में उन्नयन करने में ₹ 604 करोड़ खर्च करने पर लागत एवं समय की बचत के रूप में

अनुरूपी लाभ का अनुमान नहीं लगाया गया। लेखापरीक्षा के पास ऐसे महत्वपूर्ण मिशन प्रणाली के निष्पादन संकेतकों के मापन पर कर किए गए जोखिमों तथा फीडबैक कार्यवाईयों का एक अविचलित आवश्वासन नहीं है।

सीबीईसी का आईएस प्रबन्धन स्टाइल पुनरावृति योग्य है परन्तु कुछ परिभाषा योग्य प्रक्रियाओं में अन्तर्ज्ञान संबंध नहीं है और तीव्र गति से बदलते हुए व्यापार एवं तकनीकी परिवेश में अननुपालन का पता न लगा पाने का जोखिम उत्पन्न करता है। आईसीईएस 1.0 से आईसीईएस 1.5 में अन्तरण करते समय आईएस के प्रबन्धन में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुए थे जैसाकि सीएजी द्वारा 2008 में निष्पादन लेखापरीक्षा से देखा गया। यद्यपि, डीओएस ने सूचित किया कि उन्होंने जोखिम रजिस्टर बनाए हैं एवं जोखिमों को चिन्हित किया है। रजिस्टर संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गए थे। इसी प्रकार महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों के मापन हेतु बैंचमार्कों का प्रबन्धन जो सेवाओं की गुणवत्ता एवं सामयिकता को कवर करते हैं, त्रुटिपूर्ण थे जैसाकि प्रणालीगत मुद्दों तथा वे जो एप्लीकेशन के कार्य क्षेत्र तथा कार्यात्मकता पर आधारित है, द्वारा इंगित किए गए थे।

नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई 2014

(नीलोत्पल गोस्वामी)
प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

शब्दावली

शब्दावली

एसीपी	मान्यता प्राप्त क्लाइंट प्रोग्राम
एसीसी	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
एडीडी	एंटी डंपिंग ड्यूटी
एईओ	अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर
एटीएफ	एविएशन टर्बाइन फ्यूल
ए वी	निर्धारणीय मूल्य
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क
बीई	बिल ऑफ इंट्री
सीएबी	परिवर्तन सलाहकार बोर्ड
सीबीडीटी	केन्द्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर
सीबीईसी	केन्द्रीय बोर्ड, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
सीसीईए	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
सीसीआर	अनिवार्य अनुपालन आवश्यकता
सीईटीएच	सेंट्रल एक्साइज टैरिफ हेडिंग
सीएचए	कस्टम हाउस एजेंट
सीएनई	गैर योजना व्यय समिति
सीओओ/सीओआरजी	उदगम के देश
सीआरए	सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीटीए	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक
सीयूएस	सीमा शुल्क
सीवीडी	काउंटरवेलिंग ड्यूटी
डीईपीबी	ड्यूटी एनटाइटलमेंट पासबुक स्कीम/ स्क्रिप
डीजीसीआईएण्ड एस	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेशी व्यापार महानिदेशक
डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग

डीओएस	सिस्टम और डाटा प्रबंधन महानिदेशालय
डीओवी	मूल्यांकन निदेशालय
डीएससीआई	भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद
ईसीडीबी	निर्यात कमोडिटी डाटाबेस
ईडीडी	एक्स्ट्रा ड्यूटी जमा
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज
ईजीएम	निर्यात जनरल मैनिफेस्ट
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईपीसीजी	एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स
एफएमएस	फोकस मार्केट स्कीम/स्क्रिप
एफपीएस	फोकस प्रोडक्ट स्कीम/स्क्रिप
एचपीसी	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
एच एस	सुसंगत कमोडिटी
आईसीडी	इनलैंड कंटेनर डिपो
आईसीईगेट	भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई गेटवे
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईजीएम	आयात जनरल मैनिफेस्ट
आईएस	सूचना प्रणाली
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीसी	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण
जेएनसीएच	जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, न्हावा शेवा
एलईओ	निर्यात ऑर्डर
एलआरएम	स्थानीय जोखिम प्रबंधन
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओसी	वाणिज्य मंत्रालय
एनएसीईएन	नेशनल एकेडमी, सीमा शुल्क और नशीले पदार्थों
एनसीएच	न्यू कस्टम हाउस (मुंबई)

एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
एनआईडीबी	राष्ट्रीय आयात डाटाबेस
नोटिफिकेशन	अधिसूचना
एनआरएम	नेशनल जोखिम प्रबंधन
एनएसएम	नेशनल सिस्टम मैनेजर
एनटी	गैर टैरिफ
ओओसी	प्रभार से बाहर
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीसीए	पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन यूनिट
पीडब्ल्यूसी	प्राइस वाटरहाउस कूपर्स
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएमडी	जोखिम प्रबंधन प्रभाग
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
आरएसपी	खुदरा बिक्री मूल्य
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी)
एस.बी.	शिपिंग बिल
एसबीआई	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एसएचआईएस	स्थिति धारक प्रोत्साहन स्क्रिप
एसआइआईबी	विशेष जांच और खुफिया शाखा
एसएलए	सेवा स्तर करार
एसआरएस	सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश
एसएसओआईडी	एकल साइन पर पहचान
एसटीक्यूसी	मानकीकरण जॉच और गुणवत्ता प्रमाणन
टीईजी	तकनीकी विशेषज्ञ समूह
टीपीए	तीसरे पक्ष की लेखापरीक्षक
टीआरए	टेलीग्राफिक रिलीज सलाह
यूक्यूसी	यूनिट मात्रा कोड
डब्ल्यूएच	वेयरहाउस

अनुबंध

अनुबंध क

पूछे गए दस्तावेज/सूचना	डीजी प्रणाली से प्राप्त दस्तावेज/सूचना
आईटी समेकन परियोजना पर कबिनेट नोट	आर्थिक मामलों 26 नवंबर 2007 पर कैबिनेट समिति की टिप्पणी
आईसीइएस 1.5 प्रवासन नीति दस्तावेज	आईसीइएस 1.5 प्रवसन विहंगावलोकन (विप्रो/सीबीईसी)
आईसीइएस 1.5 प्रवसन कार्यान्वयन दस्तावेज	(i) आईसीइएस1.5 प्रवासन साईट प्रवासन विवरण स्थान एसीसी सहर (विप्रो) (ii) आईसीइएस 1.5 प्रवासन साइट प्रवासन सारांश रिपोर्ट दिनांक 31 मई 2011 (विप्रो)
डीजी (प्रणाली), डीओवी एवं आरएमडी का संक्षिप्त कार्य विवरण के साथ सगठन चार्ट	डीओवी कार्यों का विस्तृत विवरण
अभिगम नियंत्रण नीति दस्तावेजीकरण	सीबीईसी उपभोक्ता अभिगम प्रबंधन कार्यविधि संस्करण 1.2 (अगस्त 2012)
पासवर्ड नीति दस्तावेजीकरण	सूचना सुरक्षा दस्तावेज सीबीईसी सूचना सुरक्षा नीति संस्करण 1.6, जून 2012 दस्तावेज नियंत्रण
एसएसओआईडी मामले एवं निगरानी अभिलेख	सीबीईसी उपयोगकर्ता अभिगम प्रबंधन कार्यविधि संस्करण 1.2 अगस्त 2012
संविदा के स्वरूप (हार्डवयेर/सोफ्टवेयर/एप्लिकेशन एएमसी, अन्य सेवा करार, लेखापरीक्षा संविदा आदि) के साथ आईसीटी संविदाओं की सम्पूर्ण सूची, कुल संविदा मूल्य, जब संविद, वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत तक भुगतान तक वैध हो।	एसआई संबंधित सविदाओं की सूची दिनांक 28 मार्च 2008 के सीबीईसी एवं एचपी इंडिया बिक्री प्राइवेट लिमिटेड (एचपी) की संविदाएं 9 मार्च 2007 को सीबीईसी, बीएसएनएल, वीएसएनएल, एचपी की संविदाएं एमओयू एनआईसी के साथ, सर्विस सेंटर संविदा विप्रो के साथ सीएमसी संविदा, एनडीए विप्रो के साथ एनआईडीबी और ईसीडीबी के सुधार हेतु मूल्यांकन के लिए टेंडर मै. बिड़ला सॉफ्ट लिमिटेड के साथ संविदा
व्यापार निरंतरता योजना (आकस्मिक योजना) दस्तावेज़	सूचना सुरक्षा दस्तावेज, सीबीईसी आईटीएससीएम दस्तावेज़ संस्करण 2.0, मार्च 2012
आपदा बहाली योजना दस्तावेज	सूचना सुरक्षा दस्तावेज़ सीबीईसी आईटीएससीएम दस्तावेज संस्करण 2.0 मार्च 2012
आपदा बहाली परिक्षण रिपोर्ट	सीबीईसी डीआर ड्रिल रिर्पोट (11, 12, 13 जनवरी 2013) संस्करण 3.0, जनवरी 2013
परिवर्तन प्रबंधन कार्य विधि दस्तावेजीकरण	परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया दस्तावेज संस्करण 2.0 जून 2011
आईटी सुरक्षा नीति दस्तावेजीकरण	सूचना सुरक्षा दस्तावेज सीबीईसी सूचना सुरक्षा नीति संस्करण 1.6 जून 2012 दस्तावेज़ नियंत्रण
निष्पादन विश्लेषण रिपोर्ट	बीई एवं आईजीएम फाइलिंग ट्रेंड, सीपीयू और मेमोरी उपयोगिता डीसी और डीआर की बैंडविड्थ

पूछे गए दस्तावेज/सूचना	डीजी प्रणाली से प्राप्त दस्तावेज/सूचना
	उपयोगिता
डाटा बैकअप नीति दस्तावेज	सीबीईसी बैकअप नीति दस्तावेज संस्करण 2.1 अगस्त 2012
डाटा भण्डारण नीति दस्तावेजीकरण (बोथ और ऑफ साइट भण्डारण नीति)	सीबीईसी बैकअप नीति दस्तावेज संस्करण 2.1 अगस्त 2012
तृतीय पक्ष मूल्याकन/एप्रेसल रिपोर्ट	1) अक्तुबर 2011-मार्च 2012 पीडब्ल्यूसी अर्धवार्षिक सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2) सितम्बर-12 से नवम्बर 12 पीडब्ल्यूसी परिसम्पति लेखापरीक्षा रिपोर्ट 3) पीडब्ल्यूसी द्वारा सीबीईसी एलएएन एसएलए लेखापरीक्षा रिपोर्ट तिमाही 14 (17 नवम्बर 12-16 फरवरी 13) और 13 (17 अगस्त 12-16 नवम्बर 12) तिमाही 4) पीडब्ल्यूसी द्वारा सीबीईसी डब्ल्यूएएन एसएलए लेखापरीक्षा रिपोर्ट तिमाही 14 (1 दिसम्बर 12-28 फरवरी 13) और तिमाही 13 (1 सितम्बर 12-30 नवम्बर 12)
सिस्टम डाउन टाइम रिकॉर्ड	सिस्टम उपलब्धता रिपोर्ट
जहां आरएमएस परिचालित हो, वहां सीमाशुल्क साइट की सूची	संविदा (बिड़लासॉफ्ट) का अनुबंध - IV
एसआई संविदा; पीडब्ल्यूसी द्वारा परिसम्पत्ति लेखापरीक्षा रिपोर्ट; पीडब्ल्यूसी द्वारा अर्द्धवार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट; सुरक्षा; निष्पादन रिपोर्ट; सूचना सुरक्षा नीति; सूचना सुरक्षा प्रक्रियाएं;	उपलब्ध नहीं
अगस्त 2013 में ईमेल से प्राप्त दस्तावेज:	डाटा डिक्शनरी; प्रक्रिया अद्यतन डायरेक्टरी-मैन्युअल; आईसीईएस उपयोगकर्ता एस्सेस मेटरीक्स; डीओएस पर नौकरी विवरण तथा कार्य आबंटन;
लेखापरीक्षा मांग के अनुसार अन्य दस्तावेज	डीजी प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन द्वारा संकलित समेकन परियोजना पर निर्देशों का सार आईसीईएस का केन्द्रीकृत प्रबधंन आईटीसीएचएस कोड निर्देशिक प्रबधंन फार्म से निर्देशित होता है: उपयोगकर्ता नियमावली आईसीईएस 1.5 वर्जन 1.0 अप्रैल 2013 में बजट अद्यतन के लिए मार्गदर्शन संदेश सूची।
मै. बिरलासॉफ्ट के साथ आरएमएस सॉफ्टवेयर हेतु संविदा/करार	27.05.2013 को प्राप्त 17 पृष्ठों का ठेका करार।
मै. बिरलासॉफ्ट के साथ एसएलए यदि कोई हो	
सेवा प्रदाता/विक्रेता के निगरानी निष्पादन के लिए मानदंड तथा प्रक्रिया यदि कोई हो, जैसाकि थर्ड पार्टी लेखापरीक्षकों के माध्यम से	
वाईआर 2012-13 के लिए आरएमडी द्वारा अनुरक्षित सीसीआर	

पूछे गए दस्तावेज/सूचना	डीजी प्रणाली से प्राप्त दस्तावेज/सूचना
निर्देशिका का अद्यतन विवरण	
आरएमडी की पैच विकास तथा परिनियोजन प्रक्रिया	सीबीईसी (आरएमएस) साप्ताहिक स्थिति समीक्षा 15 मार्च – 21 मार्च 2013, सीबीईसी पश्च उत्पादन अनुरक्षण की साप्ताहिक स्थिति समीक्षा 22 मार्च 2013 एवं 28.05.2013 को प्रस्तुत पूर्व-पैच कार्यान्वयन व पैच प्रक्रिया डॉक्स
पीसीए निगरानी रिपोर्ट का फार्मेट तथा निरन्तरता और उसके कारण निगरानी से संबंधित रिकॉर्ड/फाइलें	आरएमएस के कार्यान्वयन पर मासिक निष्पादन रिपोर्ट का फार्मेट
एलआरएम निगरानी रिपोर्ट का फार्मेट तथा निरन्तरता और उसके कारण निगरानी से संबंधित रिकॉर्ड/फाइलें	उपलब्ध नहीं
आरएमडी कार्यप्रणाली की आन्तरिक/बाहरी/थर्ड पार्टी लेखापरीक्षा/ मूल्यांकन रिपोर्ट	
क्या संयुक्त सचिव (सीमाशुल्क) एनआरएमसी का एक सदस्य है, यदि हां तो कब से?	
वि.व.2011-12 तथा 2012-13 के दौरान निर्धारित एनआरएमसी बैठकों की निरन्तरता तथा एनआरएमसी बैठकों की तिथियां	
मूल्य बैंड, वैधता चेतावनी तथा असाधारण मात्रात्मक कोड़स (यूक्यूसी) के साथ एमएससी की सूची देने के लिए डीओवी हेतु आवधिकता के रूप से मंजूरी।	
आवधिक समीक्षा तथा मूल्यांकन के लक्ष्य/एलआरएम द्वारा किया गया हस्तक्षेप	आवधिक समीक्षा तथा मूल्यांकन के लक्ष्य/एलआरएम द्वारा किया गया हस्तक्षेप
एनआईडीबी तथा ईसीडीबी हेतु सेवा प्रदाता संविदा/करार	एनआईडीबी तथा ईसीडीबी की निविदा तथा सूची।
आयात तथा निर्यात डाटा की प्रक्रिया से संबंधित डीओवी गतिविधियों का विस्तृत विवरण तथा मूल्यांकन विश्लेषण	संक्षिप्त रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई।
आईसीईएस 1.5 डाटाबेस से प्राप्त आयात तथा निर्यात डाटा में क्षेत्रीय नाम तथा वर्णन	1 पृष्ठ का दस्तावेज प्राप्त किया।
आईसीईएस 1.5 डाटाबेस से प्राप्त आयात तथा निर्यात डाटा में क्षेत्रीय नाम तथा वर्णन	सूचना प्रस्तुत की गई।
प्रणाली निदेशालय से प्राप्त आईसीईएस 1.5 डाटा की पूर्णता की जांच करने के लिए अनुसरित प्रक्रिया।	सूचना प्रस्तुत की गई।
आरएमएस निर्यात मॉडयूल हेतु अधिक संवेदन मदों के लिए पहचान/मूल्यांकन विश्लेषण से संबंधित कार्य की वर्तमान स्थिति तथा पहचान की गई ऐसी मदों की संख्या	सूचना प्रस्तुत की गई।
एमएससी की संख्या जिसके लिए वर्तमान में डीओवी द्वारा आरएमडी को मूल्यांकन डाटा मुहैया कराया जाता है।	सूचना प्रस्तुत की गई।
क्या आईसीईएस 1.5 के अन्तर्गत थिन क्लाइंस्टस के माध्यम से एनआईडीबी और ईसीडीबी सुलभ हैं? यदि हां, तो कैसे?	सूचना उपलब्ध कराई गई
अन्य दस्तावेज/सूचना उपलब्ध कराई गई	एनआईडीबी और ईसीडीबी वेब फ्रंट पृष्ठ का स्क्रीन शाट विशेष मूल्यांकन शाखाओं के कार्यकारी नियंत्रण के संबंध में दिनांक 07.12.2012 का परिपत्र सं. 29/2012-सीमा शुल्क दिनांक 16 अक्टूबर 2007 की डीजीओवी के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन डिविजन के सृजन

पूछे गए दस्तावेज/सूचना	डीजी प्रणाली से प्राप्त दस्तावेज/सूचना
	और डाटा बेस के विकास-प्रस्ताव के संबंध में फ. सं. 224/23/2005 सीएक्स 6. दिनांक 16 अक्तूबर 2007
मै. बिरला साफ्ट के साथ एसएलए, यदि कोई हो तो	उपलब्ध नहीं कराया गया

अनुबंध ख

सीआरए मोड्यूल के निहित ड्राबैक

I. एक बिल की प्रविष्टि में एकल मद के लिए भी लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर पहुचने के लिए कम से कम 18 स्क्रीनें देखनी पडती है।

II. केवल निर्धारणीय मूल्य, आईईसी, सीटीएच, सीमाशुल्क अधिसूचना पर आधारित बिलों का चयन संभव है।

III. निर्यात संवर्धन योजनाओं की अधिसूचनाओं पर आधारित बिलों का चयन संभव नहीं है।

IV. दो रेंजों के बीच निर्धारणीय मूल्य पर आधारित बिलों का चयन संभव नहीं है।

V. माल्टीपिल पैरामीटरों से संबंधित चयन संभव नहीं है।

VI. बोर्ड द्वारा समयसीमा एक वर्ष की मांग तक बढाने के बाद भी निर्धारण तिथि से 180 दिनों से आगे बिलों के चयन संभव नहीं है।

VII. वाइल्ड कार्ड चयन संभव नहीं है।

VIII. लेखापरीक्षा के पास विशिष्ट रूप से निर्मित बिलों के चयन का कोई विकल्प नहीं है।

IX. प्रत्येक बिल की प्रविष्टि को अलग से देखना होता है। समान माल/आयातकों इत्यादि के बीई की तुलना का कोई विकल्प नहीं है।

X. लेखापरीक्षा आवश्यकता के अनुसार डाटा की सोर्टिंग का अभाव था।

XI. प्रत्येक बिल की प्रविष्टि को अलग से देखना होता है। समान माल/आयातको के बीईज़ की तुलना का कोई विकल्प नहीं है।

अनुबंध ग

(₹ करोड़ में)

आरएसपी अधिसूचना में कुल क्रम संख्या	विश्लेषण अधिसूचनाओं के क्रम सं. की संख्या	कवर की गई टैरिफ लाइनों की संख्या	आरएसपी आधार पर निर्धारिणीय पाई गई मदों की संख्या	सही निर्धारित पाए गए अभिलेखों की संख्या	सही रूप से निर्धारित मामलों में वसूला गया कुल सीवीडी	समान माल पर वसूली गई सीवीडी पर यथामूल्य निर्धारण किया गया था	आरएसपी आधार निर्धारण के कारण देय बढी हुई सीवीडी की उगाही	गलत रूप से निर्धारित माल का कुल एवी	गलत रूप से निर्धारित माल पर उगाही गई कुल सीवीडी
135*	76	565	35,48,596	13,79,687 (39%)	5,669.68	3,853.70	47.1%	44,612.93	5,746.40

*कुल 144 अधिसूचनाओं से नौ क्रम सं. हटाई गई मानी गई।

अनुबंध घ

(मूल्य ₹ में)

बीई सं./ बीजक सं./ मद सं.	बीई दिनांक	माल का विवरण	आयात की लागत (एवी+शुल्क)	युनिटों की संख्या	आयात यूनिट की लागत	घोषित आरएसपी यूनिट	कम घोषणा यूनिट	वास्तव में प्रदत्त कुल सीवीडी (आरएसपी के आधार पर)	लेन देन मूल्य आधार पर देया सीवीडी (अर्थात एवी+बीसीडी पर)
9507075 1/37	07-03-13	वोल्वो कन्सट्रक्शन उपकरणों के पुर्जे	1,90,72,368	107	1,78,246	527	1,77,720	4,735	22,81,876
7438409 1/1	19-07-12	सेट टॉप बाक्स	54,55,503	5000	1,091	2.5	1,089	975	6,53,606
6606216 3/5	21-04-12	एलसीडी प्रोजेक्टर	43,43,831	2	21,71,915	47,000	21,24,915	7,896	5,18,868
9124858 2/1	24-01-13	मिडिया में साफ्टवेयर	28,27,742	16	1,76,734	5,710	1,71,024	9,319	3,38,211
6994286 1/1	02-06-12	सिस्टम एचवाईडीआर जैक	33,35,407	1	33,35,407	7,14,537	26,20,870	60,021	3,76,648

*विशाखापट्नम में 25-26 मार्च 2003 को हुई सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तों की कान्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के अनुसार

अनुबंध ड

(₹ करोड़ में)

आयातक का नाम	बीईपी संख्या	माल का विवरण	आयात की गई यूनिटों की संख्या	निर्धारण मूल्य (₹ करोड़ में)	वास्तविक रूप से प्रदत्त सीवीडी (आरएसपी आधार पर)	लेन देन मूल्य आधार पर देय सीवीडी* (अर्थात एवी+बीसीडी पर)
एचएलएल लाइफकेयर लि.	118	सेनिटरी नैपकिंस	40,29,68,960	41.80	1.41	2.47
डाइकिन एयर कंडिशनिंग इंडिया प्रा. लि.	113	डाइकिन एसी (इनडोड युनिट)	20,862	14.33	1.19	1.74
लेनोव (इडिया) प्रा. लि.	34	लेपटाप/नोटबुक्स	66,506	90.28	9.40	10.83
एसर-इंडिया (प्रा.) लि.	74	नोटबुक्स/लैपटाप/एलसीडी मानीटर	2,00,636	266.12	24.06	31.93

*विशाखापट्नम में 25-26 मार्च 2003 को हुई सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तों की कान्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के अनुसार

अनुबंध-च

सीईटीएच	माल का विवरण	27.05.2013 तक सीवीडी की दर	28.05.2013 से प्रभावी सीबीडी की दर
2402 20 20	बिना फिल्टर के सिगरेट (65 एमएम से अधिक परन्तु 70 एमएम से कम)	10% +₹ 1,218 प्रति हजार	₹ 1,463 प्रति हजार
2402 20 40	फिल्टर सिगरेट, (65 एमएम से अधिक परन्तु 70 एमएम से कम)	10% +₹ 809 प्रति हजार	₹ 1,034 प्रति हजार
2402 20 50	फिल्टर सिगरेट, (70 एमएम से अधिक परन्तु 75 एमएम से कम)	10% + ₹ 1,218 प्रति हजार	₹ 1,463 प्रति हजार
2402 20 60	फिल्टर सिगरेट, (75 एमएम से अधिक परन्तु 85 एमएम से कम)	10% + ₹ 1,624 प्रति हजार	₹ 1,974 प्रति हजार
2402 20 90	तम्बाकू वाली अन्य सिगरेट	10% + ₹ 1,948 प्रति हजार	₹ 2,373 प्रति हजार

अनुबंध-छ

(₹ करोड़ में)

अधिसूचना सं. /12-2012 सीई में कुल क्रम संख्या	विश्लेषित अधि सू में क्रम सं . की .सं	छूट अधिसूची के अस्वीकार्य क्रम संकी तहत . निर्धारण किये र गए मदस्त अभिलेख	गलत छूटों (वैलयू-एसेस) तहत आयातित के माल का निर्धारण मूल्ययोग्य	छूट के लिए गलत दावोंके तहत अनुमत कुल शुल्क छूट -बीसीडी) (एफजी-एएमटी
521	422	3,538	786.06	93.05

अनुबंध-ज

(₹ करोड़ में)

क्रम	विषय	अनुपालना रिपोर्ट हेतु मंत्रालय को जारी किये गए डीएपी सं .	मामलों की सं .	राशि मूल्य
1	एन्टी डम्पिंग शुल्क	A12, 31, 38, 50, 65, 69, 70, 77, 94, 97,and B01	5,796	15.58
2	गलत निर्धारण योग्य मूल्य	ए29	662	0.08
3	गलत छूट	ए 01, 25, 56, 86 तथा बी14	8,123	78.15
4	क्रेडिट स्क्रिप्स से गलत डेबिट	ए 35	1,969	2.09
5	स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर शिक्षा उपकर का गलत उदग्रहण	ए 49	475	15.30
6	सीबीडी का अनुदग्रहण	ए 60	7,872	0.16
7	वर्गीकरण को दिशानिर्देश करते हुए एपेक्स न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	ए 48	2	11.17
8	गलत वर्गीकरण	ए 02, 05, 06, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 83, 54, 55,66, 72, 74, 76, 79, 81, 82, 87, 101, 105 तथा बी 02, 04, 06, 06, 08, 10, 11,	79,051	12.81
9	सुरक्षाशुल्क का अनुदग्रहण	बी 03	416	0.24
10	अधिसूचनाओं की शर्तोंको पूरा करने में विफलता पर शुल्क की गैर वसूली न होना	ए 91	14,738	0.12
11	गलत वर्गीकरण के कारण ईपीसीजीलाईसेन्स में सीमाशुल्क का कम डेबिट	बी17	958	0.14
12	सीमाशुल्क का कम उदग्रहण	ए 39, 71, 75	439	0.58

13	मूलभूत सीमाशुल्क दर के गलत लागू करने के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण	बी18	3	0.52
14	आरएसएमआरपी/ पर सीवीडीके अनुद्ग्रहण के कारणशुल्क का कम उद्ग्रहण तथा एमआरपीआरएसपी पर छूट की अधिन / अनुमति	ए 51	447	0.08
	कुल		1,20,951	137.02

अनुबंध-झ

(₹ करोड़ में)

अधिसूचना सं . सी -2012/12 में कुल क्रम संख्या	विश्लेषित अधिसू में क्रम सं . .की सं	छूट अधिसूची के अस्वीकार्य क्रम संकी तहत . निर्धारण किये गए र अभिलेखमदस्त	गलत छूटों के (वैलयू-एसेस) तहत आयातित माल का मूल्यनिर्धारण योग्य	छूट के लिए गलत दावों के तहत अनुमत कुल शुल्क छूट -सीबीडी) (एफजी-एएमटी
344	307	5,940	1313.54	180.30

अनुबंध-ण

प्रविष्टि के बिल

वर्ष	2010-2011			2011-2012			2012-2013		
	हस्तलिखित बीईज	ईडीआई बीईज	कुल	हस्तलिखित बीईज	ईडीआई बीईज	कुल	हस्तलिखित बीईज	ईडीआई बीईज	कुल
कुल जोड	87,151	20,69,052	21,47,229	40,261	21,13,920	21,54,181	29,846	21,23,531	21,53,38
प्रतिशतता	3.64	96.36		1.87	98.13		1.39	98.62	

शिपिंग बिल

वर्ष	2010-2011			2011-2012			2012-2013		
	हस्तलिखित बीईज	ईडीआई बीईज	कुल	हस्तलिखित बीईज	ईडीआई बीईज	कुल	हस्तलिखित बीईज	ईडीआई बीईज	कुल
कुल जोड	1,96,291	30,26,818	32,23,019	1,43,611	31,54,580	32,98,191	72,664	32,94,500	33,67,1
प्रतिशतता	6.09	93.91		4.35	95.65		2.16	97.84	

अनुबंध-ट

कमिश्नरी	उत्तर सरलीकृत बीईज का % -2011/39 परिपत्र)सीमा शुल्क के अनुसार	आरएमएस सरलीकृत बीईज का % (तविकवास्) (13-2012)
चेन्नै सी	70	56.57
तुतीकोरिन	70	62.36
कोच्ची सी	70	43.04
मुम्बई जोन II जेएनसीएच	70	59.71
कोलकाता हवाईअड्डा	80	99.71
मुम्बई जोन I एनसीएच	70	100
गोवा	70	100
नागपुर	60	91.45
आईसीडी तुगलकाबाद	60	100.00
आईसीडी पटपड़गंज	60	100.00
कोलकाता बंदरगाह	70	99.99

अनुबंध ठ

पीसीए के लिए चयनित आरएमएस बिलों की प्रतिशतता

वर्ष	चेन्नइ सी	एनसीएच मुम्बई	जेएनसीएच मुम्बई	पुणे	गोवा	आईसीडी टीकेडी	आईसीडी पीपीजी	एनसीएच दिल्ली	कोलकाता बंदरगाह	कोलकाता एयरपोर्ट
2010-11	26.49	41.87	Na	96.00	53.46	36.32	44.80	47.23	37.15	26.58
2011-12	21.70	38.52	8.38	79.00	40.18	31.79	43.66	41.21	43.26	38.17
2012-13	19.85	27.31	28.27	33.00	25.67	26.07	18.36	27.58	22.92	23.44

अनुबंध ड

कमिश्नरी	2010-11	2011-12	2012-13	31 मार्च 2013 को पीएसी में लम्बित मामलों
	एमआईपी	एमआईपी	एमआईपी	
चेन्न्ई सी	9	11	10	87075
चेन्न्ई एयर	1	1	5	43472
तुतीकोरीन	4	4	4	5026
मुम्बई क्षेत्रएनसीएच 1	5	5	7	19281
मुम्बई क्षेत्र ।।। एसीसी	5	5	3	92577
नागपुर	0	2	2	934
नई दिल्ली, एनसीएच	9	10	9	283182
कोलकाता पोर्ट	2	2	2	47304
कोलकाता एयरपोर्ट	3	3	3	15737
अहमदाबाद	0	0	0	9482
जेएनसीएच, मुम्बई क्षेत्र ।।	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नही	प्रस्तुत नही	371631

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in